

कुरुक्षेत्र



वर्ष : 63 ★ मासिक अंक : 10 ★ पृष्ठ : 56 ★ श्रावण-भाद्रपद 1939 ★ अगस्त 2017

इस अंक में

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना
संपादकीय पत्र-व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
दूरभाष : 011-24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011-24367453
ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति : 22 रुपये
विशेषांक : 30 रुपये
वार्षिक शुल्क : 230 रुपये
द्विवार्षिक : 430 रुपये
त्रिवार्षिक : 610 रुपये

	ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस	संजीव मित्तल	5
	बदलता ग्रामीण परिवेश और डिजिटल प्रौद्योगिकी	सुनीता सांघी, साक्षी खुराना	17
	भारतीय कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	समीरा सौरभ	22
	डिजिटल ग्रामीण क्रांति : शिक्षा के बारे में पुनर्विचार	डॉ. तनु कथूरिया, अभिषेक मुखर्जी	27
	ग्रामीण भारत में बदलाव का जरिया बनती डिजिटल टेक्नोलॉजी	भुवन भास्कर	31
	डिजिटल ग्रामीण भारत का लक्ष्य	भारत भूषण	35
	ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया	जगन्नाथ कुमार कश्यप	37
	ई-तकनीकों का ग्रामीण विकास में योगदान	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	40
	डिजिटल होता ग्रामीण भारत : वर्तमान चुनौतियां और भविष्य की रूपरेखा	संदीप कुमार पाण्डेय	45
	स्वच्छता पखवाड़ा रत्न मंत्रालय ने मनाया स्वच्छता पखवाड़ा	---	49
	स्वच्छता सेना विजयनगरम का 100 घंटों में 10,000 शौचालय बनवाने का अभियान	---	51
	आजादी के बाद गांवों में आया बदलाव	वी. श्रीनिवास	52

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से पत्र-व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से संपर्क करें।
दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्ति विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

पिछले दो दशकों में कंप्यूटर क्षेत्र में अविश्वसनीय विकास ने एक नई क्रांति को जन्म दिया है जिसे 'सूचना क्रांति' के नाम से जाना गया। वैसे तो इस क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व पर ही पड़ा है

परंतु इसके प्रभाव के केंद्र के रूप में आज भारत स्थापित हो चुका है। भारत अपनी पहचान एक ऐसे देश के रूप में कायम करने में सफल रहा है जो अपने मानव संसाधनों को इस क्षेत्र में पूरी तरह से संयुक्त कर सकता है ताकि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिल सके। सूचना क्रांति ने समूचे भारत पर गहरा प्रभाव डाला है; ग्रामीण भारत भी इससे अछूता नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गहन डिजिटल प्रसार के लिए, सरकार ने एक अभियान के रूप में 'भारत नेट' कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों (60 करोड़ से अधिक ग्रामीण नागरिकों) को 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट किया जा सके। इससे ब्रॉडबैंड और ध्वनि के प्रसार के मामले में ग्रामीण कवरेज अंतराल समाप्त किया जा सकेगा। देश में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने संबंधी कवरेज में महत्वपूर्ण इजाफा हुआ है। जून, 2014 में ऑप्टिकल फाइबर कवरेज मात्र 358 किलोमीटर की थी, जो जनवरी, 2017 में बढ़कर 1.72 लाख किलोमीटर पर पहुंच गई और इसके दायरे में 76,000 से अधिक ग्राम पंचायतें आ गईं।

इसके अलावा 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (पीएमजीडीआईएसएचए) शुरू किया गया है, जो विश्व के सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में से एक है। इसका लक्ष्य मार्च, 2019 तक ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करना है। इसके तहत 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समान भौगोलिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों से उम्मीद की जा रही है कि उनमें से प्रत्येक पंचायत औसतन 200-300 उम्मीदवारों को पंजीकृत करे।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिए कॉमन सर्विस सेंटरों (सामान्य सेवा केंद्रों) के नेटवर्क के जरिए पीएमजीडीशा को सुदृढ़ किया जा रहा है। ये केंद्र छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनसे ये उम्मीद की जा रही है कि कम्प्यूटरों/डिजिटल एक्सेस डिवाइसों के प्रचालन के लिए अपेक्षित सूचना, ज्ञान और कौशल तक पहुंच के जरिए महिलाओं और पुरुषों, विशेष रूप से युवाओं का सशक्तीकरण होगा। 'डिजीगांव' कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि डिजिटल प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के जरिए टेली-मेडिसिन, शिक्षा और कौशल प्रदान किया जा सके। इस कार्यक्रम के जरिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।

समावेशी विकास के लिए सरकार डिजिटल समावेशन को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अंतर्गत मार्च, 2019 तक 55,000 से अधिक गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है और जन-धन खाता, डेबिट कार्ड, आधार भुगतान, भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) जैसे उपाय किए जा रहे हैं, ताकि बिचौलियों की भूमिका समाप्त की जा सके और डिजिटल लेनदेन के जरिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में अंतरित किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनवरी 2017 तक 1569.3 करोड़ खातों को डिजिटल लेनदेन के साथ जोड़ा जा चुका था। वर्ष 2017-18 के दौरान 2500 करोड़ खातों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि क्षेत्र में सूचना एवं संचार आधारित तकनीकों के प्रयोग से न केवल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है साथ ही, किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें बीमा सुरक्षा देने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के जरिए उन्हें उनकी उपज की वाजिब कीमत दिलाने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कृषि बीमा के जरिए किसानों के जोखिम को कम कर उन्हें खेती-किसानी से जोड़े रखने के पुरजोर प्रयास सरकार कर रही है। नवंबर 2016 में देश में पहली बार ई-पशुधन हॉट पोर्टल शुरू किया गया। इससे बिना बिचौलियों के पशुधन तथा वीर्य खुराकों की खरीद-फरोख्त संभव हुई है। यह पोर्टल काफी सफल और उपयोगी साबित हो रहा है। किसानों तक नवीनतम जानकारियां पहुंचाने हेतु कई अन्य पहल की गई हैं। वेब-आधारित केवीके पोर्टल बनाए गए हैं। और किसानों की सुविधा के लिए कई मोबाइल एप भी शुरू किए गए हैं।

सरकार इस राह की चुनौतियों को भी समझ रही है। अभी भी हजारों गांव बिजली आपूर्ति की समस्या, इंटरनेट कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी, डिजिटल साक्षरता की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार की पुरजोर कोशिश है कि जल्द से जल्द इस दिशा में प्रगति हो। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार की संस्था, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी परियोजना कार्यान्वित कर रही है जो डिजिटल इंडिया के कार्यक्रमों की देखरेख करेगा। 2019 तक अपेक्षित है कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड डिजिटल इंडिया परियोजना की सभी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरी कर देगी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचना तकनीक में भारत का ग्रामीण जीवन, भारत के ग्रामीण गरीब का जीवन और भारत के किसान का जीवन बदलने की क्षमता है बशर्ते ग्रामीणों की न केवल नई तकनीक तक पहुंच हो, साथ ही वो उन्हें अपनाने के प्रति उत्साहित एवं प्रेरित हो।



ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस

—संजीव मित्तल

भारत आज एक ऐसे खास बिंदु पर खड़ा है, जहां देश के 1.2 अरब नागरिकों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक समग्र इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक की दहलीज पर सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने और एक दीर्घावधि विकासात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि डिजिटल समर्थ और डिजिटल असमर्थ के बीच अंतराल (यानी डिजिटल अंतराल) दूर किया जाए।

ई-गवर्नेंस क्या है और भारत में इसका क्या महत्व है?

भारत में करीब 6.5 लाख गांव हैं, जो कुल आबादी के 72 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश में ग्रामीण जन समुदाय को भारतीय समाज का केंद्र समझा जाता है और यह वास्तविक भारत का भी प्रतिनिधित्व करता है। एक समय था, जब लागत, असुविधा, बार-बार आने-जाने और हतोत्साह जैसी कठिनाइयों के कारण लोगों का शासन प्रणाली से विश्वास उठ गया था। ग्रामीण समुदाय के लिए ये कठिनाइयां अधिक प्रतिकूल थीं। ग्रामीण समुदायों के विकास के लिए भारत सरकार सही नीति निर्माण के जरिए विभिन्न आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विकास के प्रमुख लक्ष्य पहले ही तय कर चुकी है।

ग्रामीण विकास संबंधी प्रमुख कार्यनीति में गरीबी उपशमन, आजीविका के बेहतर अवसरों, बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान और दिहाड़ी एवं स्वरोजगार के नवीन कार्यक्रमों के जरिए ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऐसे विकास कार्यों के लिए सरकार और नागरिकों के बीच समग्र भरोसेमंद संबंध सुधारने की आवश्यकता महसूस की गई। यह महसूस किया गया कि खराब सार्वजनिक सेवाओं, बेरोजगारी, आवास, अपराध और हिंसा, स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा आदि चुनौतियों का सामना आईसीटी एप्लीकेशंस के व्यापक इस्तेमाल के जरिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इनके जरिए सरकारी कामकाज की प्रक्रियाओं में सुधार के लिए स्मॉर्ट (यानी सिम्पल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉसिव और ट्रांसपेरेंट) की अवधारणा अपनाई जा सकती है, जिसका अर्थ है, शासन को सरल, नैतिक, जवाबदेह, जिम्मेदार और पारदर्शी बनाना। यह भी अनिवार्य समझा गया है कि सूचना के प्रवाह में कारगर सुधार और सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना भी अनिवार्य है, ताकि सरकार और नागरिकों के बीच एक विश्वास कायम किया जा सके। अतः सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए शासन की प्रक्रियाओं का पूर्ण रूपांतरण ई-गवर्नेंस कहलाता

है। इसका लक्ष्य सेवा वितरण को तीव्र और पारदर्शी बनाना, शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना, सूचना का आदान-प्रदान और सरकार की निर्णय प्रक्रिया में लोगों को भागीदार बनाना है।

भारत में ई-गवर्नेंस उपायों को 1990 के दशक के मध्य में व्यापक आयाम मिला, जब व्यापक क्षेत्रगत अनुप्रयोग शुरू किए गए और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के वितरण की दिशा में अधिकतम प्रयासों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने पर नीतिगत बल दिया गया। सरकार के प्रमुख आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) उपायों में अन्य बातों के अलावा कुछ प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे रेलवे कम्प्यूटरीकरण, भूमि रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण आदि। इनमें मुख्य रूप से सूचना प्रणालियों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में कई राज्यों ने महत्वाकांक्षी ई-गवर्नेंस परियोजनाएं प्रारंभ कीं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करना था।

यद्यपि ये ई-गवर्नेंस परियोजनाएं नागरिक केंद्रित थीं, फिर भी वे वांछित प्रभाव पैदा नहीं कर पाईं, क्योंकि उनकी विशिष्टताएं सीमित थीं। अलग-थलग और कमतर परस्पर संवादात्मक प्रणालियों से ऐसे बड़े अंतरालों का पता चला, जो शासन के समूचे स्पेक्ट्रम में ई-गवर्नेंस के सफल अंगीकरण को विफल कर रहे थे। उनसे अधिक व्यापक आयोजना और कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित ढांचे की आवश्यकता उजागर हुई, ताकि अधिक जुड़ाव वाली शासन व्यवस्था कायम करने के लिए परस्पर-प्रचालन





संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके। धीरे-धीरे ई-गवर्नेंस का इस्तेमाल सूक्ष्म-स्तर पर किया जाने लगा, जिसमें अलग-अलग विभागों में आईटी ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक फाइल संचालन, और पात्रताओं तक पहुंच, सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणालियां, रोजमर्रा के बड़े लेनदेन, जैसे बिलों और बकाया करों का भुगतान करने के लिए सर्विस डिलिवरी आदि कार्यों के लिए आईटी का उपयोग किया जाने लगा। इससे उद्यमशीलता मॉडलों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और बाजार सूचना प्रावधान की दिशा में उपाय किए गए। भारत में ई-गवर्नेंस का सतत विकास सरकारी विभागों के कम्प्यूटरीकरण से उन उपायों तक हुआ, जिनमें शासन के सूक्ष्म बिंदु समाहित किए गए, जैसे नागरिक उन्मुखता, सेवा उन्मुखता और पारदर्शिता। ई-गवर्नेंस के पिछले अनुभवों से ली गई सीख ने देश की प्रगतिगामी ई-गवर्नेंस कार्यनीति को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस धारणा का विधिवत रूप से संज्ञान लिया गया कि ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन में तेजी लाते हुए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सरकार के विभिन्न अंगों को इससे जोड़ा जाए। इसके लिए एक कार्यक्रम नीति अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई, जो एक सामान्य लक्ष्य और कार्यनीति से निर्देशित हो। मूलभूत और बुनियादी ढांचा साझा करने, मानकों के जरिए अंतर-प्रचालन क्षमता कायम करने और नागरिकों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण अबाधित रूप से प्रकट करने जैसी विशेषताओं के जरिए इस नीति में लागत में बचत करने की व्यापक संभावना दिखाई दी।

सरकार ने बुनियादी शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने को प्राथमिकता दी और इस संदर्भ में आम आदमी से संबंधित विषयों को ई-गवर्नेंस में बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उपाय किए। इसके

लिए ई-गवर्नेंस की सहयोगात्मक कार्यनीति को प्राथमिकता दी गई और इसे ध्यान में रख कर तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं जन-शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना तैयार की गई थी। इसके प्रमुख घटकों में समान मूलभूत और समर्थक ढांचा तथा केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शासन के स्तर पर मिशन मोड परियोजनाएं कार्यान्वित करना शामिल है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2006 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच उनकी बस्तियों में प्रदान करते हुए सक्षमता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था। सामान्य जन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में ऐसी सेवाओं को वहनीय लागत पर उपलब्ध कराना भी आवश्यक था।

शुरु में मिशन मोड के अंतर्गत 31 सेवाएं शामिल की गईं, जो कृषि, भूमि रिकॉर्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा, पासपोर्ट, पुलिस, अदालतें, नगर-पालिकाएं, वाणिज्यिक कर, ट्रेजरी सेवाएं आदि से संबंधित थीं। इनमें से अधिकतर परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं और उनसे सेवाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। परंतु, देशभर में अनेक ई-गवर्नेंस परियोजनाएं सफलतापूर्वक लागू होने के बावजूद, समग्र रूप में ई-गवर्नेंस वांछित प्रभाव नहीं पैदा कर सका है और अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। विशेष रूप से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि कोई सेवा, कहीं भी उपलब्ध हो और विभिन्न सेवाओं के बीच निबोध एकीकरण हो। भारत को दुनिया में सॉफ्टवेयर का पॉवर हाउस समझे जाने के बावजूद नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाओं की उपलब्धता अभी भी तुलनात्मक रूप में कम है।

ऐसे समावेशी विकास पर अधिक बल देने की आवश्यकता है,

जो इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों और रोजगार के अवसरों को अपेक्षित बढ़ावा दे सकें। इसके अतिरिक्त देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। भारत वर्तमान में 100 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक आयात करता है, जो 2020 तक बढ़ कर 400 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य पर पहुंच सकता है।

डिजिटल इंडिया

सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिए जन-सेवाओं की समूची प्रणाली का रूपांतरण करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था बनाना है।

डिजिटल इंडिया के लक्षित क्षेत्र : डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 3 प्रमुख लक्ष्य क्षेत्रों पर केंद्रित है।

1. प्रत्येक नागरिक के लिए मूलभूत सेवा के रूप में डिजिटल ढांचा।
2. मांग पर शासन और सेवाएं।
3. नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

यह एक तथ्य है कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अंतर्गत दूरदराज के क्षेत्रों सहित समूची ग्रामीण आबादी को डिजिटल रूप में सक्षम समाज में रूपांतरित करना एक बड़ी चुनौती है। परंतु, एक सार्थक और स्थानीय दृष्टि से प्रासंगिक ढंग से दूरदराज के कोनों तक ई-गवर्नेंस सेवाओं के वितरण की परिणति एक ऐसे ग्रामीण भारत के सफल निर्माण के रूप में हो सकती है, जहां सर्वाधिक आधुनिक आईसीटी सुविधा कायम हो और विभिन्न वर्तमान ढांचागत सुविधाओं का समन्वित उन्नयन हो। जैसाकि हम जानते हैं कि ई-गवर्नेंस का संबंध उन तौर-तरीकों के साथ है, जिनसे सामाजिक और राजनीतिक ताकतों को एकजुट किया जा सकता है और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें नागरिकों, व्यापारिक समुदाय और सरकार के अन्य अंगों के बीच संबंधों का कायाकल्प करने की व्यापक क्षमता है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ई-गवर्नेंस सेवा वितरण के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नांकित बुनियादी ढांचागत अपेक्षाएं हैं :-

(रूपये में)

वर्ष	ई-ट्रांजेक्शन गणना	वित्तीय वर्ष	ई-ट्रांजेक्शन गणना
2013	241.76 करोड़	2013-14	242.49 करोड़
2014	357.70 करोड़	2014-15	359.67 करोड़
2015	760.75 करोड़	2015-16	763.19 करोड़
2016	1089.81 करोड़	2016-17	1872.96 करोड़
2017	915.35 करोड़ (19 जुलाई, 2017 तक)		



"ई-गवर्नेंस हमारे डिजिटल भारत के स्वप्न का आवश्यक अंग है, हम गवर्नेंस में जितनी अधिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, भारत के लिए यह उतना ही बेहतर होगा।"

श्री नरेंद्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार



"डिजिटल इंडिया गरीबों और वंचितों के सशक्तीकरण के लिए है। इसका उद्देश्य तकनीक का इस्तेमाल कर डिजिटल तकनीक तक पहुंच रखने वाले और नहीं रखने वाले नागरिकों के बीच की दूरी को पाटना है।"

श्री रवि शंकर प्रसाद

माननीय मंत्री, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ढांचा, जैसे ग्राम पंचायत-स्तर तक लोगों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (तार/रेडियो के जरिए), एक समेकित प्लेटफार्म के जरिए ग्राम पंचायत-स्तर पर नागरिकों को समेकित सेवा वितरण के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससीज़)।
- पंचायतों के स्तर तक सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट, वाई-फाई, मैसेजिंग, वीडियो कांफ्रेंसिंग, स्किल-सेट्स जैसी सुविधाएं होनी चाहिए।
- अबाधित विद्युत आपूर्ति।
- कम से कम जिला-स्तर पर प्रशिक्षित कार्मिक संसाधन (बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ग्राम पंचायत-स्तर तक कुशल कार्मिकों को वरीयता)।
- ग्राम पंचायत-स्तर तक मांग के अनुसार व्यवहार्य और सुरक्षित क्लाउड ढांचा।
- राष्ट्रीय आंकड़ा केंद्रों, स्टेट डाटा सेंटरों और अन्य डाटा सेंटरों का एकीकरण।

डिजिटल इंडिया की शुरुआत के बाद ई-सर्विसेज और ई-ट्रांजेक्शन में वृद्धि

डिजिटल इंडिया प्रारंभ होने के बाद ई-सेवाओं की संख्या 2014 की 2221 से बढ़कर वर्तमान में 3433 पर पहुंच गई है। इससे पता चलता है कि प्रति माह औसत ट्रांजेक्शन की गणना जो 2014 में 29.80 करोड़ थी, वह वर्तमान में बढ़कर 90.82 करोड़ हो गई है। इसमें 205 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

डिजिटल इंडिया के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं/ई-जीओवी सेवाओं के समेकित वितरण के लिए साइलोज में कार्यरत सभी सेवा एप्लीकेशनों/प्लेटफार्मों को एक साझा राष्ट्रीय-स्तर के प्लेटफार्म से जोड़ा जाए, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का नाम दिया गया, जो अब डिजिटल सेवा के रूप में जाना जाता है। सीएससी में स्थायी ग्रामीण उद्यमशीलता पैदा करने, शासन को पुनः परिभाषित करने और भारत को डिजिटल एवं सामाजिक दृष्टि से सशक्त समाज के रूप में रूपांतरित करने की प्रमाणित क्षमता है। डिजिटल इंडिया आंदोलन

विभिन्न कठिनाइयों के कारण लोगों का शासन प्रणाली में विश्वास समाप्त हो जाता है।



लागत



असुविधा



बार-बार चक्कर लगाना



हतोत्साह

यहां तक कि अधिकारी, विशेषकर प्रतिबद्ध और परिश्रमी अधिकारी भी अपने अथक प्रयासों के बावजूद हतोत्साहित महसूस करते हैं।

के अंतर्गत सीएससीज़ अब ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के एजेंट बन गए हैं।

नागरिकों को विभिन्न डिजिटल सेवाएं (ई-सर्विसिज़) प्रदान करने में सामान्य सेवा केंद्र इंटरनेट सक्षम पहुंच बिंदु हैं। सीएससीज़ नागरिकों को सरकारी और अन्य सेवाएं पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से अपनी बस्ती में हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। सीएससी नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के सीधे सम्पर्क से बचाता है, जिससे सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और सक्षमता आती है तथा समय की भी बचत होती है।

“सीएससी का प्राथमिक लक्ष्य एक भौतिक सेवा वितरण आईसीटी ढांचा कायम करते हुए नागरिकों की पहुंच के भीतर ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करना है”। यह पारदर्शी सेवा वितरण व्यवस्था कायम करने और नागरिकों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचने में मदद करता है। सामान्य सेवा केंद्रों का लक्ष्य ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट तक व्यक्तिगत पहुंच प्रदान करना और नागरिकों को एक्सेस उपकरण प्रदान करना भी है, जहां आईसीटी सुविधाएं कम होने के कारण डिजिटल अंतराल है। आईसीटी सक्षम केंद्र होने के नाते सीएससीज़ नागरिकों के लिए बहुत सारी सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नागरिकों के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए नींव के पत्थर के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार वे एक पारदर्शी शासन प्रणाली का सृजन करते हैं। कुल मिलाकर ये सामान्य सेवा केंद्र ग्रामीण नागरिकों के लिए एक साझा सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म प्रदान करते हुए परिवर्तनकारी एजेंट बन गए हैं।

लोग चुनी हुई सरकार से अधिक अपेक्षा करते हैं।

आलोचना की जाती है कि सरकार अवास्तविक धारणा से काम करती है।

बढ़ती मांग



भ्रष्टाचाररोधी आंदोलन



अभियान और आंदोलन



क्रंदन के रूप में उत्पन्न जरूरतें अंततः गूंजने लगती हैं

सी|एस|सी

और फिर शासन को पुनः परिभाषित करने के लिए ग्रामीण उद्यमशीलता में एक मौन क्रांति पैदा होती है।

अंततः एक समाधान उभरता है।

नागरिकों की सभी समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान



समस्या सेवा केंद्र (सीएससी) एकल भौगोलिक स्थान पर बहुविद् ट्रांजेक्शन सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक सेवाएं के एकल बिंदु मॉडल हैं

लक्ष्य और अभियान

सीएससी स्कीम प्रारंभ में सितंबर, 2006 में राष्ट्रीय-ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य 6 लाख जनगणना गांवों को कवर करने का था। इसके अंतर्गत समूचे ग्रामीण भारत में समान प्रसार के लिए 1:6 के अनुपात से एक लाख सीएससी स्थापित करने का लक्ष्य था।

पूर्ववर्ती सीएससी स्कीम के मूल्यांकन के

आधार पर भारत सरकार ने अगस्त, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के स्तंभ-3 के अंतर्गत सीएससी 2.0 परियोजना प्रारंभ की, ताकि सामान्य सेवा केंद्रों का प्रसार देशभर में सभी ग्राम पंचायतों में किया जा सके। इसमें यह लक्ष्य रखा गया कि देशभर में 4 वर्ष (अगस्त, 2019 तक) प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सीएससी अवश्य स्थापित किया जाए। इस तरह 4 वर्ष की अवधि में देश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए कम से कम 2.5 लाख सीएससी स्थापित करने की योजना बनाई गई। इसमें मौजूदा सीएससी कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से काम कर रहे एक लाख सामान्य सेवा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और एकीकरण को भी शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत-स्तर पर 1.5 लाख नए सामान्य सेवा केंद्र प्रचालित करने (ग्राम पंचायत परिसर में वरीयता) का लक्ष्य रखा गया। यह परियोजना सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसिज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-स्पेशल पर्पज व्हीकल, सीएससी-एसपीवी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ये विशेष संस्थाएं संबद्ध राज्य सरकारों और संघशासित प्रदेशों के प्रशासनों के मार्गदर्शन में काम करती हैं। “सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसिज इंडिया लिमिटेड” की स्थापना 2009 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय) के तहत एक साझा सेवा केंद्र विशेष उद्देश्य संस्था के रूप में की गई थी। सीएससी-एसपीवी का प्रमुख लक्ष्य मंत्रालय को प्रोग्राम प्रबंधन सहायता प्रदान करना और देशभर में सीएससी नेटवर्क की निरंतरता सुनिश्चित करना था। इसके लिए अनेक नागरिक-केंद्रित सेवाओं की समेकित डिलिवरी वहनीय लागत पर की गई।

वर्तमान सीएससी मॉडल को क्रियान्वित करने का सिद्धांत

वर्तमान में सीएससी 2.0 मॉडल पूरी तरह सेवा वितरण/ट्रांजेक्शन-उन्मुखी आत्मनिर्भर उद्यमशीलता मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारत सरकार से ग्राम-स्तरीय उद्यमियों तक हार्डवेयर और ढांचागत वित्तपोषण संबंधी कोई व्यवहार्यता अंतराल नहीं है। यह व्यवस्था की गई कि सीएसटी उद्यमशीलता के लिए आवेदक को पर्याप्त रूप में उत्साहित किया जाए ताकि वह सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख संचालक बने और अपने दायित्व का प्रतिबद्धता के साथ निर्वाह करे। उत्साहित ग्राम-स्तरीय उद्यमी इस उद्यमशीलता मॉडल को अपना रहे हैं, जिसमें ग्राम-स्तरीय उद्यमी को सामान्य सेवा केंद्रों की स्थापना और प्रचालन के लिए कैपेक्स (कैपिटल एक्सपेंडिचर) और ओपेक्स (ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर) का प्रबंध करना पड़ता है।

सीएससी 2.0 परियोजना के अंतर्गत

राज्य/संघशासित प्रदेश स्तर पर विभिन्न सेवा पोर्टलों को राष्ट्रीय-स्तर के ऑनलाइन सीएससी यूनिवर्सल पोर्टल-“डिजिटल सेवा पोर्टल” के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि सभी सामान्य सेवा केंद्रों पर सेवाओं का समेकित वितरण किया जा सके। इस तरह ई-सर्विसेज, विशेषकर जी-2सी सेवाओं को देशभर में कहीं से भी एक्सेस किए जाने योग्य बनाया गया है। इससे सेवाओं के पोर्टफोलियो का विस्तार होगा ताकि उन्हें प्रत्येक सीएससी से समान रूप से एक्सेस किया जा सके। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्रों के स्थायित्व में वृद्धि होगी।

सामान्य सेवा केंद्रों के रोजमर्रा के प्रचालन और इन सेवाओं के बारे में जानकारी के उन्नयन के लिए, ग्राम-स्तरीय उद्यमियों को उद्यम विकास कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षण के जरिए मदद की जा रही है। ग्राम-स्तरीय उद्यमियों की स्थिरता बढ़ाने के लिए, सीएससी 2.0 में अनुशंसा की गई है कि ग्राम-स्तरीय उद्यमी और अन्य हितभागियों के बीच राजस्व की हिस्सेदारी 80:20 के अनुपात में हो।

सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, “डिजिटल सेवा केंद्रों” की राष्ट्रीय ब्रैंडिंग और राज्यों/संघशासित प्रदेशों की सह-ब्रैंडिंग शुरू की गई है। प्रत्येक सीएससी को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है और उसकी जीआईएस मैपिंग की गई है। इससे सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए वितरित की जा रही ई-सेवाओं के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह निगरानी फ्रेमवर्क का निर्माण हुआ है और सरकार को सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में एक आत्मनिर्भर सीएसटी नेटवर्क की स्थापना में अंतराल दूर करने में मदद मिली है।

सामान्य सेवा केंद्र की प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी सरकार सामान्य सेवा केंद्रों की स्थापना में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। इससे अन्य महिलाओं को आगे आने और सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार स्वयंसहायता समूहों की महिला सदस्यों को भी प्रोत्साहित कर रही है कि वे ग्राम-स्तरीय उद्यमी बनें। परिणामस्वरूप 32,361 महिला उद्यमियों ने सीएसटी स्थापित किए हैं



सीएससी का बुनियादी ढांचा

- ▶ 100-150 वर्ग फुट स्थान
- ▶ कम से कम 1 पीसी और यूपीएस
- ▶ कम से कम 1 प्रिंटर
- ▶ डिजिटल/वेब कैमरा/जेनेरेटर/इनवर्टर/सोलर
- ▶ जैनेरेट/इन्वर्टर/सोलर
- ▶ ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर
- ▶ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
- ▶ प्रशिक्षित एवं उत्साही कर्मचारी



पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैलर, यूपीएस, डिजिटल/वेब कैमरा एवं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से युक्त। प्रोजेक्शन प्रणाली, बायोमेट्रिक उपकरण जैसे अतिरिक्त उपकरण आवश्यकतानुसार जोड़े जा सकते हैं।

और वे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं वितरित कर रही हैं। सरकार महिलाओं और समाज के सीमांत वर्गों को सीएससी आंदोलन में शामिल करने के प्रति वचनबद्ध है। अभी तक इस दिशा में निम्नांकित कार्य किए गए हैं :-

- सरकार ग्राम-स्तरीय उद्यमी के रूप में महिलाओं को वरीयता दिए जाने के बारे में दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर चुकी है।
- महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मासिक पत्रिका 'तरंग' और 'न्यूजलेटर' में महिलाओं की सफलता की कहानियां प्रकाशित की जा रही हैं।
- भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य सेवा केंद्र द्वारा प्रदान किए गए अवसर का लाभ उठाने में ग्राम-स्तरीय उद्यमियों में महिलाओं के योगदान को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए 20 फरवरी, 2016 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय-स्तर का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।
- ग्राम-स्तरीय उद्यमियों में महिलाओं की हिस्सेदारी, जो मई 2014 तक 13,204 थी, वह जून, 2017 तक बढ़ कर 32,361 हो गई।
- ग्राम-स्तरीय महिला उद्यमियों के लिए दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 ग्राम-स्तरीय महिला उद्यमियों ने हिस्सा लिया।
- प्रधानमंत्री ने 3 महिला ग्राम-स्तरीय उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किया।
- मंत्री (ई एंड आईटी) ने 67 ग्राम-स्तरीय महिला उद्यमियों को पुरस्कृत किया।
- ग्राम-स्तरीय महिला उद्यमियों के लिए विशेष पुरस्कार घोषित किया गया।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससीज) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यनीतिक आधार हैं। वे भारत के गांवों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सेस बिंदु हैं, अतः डिजिटल और वित्तीय समावेशी समाज में उनका खास योगदान है।

वर्तमान में सीएससी निम्नांकित कार्य कर रहे हैं:

- सरकार से नागरिक, व्यापार से उपभोक्ता (बी-2-सी), संस्थागत सेवाएं आदि के लिए सेवा वितरण केंद्रों के रूप में काम करना।
- आधार और आधार प्रिंटिंग केंद्रों के लिए स्थायी पंजीकरण केंद्रों के रूप में काम करना।
- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं और प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं के लिए बिजनेस कोर्सपोर्ट एजेंटों के रूप में काम करना।

- बीमा सेवा केंद्र
- शैक्षिक और कौशल विकास केंद्र
- मतदाता पंजीकरण केंद्र
- नागरिकों में डिजिटल सशक्तीकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सूचना केंद्र
- वाई-फाई वितरण केंद्र (वाई-फाई ई-चौपाल) आदि।

सीएससी के परिणम एवं लाभ

- सरकारी एवं अन्य ई-सेवाओं की किफायती दर पर पारदर्शी तथा समयबद्ध आपूर्ति और नागरिकों को बेहतर अनुभव।
- अपने ही क्षेत्र में सेवाएं प्राप्त करने के लिए सरकारी दफतरों तक जाने की लोगों की जरूरत समाप्त कर उनके प्रयास और संसाधन बचाना ताकि व्यवस्था में आम आदमी का भरोसा बढ़े।
- विभिन्न सरकारी प्रयासों एवं लाभों की आपूर्ति एवं प्रसार के लिए आईसीटी पर आधारित एकीकृत व्यवस्था।
- कौशल विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन और परोक्ष रोजगार सृजन के लिए परिवर्तन एजेंट देना।
- सरकार के विभिन्न प्रकार के प्रत्येक लाभ वंचित/पिछड़े तबकों तक पहुंचाने के लिए अंतिम वितरण इकाई के रूप में कार्य करना।
- अधिक से अधिक महिलाओं को वीएलई (विलेज लेवल एंटरप्रेनर) बनने के लिए प्रोत्साहित करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास में उनका योगदान बढ़ाना।
- सीएससी ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने तथा सरकार एवं उसकी योजनाओं से परिचित होने के माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं।

सीएससी नेटवर्क के जरिए प्रमुख सेवाएं

- **जी2सी सेवाएं**
- केंद्र सरकार की सेवाएं (पासपोर्ट, पेन कार्ड, पीएमएवाई, फसल बीमा, डिजिटल वित्तीय लेनदेन)
- ई-जनपद/एसएसडीजी सेवाएं (भूमि रिकॉर्ड, प्रमाणपत्र)



- आधार सेवाएं (पंजीकरण, अपडेशन)
- चुनाव आयोग की सेवाएं
- **बी2सी सेवाएं**— ई-रिचॉर्ज, बिल संग्रह, ई-कॉमर्स
- **वित्तीय सेवाएं**
- बैंकिंग सेवा (जमा, निकासी, धन भेजना)
- बीमा सेवा (प्रीमियम संग्रह, पॉलिसी)
- आईपीएस (आधार भुगतान)
- **शैक्षिक सेवाएं**

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम) – डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा)/प्रधानमंत्री ग्रामीण (पीएमजी) दिशा, साइबर ग्राम परियोजना, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआईलिट) के पाठ्यक्रम, एनिमेशन पाठ्यक्रम, लेखा

- **कौशल विकास**— डेटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रिक, ऑटो
- **यूटिलिटी सेवाएं**— बिजली, पानी के बिल
- **स्वास्थ्य सेवाएं**— टेली परामर्श, जन औषधि
- **अन्य**— टेली कानून, वित्तीय साक्षरता, निवेशक जागरूकता

पिछले कुछ वर्षों में सीएससी की वृद्धि एवं उपलब्धियां

2016-17 में पूरे देश में 90 हजार सीएससी ने कामकाज आरंभ किया और कुल कामकाजी सीएससी की संख्या मार्च, 2016 के 1.6 लाख सीएससी से बढ़कर मार्च, 2017 में 2.50 लाख सीएससी तक पहुंच गई। 31 मार्च, 2017 को उनमें से लगभग 1.60 लाख सीएससी ग्राम पंचायत-स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जो 2016-17 में ग्राम पंचायत-स्तर पर काम कर रहे सीएससी की तुलना में 62 हजार अधिक हैं।


कामकाजी सीएससी के विशाल नेटवर्क हेतु अधिक मजबूत एवं विस्तार योग्य तकनीकी प्लेटफॉर्म चाहिए, जिसमें सेवाओं की निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति के लिए डिजिटल बी2बी वॉलेट की जरूरत है। सीएससी के इस विशाल नेटवर्क की जरूरत पूरी करने के लिए और

सीएससी 2.0 में की गई परिकल्पना के अनुसार सीएससी-एसपीवी ने 2016-17 में एक मजबूत तथा विस्तार योग्य एसीएससी राष्ट्रीय पोर्टल 'डिजिटल सेवा पोर्टल' को डिजाइन, विकसित और आरंभ कर दिया है। इससे देश भर में सभी सीएससी एक समान तकनीकी प्लेटफॉर्म के जरिए सेवाओं का प्रसार कर सकते हैं, जिससे देश में किसी भी स्थान पर ई-सेवाएं विशेषकर जी2सी सेवाएं इस्तेमाल की जा सकेंगी।

2016-17 के उत्तरार्द्ध में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल वित्तीय समावेशन, जागरूकता एवं उपलब्धता (डीएफआईए) कार्यक्रम आरंभ किया है। एक करोड़ नागरिकों को इसके दायरे में लाने तथा 25 लाख व्यापारियों को इसके उपयोग हेतु तैयार करने का जिम्मा सीएससी-एसपीवी को ही दिया गया। सीएससी-एसपीवी ने नवंबर, 2016 से मार्च, 2017 की छोटी-सी अवधि के बीच ही 2.04 करोड़ नागरिकों को पंजीकृत किया तथा 26 लाख व्यापारियों को इसके उपयोग में सक्षम बनाया।

2016-17 के दौरान सीएससी नेटवर्क में पहले से मौजूद सेवाओं के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-जनपद सेवाएं तथा पीएमजी दिशा जैसी कई महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। सीएससी ने दिव्यांगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी आरंभ किया है। सीएससी के जरिए ग्रामीण भारत के उत्पादों का प्रदर्शन करने हेतु ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म "वीएलईबाजार" आरंभ किया गया है।

सीएससी-एसपीवी ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से हाथ मिलाया और आधार पर आधारित भुगतान प्रणाली (आईपीएस) के प्लेटफॉर्म पर सीएससी नेटवर्क के लिए दिसंबर, 2016 में डिजिपे आरंभ किया ताकि देश भर में ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसका उद्देश्य सभी बैंकों के बीच आधार पर आधारित भुगतान का लेनदेन आरंभ करना है। डिजिपे एप्लिकेशन सीएससी



को देश के सुदूर और बैंकिंग सेवा से वंचित क्षेत्रों में भी वित्तीय सेवा की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम बनाती है।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत बिल पेमेंट सर्विसेज (बीबीपीएस) के अंतर्गत भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट (बीबीपीओयू) के रूप में काम करने का लाइसेंस दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीएस आरंभ की है। बीबीपीएस का उद्देश्य ग्राहकों को सीएससी के विशाल नेटवर्क के जरिए विभिन्न बैंकों के बीच होने वाली तथा सुगम बिल भुगतान सेवाएं मुहैया कराना, भुगतान के विभिन्न तरीके मुहैया कराना तथा भुगतान की तुरंत पुष्टि करना है। इससे नकद के बजाय इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन भुगतान का चलन बढ़ेगा और नकदरहित समाज बनाने में सुविधा होगी।

जीएसटी सुविधा प्रदाता

सीएससी-एसपीवी ने 2016-17 में मील का एक और पत्थर लांघ लिया, जब जीएसटी परिषद ने सीएससी-एसपीवी को जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसपी) के रूप में जोड़ लिया। जीएसपी के रूप में सीएससी-एसपीवी को विभिन्न पक्षों मुख्यतया व्यापारियों, प्रतिष्ठानों एवं उन लोगों की मदद के लिए कई कार्य करने होते हैं, जिन लोगों को जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत अनुपालन करना होता है।

वाई-फाई चौपाल

2016-17 में सीएससी-एसपीवी ने ग्रामीण वाई-फाई सुविधा वाई-फाई चौपाल आरंभ की, जिसके साथ ही गांवों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के मामले में नया युग आ गया। वाई-फाई चौपाल परियोजना सीएससी के जरिए ग्रामीण भारत में वाई-फाई इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए आरंभ की गई है। पहली

वाई-फाई चौपाल 7 अप्रैल, 2016 को फरीदाबाद में घरौड़ा गांव में आरंभ की गई। आज 9 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों की 819 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई ढांचा स्थापित कर दिया गया है। 483 स्थानों पर इंटरनेट सेवा आरंभ हो चुकी है।

वर्ष 2016-17 में 28 हजार स्थायी पंजीकरण केंद्रों- पीईसी (सीएससी) पर 596 लाख से अधिक आधार क्रमांक बनाए गए और सीएससी देश में सबसे बड़ा यूआईडी पंजीयक बन गया। इस वर्ष सीएससी पोर्टल पर सबसे अधिक काम आधार कार्ड छपाई सेवा (45.59 लाख प्रिंट) के जरिए ही हुआ। आधार के लिए 0 से 5 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन में सीएससी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वर्ष 2016-17 में सीएससी द्वारा लगभग 47.48 लाख बच्चों का पंजीकरण किया गया, जिससे 31 मार्च, 2017 तक कुल 80 लाख बच्चों का पंजीकरण हो चुका था।

सीएससी-वीएलई और साझेदारों ने राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन/डिजिटल साक्षरता अभियान (एनडीएलएम/दिशा) के जरिए प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के लक्ष्य की दिशा में बहुत उत्साह से काम किया। वर्ष 2016-17 में लगभग 35.44 लाख लोगों को इस कार्यक्रम के तहत प्रमाणपत्र दिए गए, जिससे मार्च, 2017 तक प्रमाणपत्र हासिल करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 55.46 लाख (55.27 लाख का लक्ष्य था) तक पहुंच गई, जो मार्च, 2016 में 18.01 लाख ही थी।

एनडीएलएम-दिशा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सफलता के कारण सीएससी-एसपीवी को डिजिटल साक्षरता के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2017 में आरंभ किए गए नए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के क्रियान्वयन का जिम्मा दे दिया गया है। योजना

सेवाएं

जी2सी सेवाएं

सीएससी आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट प्राप्त करने जैसी जी2सी सेवाएं तथा कई प्रकार की अन्य सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान करते हैं।

स्वास्थ्य सेवा

सीएससी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत देश के ग्रामीण एवं दूरवर्ती स्थानों पर सीएससी के विशाल नेटवर्क के जरिये टेली-चिकित्सा, निदान सेवा तथा जीन चिकित्सा सेवा जैसी गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का प्रयत्न किया जाता है।

कौशल विकास

सीएससी-एसपीवी ने ग्रामीण युवाओं की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने एवं उन्हें आजीविका के अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए बाजार के अनुकूल कौशल प्रदान करने के मकसद से विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के कार्यक्रम आरंभ किए हैं।

शिक्षा

शैक्षिक सेवाओं के अंतर्गत नागरिकों को डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रबंधन, कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक तथा सशक्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाता है।


वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन सेवाओं के अंतर्गत सीएससी-एसपीवी ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में नागरिकों विशेषकर महिलाओं एवं वंचित समुदायों को बैंकिंग, बीमा एवं पेंशन जैसी मुख्यधारा की वित्तीय सेवाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन करने का सरकार का निर्देश पूरा करने के लिए सीएससी के राष्ट्रीय नेटवर्क का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है।

बी2सी सेवाएं

सीएससी मोबाइल अथवा केबल टीवी रिचार्ज करने जैसी बी2सी सेवा तथा विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाएं एक ही स्थान पर मुहैया कराते हैं।

डिजिटल सेवा (सीएससी) पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं



में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों के 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने की परिकल्पना की गई है ताकि डिजिटल रूप से पूरी तरह निरक्षर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सिखाकर 40 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा जा सके। योजना दो वर्ष में पूरी की जानी है और हमें उम्मीद है कि निश्चित समयावधि में इसे पूरा किया जा सकेगा।

एनडीएलएम के अलावा साइबर ग्राम योजना के अंतर्गत चार राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों के मदरसा छात्रों के लिए बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण भी चलाया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में 1.56 लाख मदरसा छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 1.44 लाख को प्रमाणपत्र भी मिला। इस तरह मार्च, 2016 की तुलना में प्रमाणपत्र वाले छात्रों की संख्या 1.15 लाख बढ़ गई।

भारत सरकार की सेवाओं को देशभर में लोकप्रिय बनाने की दिशा में भी सीएससी के प्रयास सराहनीय हैं। नवंबर, 2016 में सीएससी के जरिये पीएमएवाई आरंभ किया गया और तब से मार्च, 2017 तक सीएससी के माध्यम से 29 लाख से अधिक आवेदन जमा किए जा चुके हैं। जुलाई, 2016 में सीएससी के माध्यम से एफएसएसएआई के अंतर्गत सेवा उपलब्ध कराई गई; उसके बाद से मार्च, 2017 तक सीएससी के जरिए लगभग 1.19 लाख पंजीकरण कराए गए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत सेवा भी दिसंबर, 2016 में सीएससी के अंतर्गत ही आरंभ की गई थी और अगले तीन महीने के भीतर ही इस सेवा के लिए 1.24 लाख पंजीकरण कर लिए गए हैं।

सीएससी ने बिजनेस कॉर्रेस्पॉन्डेंट एजेंटों (बीसीए) के रूप में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। 2016-17 में औसतन 11,200 बीसीए ने देशभर में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध

कराई और नागरिकों को 320.99 लाख बैंकिंग लेनदेन करने में मदद की, जिसमें कुल 570163.61 लाख रुपये का लेनदेन हुआ था। इस वर्ष इन बीसीए ने 7079.59 लाख रुपये का कमीशन हासिल किया, जो 2015-16 की तुलना में 2971 लाख रुपये अधिक रहा। इसी प्रकार सीएससी ने एईपीएस सेवाएं उपलब्ध कराने में भी सराहनीय उत्साह दिखाया है। वर्ष 2016-17 में लगभग 1.22 सीएससी ने एईपीएस के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पंजीकरण कराया है और 17901.90 लाख रुपये मूल्य के 28.35 लाख लेनदेन किए।

वर्ष 2016-17 में लगभग 40 हजार सीएससी ने बीमा सेवाएं मुहैया कराई, जिनमें पॉलिसी की बिक्री और उनका नवीकरण दोनों शामिल थे। इसी वर्ष इन सीएससी ने 10,47,387 ग्राहकों से 33,415.93 लाख रुपये का प्रीमियम इकट्ठा किया, जिस पर उन्हें लगभग 199 लाख रुपये का कमीशन मिला है, जो 2015-16 की तुलना में लगभग 134 लाख रुपये अधिक था।

वर्तमान सीएससी 2.0 में जैसी परिकल्पना की गई थी, उसी के अनुसार जिला-स्तर के प्रशिक्षण द्वारा वीएलई की उद्यमशीलता विकसित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत सीएससी के जरिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए 3 दिन का प्रशिक्षण होता है। वर्ष 2016-17 में 19 राज्यों के 206 जिलों में जिला-स्तरीय क्षमता निर्माण एवं उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए और 33 हजार से अधिक वीएलई की उद्यमशीलता संबंधी क्षमताएं विकसित करने के लिए विभिन्न सेवाओं में प्रशिक्षण दिया गया।

सीएससी-एसपीवी ग्रामीण समुदायों के लिए डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता तथा कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देते आए हैं, जिससे उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागिता की ताकत मिलती है। सीएससी के जरिए सुदूर चिकित्सा (टेली-मेडिसिन) को बढ़ावा देने के प्रयासों को स्वीकार्यता मिलती दिखती है। सीएससी के जरिए अब लोगों को एलोपैथी, होमियोपैथी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा संबंधी टेली-परामर्श उपलब्ध है। सीएससी-एसपीवी एफएमसीजी कंपनियों के साथ भी काम कर रहे हैं ताकि उन्हें ग्रामीण भारत में

विवरण	उपलब्धि (ग्राम पंचायत स्तर समेत पूरे भारत में)	उपलब्धि (ग्राम पंचायत स्तर)
मई, 2014 तक पंजीकृत कुल सीएससी	1,34,956	83,903
मई, 2014 तक काम कर रहे कुल सीएससी	83,950	64,259
नवंबर, 2015 (सीएससी 2.0 का क्रियान्वयन आरंभ होने से पहले) तक पंजीकृत कुल सीएससी	1,44,875	92,106
नवंबर, 2015 (सीएससी 2.0 का क्रियान्वयन आरंभ होने से पहले) तक काम कर रहे कुल सीएससी	1,19,779	85,952
मार्च, 2016 तक पंजीकृत कुल सीएससी	1,99,325	1,22,621
मार्च, 2016 तक काम कर रहे कुल सीएससी	1,66,671	97,243
मार्च, 2017 तक पंजीकृत कुल सीएससी	2,91,366	1,81,173
मार्च, 2017 तक काम कर रहे कुल सीएससी	2,50,345	1,59,633
जून, 2017 तक पंजीकृत कुल सीएससी	3,00,774	1,96,922
जून, 2017 तक काम कर रहे कुल सीएससी	2,61,071	1,63,226
मई, 2014 के बाद से पंजीकृत सीएससी की संख्या में वृद्धि	1,65,818	1,13,019
मई, 2014 के बाद से कामकाजी सीएससी की संख्या में वृद्धि	1,77,121	98,967
सीएससी 2.0 का क्रियान्वयन आरंभ होने (दिसंबर, 2015) के बाद से पंजीकृत सीएससी की संख्या में वृद्धि	1,55,899	1,04,816
सीएससी 2.0 का क्रियान्वयन आरंभ होने (दिसंबर, 2015) के बाद से कामकाजी सीएससी की संख्या में वृद्धि	1,41,292	77,274

अपने उत्पाद/सेवाएं बेचने के लिए सीएससी नेटवर्क के इस्तेमाल की सुविधा मिल सके।

वर्ष 2016-17 में वीएलई ने सीएससी कामकाज से कुल 58,578.29 लाख रुपये का कमीशन प्राप्त किया, जो 2015-16 की तुलना में लगभग 11,405 लाख रुपये अधिक है। सीएससी को टिकाऊ बनाने की दिशा में यह अहम कदम है।

सीएससी के जरिए परोक्ष रोजगार सृजन

सीएससी का वर्तमान प्रारूप पूरी तरह लेनदेन पर केंद्रित और स्वावलंबी प्रकृति का है। सीएससी के प्रत्येक किऑस्क पर औसतन

विवरण	मई, 2014 तक	मार्च, 2016 तक	मार्च, 2017 तक	मार्च, 14 से मार्च, 17 तक वृद्धि
स्थायी पंजीकरण केंद्रों की संख्या	5097	15,244	27681	22,584
बनाए गए आधार की संख्या (लाख में)	114.71	977.63	1573.60	1458.89
आधार में अपडेट (लाख में)	—	105.51	335.21	335.21
छपे आधार (लाख)	—	29.34	74.93	74.93

3-4 लोग काम करते रहते हैं। इसीलिए अनुमान है कि सीएससी की प्रणाली में लगभग 9.18 लाख लोगों को परोक्ष रोजगार मिलता है।

सीएससी के क्रियान्वयन में चुनौतियां

- कनेक्टिविटी
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से सहयोग

कनेक्टिविटी (संपर्क): यह सोचा गया कि भारतनेट/एनओएफएन के रूप में तैयार किए गए बुनियादी ढांचे तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध संचार के अन्य ढांचों के समुचित उपयोग से सीएससी की प्रणाली अच्छी तरह काम करेगी। अभी सीएससी सुविधा के अनुसार कनेक्टिविटी के उपलब्ध तरीकों जैसे डाटा कार्ड, वाई-फाई और ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। किंतु सुगमता नहीं होने के कारण दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की बैंडविड्थ पर्याप्त एवं स्थिर नहीं है। सरकार के वायदे को देखते हुए सीएससी परियोजना को अगस्त, 2015 में मंजूरी मिलने के चार वर्ष के भीतर की निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम एवं प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए वाई-फाई ई-चौपाल के जरिये कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतनेट: संचार मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) को ऑप्टिकल फाइबर के जरिये जोड़कर और भूमिगत केबल, बिजली की लाइनों पर फाइबर, रेडियो तथा उपग्रह मीडिया का समुचित प्रयोग कर नेटवर्क का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए भारतनेट परियोजना क्रियान्वित करने का प्रयास भी कर रहा है ताकि सभी प्रकार के सेवा प्रदाताओं द्वारा भेदभाव के बगैर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके। परियोजना तीन चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। परियोजना के पहले चरण में नवंबर 2017 तक भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना है। दूसरे चरण में भूमिगत केबल, बिजली की लाइनों पर फाइबर, रेडियो तथा उपग्रह मीडिया का समुचित प्रयोग कर मार्च, 2019 तक शेष 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को भी कनेक्टिविटी प्रदान कर दी जाएगी। तीसरे चरण में छल्ले जैसे ढांचे वाले अत्याधुनिक नेटवर्क की योजना है, जिसे 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।

इस योजना (प्रथम चरण) के अंतर्गत 09 जुलाई, 2017 तक 1,06,276 ग्राम पंचायतों में 2,38,489 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, 1,00,152 ग्राम पंचायतों के लिए 2.20 लाख किमी. ऑप्टिकल फाइबर लगाया जा चुका है और 23,147 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। सीएससी को

एनडीएलएम-दिशा (दिसंबर, 2014 में आरंभ हुआ)	लक्ष्य	मई, 2014 तक	मार्च, 2016 तक	मार्च, 2017 तक
पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या (लाख)	55.27	0	10.73	102.85
प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (लाख)	55.27	0	10.27	89.68
प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख)	55.27	0	9.74	55.46

पीएमजी – दिशा (दिसंबर, 2014 में आरंभ हुआ)	लक्ष्य	मई, 2014 तक	मार्च, 2016 तक	मार्च, 2017 तक
पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या (लाख)	600	0	0	6.33
प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (लाख)	600	0	0	4.54
प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख)	600	0	0	0.78

भारतनेट टर्मिनलों से जोड़ा जा रहा है ताकि ई-प्रशासन सेवाओं के लिए बैंडविड्थ का प्रयोग किया जा सके।

वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए सीएससी का उपयोग
सीएससी-एसपीवी वाई-फाई चौपाल कार्यक्रम के जरिए भारतनेट की बैंडविड्थ और भी बढ़ाने के लिए सीएससी के उपयोग का प्रयास कर रही है ताकि पूरी ग्राम पंचायत में टिकाऊ और तेज रफ्तार इंटरनेट की सुविधा मिल सके। आज तक 9 राज्यों (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक) तथा 2 केंद्रशासित प्रदेशों (चंडीगढ़ और पुडुचेरी) की 2500 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई का ढांचा स्थापित हो चुका है। 650 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सेवाएं आरंभ की जा चुकी हैं।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से सहयोग

सीएससी की वर्तमान पहल का एक प्रमुख उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मौजूद सभी सेवा पोर्टलों को राष्ट्रीय-स्तर के सार्वभौमिक एवं एकीकृत डिजिटल सेवा (सीएससी) प्लेटफॉर्म से जोड़कर ई-सरकारी सेवाओं की आपूर्ति मजबूत करना है। इसके लिए संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का लगातार सहयोग आवश्यक है। नागरिकों के लिए देश में किसी भी स्थान से ई-सेवाओं का प्रयोग आसान करने के उद्देश्य से राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के पोर्टलों को एक साथ करने में आ रही समस्याएं सुलझाने के लिए यह मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि कुछ राज्य सरकारें राज्य पोर्टल को डिजिटल सेवा पोर्टल से जोड़ने पर सहमत हो गई हैं। इससे सीएससी

अधिक टिकाऊ बनेंगे। झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे अधिकतर राज्यों में राज्य सेवा पोर्टल पहले ही जोड़ दिए गए हैं। राजस्थान, पंजाब जैसे कुछ राज्यों में राज्य सेवा पोर्टलों को जोड़ा जा रहा है।

सीएससी के जरिए आरंभ हो चुकी/आरंभ की जा रही नई सेवाएं

- जीएसटी सेवा प्रदान करने के लिए सीएससी
- तकनीकी प्लेटफॉर्म हो रहे तैयार
- प्रशिक्षण सामग्री का डिजाइन एवं विकास जारी
- मई-जून, 2017 में वीएलई के लिए जिला/ब्लॉक में कार्यशालाओं का आयोजन
- प्रणाली स्वीकार कर चुके व्यापारियों के लिए समुचित प्रोत्साहन ढांचे का विकास।
- **टेली कानून:** कानूनी जानकारी एवं सलाह देने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। वकील और लोगों के बीच यह ई-संवाद सीएससी में मौजूद वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के द्वारा होगा। 1800 ग्राम पंचायतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/चैट/टेलीफोन के जरिए सीएससी में टेली-कानून सेवाएं आरंभ की जानी हैं। बिहार में 500, उत्तर प्रदेश में 500, पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में 800 पंचायतों में ये सेवाएं दी जाएंगी।
- सीएससी को विभिन्न बैंकों की सेवाओं के लिए व्हाइट लेबल बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट के रूप में भी तैयार किया जा रहा है।

निष्कर्ष

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सीएससी सेवाओं तथा सुलभता में सुधार करने के प्रयास करता आ रहा है ताकि डिजिटल एवं सामाजिक रूप से समावेशी समाज का सरकार का आदेश पूरा किया जा सके। सरकार आईसीटी के जरिए ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और नागरिकों को लाभकारी रोजगार मुहैया कराने का टिकाऊ मॉडल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं प्रारूप के जरिए सेवा की आपूर्ति को पुनर्परिभाषित करने के लिए प्रयासरत है। जब राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-स्तर के सेवा पोर्टल डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ जोड़ दिए जाएंगे तब राष्ट्रीय-स्तर के एकीकृत प्लेटफॉर्म सीएससी-डिजिटल सेवा से विभिन्न प्रकार की नागरिक केंद्रित ई-सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। राष्ट्रीय सीएससी पोर्टल (डिजिटल सेवा) में सेवाओं की संख्या पिछले 3 वर्ष में 32 से बढ़ाकर 170 कर दी गई है। नागरिक केंद्रित ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए जारी सीएससी 2.0 परियोजना के दायरे में 4 वर्ष के भीतर (अगस्त, 2019 तक) 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को लाने का लक्ष्य है, जिनमें से 1.66 लाख से अधिक (66 प्रतिशत से अधिक) ग्राम पंचायतें इसके अंतर्गत आ चुकी हैं और नागरिकों को ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए जून, 2017 तक 1.97 लाख सीएससी खोले जा चुके हैं।

(लेखक भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं।)

माल और सेवा कर

जीएसटी हर परिवार के लिए सौगात

आम आदमी जीएसटी का स्वागत करता है



जीएसटी @ 0%

- » खुला खाद्य अनाज
- » ताजी सब्जियाँ
- » बिना मार्का आटा
- » बिना मार्का मैदा
- » बिना मार्का बेसन
- » गुड़
- » दूध
- » अण्डे
- » दही
- » लस्सी
- » खुला पनीर
- » बिना मार्का प्राकृतिक शहद
- » खजूर का गुड़
- » नमक
- » काजल
- » फूल भरी झाड़ू
- » बच्चों की ड्राइंग और रंग की किताबें
- » शिक्षा सेवाएं
- » स्वास्थ्य सेवाएं

जीएसटी @ 5%

- » चीनी
- » चायपत्ती
- » कॉफी के भुने दाने
- » खाद्य तेल
- » स्किन्ड दूध पाउडर
- » शिशुओं के लिए दूध का आहार
- » पैकड पनीर
- » काजू
- » किशमिश
- » पीडीएस केरोसीन
- » घरेलू एलपीजी
- » जूते-चप्पल (₹ 500 तक)
- » कपड़े (₹ 1,000 तक)
- » अगरबत्ती
- » कॉयूर मैट

आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं की कीमतों को कम करने हेतु एकल कर

जीएसटी @ 12%

- » मकखन
- » घी
- » बादाम
- » फ्रूट जूस
- » पैकड नारियल पानी
- » सब्जियों, फलों, नट्स एवं पौधों के अन्य भागों से निर्मित खाद्य पदार्थ जिसमें अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम और जैली शामिल है
- » छाला
- » मोवाइल

जीएसटी @ 18%

- » केश तेल
- » टूथपेस्ट
- » साबुन
- » पारस्ता
- » कॉर्न फ्लैक्स
- » सूप
- » आइसक्रीम
- » टॉयलेट्रीज़
- » कम्प्यूटर
- » प्रिंटर

dep. 1562/13000/1716

81 प्रतिशत वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत या उससे कम है।

कर का भुगतान, देश का निर्माण



जीएसटी संबंधित किसी भी जानकारी के लिए @askGST_Gov पर ट्वीट करें



केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वाणिज्यिक कर विभाग
www.cbec.gov.in, www.cbec-gst.gov.in

बदलता ग्रामीण परिवेश और डिजिटल प्रौद्योगिकी

—सुनीता सांघी

—साक्षी खुराना

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रसार में अभूतपूर्व वृद्धि होने से इन क्षेत्रों के रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। परंतु, इस प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए नवीन दृष्टिकोण और एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है। ग्रामीण भारत पर डिजिटल क्रांति का प्रभाव समझने, विशेष रूप से कौशल और रोजगार के मामले में इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ग्रामीण श्रम बाजार को समझना आवश्यक है ताकि युवाओं और मौजूदा श्रमिकों की शिक्षा, कौशल और रोजगार सक्षमता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने की कार्यनीतियां तय की जा सकें।

आज जिस तरह शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और अन्य जन-सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और विभिन्न व्यापार जिस तरह अपना विस्तार महाद्वीपों के पार करने में सक्षम हैं, उसमें प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण बदलाव लाने में प्रमुख भूमिका अदा कर रही है। यह शिक्षित और अशिक्षित के बीच अंतराल समाप्त करने में सक्षम है। इतना ही नहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर समाप्त करने में भी इसकी भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रसार में अभूतपूर्व वृद्धि होने से इन क्षेत्रों के रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। परंतु, इस प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए नवीन दृष्टिकोण और एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है।

ग्रामीण भारत में शिक्षा और रोजगार का परिदृश्य

समग्र श्रमिक बल में ग्रामीण श्रम बाजार की भागीदारी में मामूली वृद्धि हुई है। इसका योगदान 2012-13 में 55.5 प्रतिशत था, जो 2015-16 में बढ़ कर 55.8 प्रतिशत हो गया (श्रम ब्यूरो, 2017)। इसके साथ ही बेरोजगारी की दर में भी मामूली गिरावट आई और यह 2012-13 की 3.5 प्रतिशत से घट कर 2015-16 में 3.4 प्रतिशत रह गई। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक बल में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण गिरावट आई है और महिलाओं का योगदान करीब 21 प्रतिशत रह गया है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि या तो रोजगार उपलब्ध नहीं हैं, या फिर महिलाएं अपने निवास स्थान से बाहर नहीं जाना चाहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं मुख्यतः हस्तशिल्पों, हथकरघा, बुनियादी खाद्य प्रसंस्करण और पापड़ तथा अचार बनाने जैसे सूक्ष्म उद्यमों आदि में संलग्न हैं। उनकी सीमित सामाजिक गतिशीलता अक्सर उन्हें रोजगार और कौशल विकास के अवसरों में शामिल होने से रोकती

हैं, चूंकि ये अवसर उनके घरों से दूरी पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन – एनएसएसओ की शिक्षा रिपोर्ट (जनवरी-जून, 2014, 71वां दौर) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 71.2 प्रतिशत महिलाएं मात्र प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करती हैं और 37.6 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं। इसकी तुलना में पुरुषों में निरक्षरता 19.8 प्रतिशत है और 37.7 प्रतिशत पुरुष प्राथमिक-स्तर तक शिक्षा प्राप्त हैं। केवल 7.1 प्रतिशत पुरुष और 4.5 प्रतिशत महिलाएं हायर सेकेंडरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। ग्रामीण आबादी का बहुत छोटा हिस्सा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर तक पहुंचता है। शिक्षा का स्तर कम रहने के कारण वे कम वेतन वाले रोजगार ही हासिल कर पाते हैं, जिसका उनकी क्रयशक्ति और जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

भारत को जो जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त हैं उसका एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं और शिक्षा या साक्षरता का स्तर





कम होने के कारण कम वेतन वाले रोजगार करते हैं। इन युवाओं की रोजगार सक्षमता और उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उपाय किए गए हैं, परंतु जागरूकता और कौशल के अभाव के कारण उनकी गतिशीलता सीमित रह जाती है। इस बारे में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। निम्नांकित खंडों में वर्तमान डिजिटल उपायों पर विचार किया जाएगा, जो समूचे देश के लिए नीतिगत पहल का हिस्सा हैं। इन उपायों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल और रोजगार परिदृश्य में सुधार लाना है।

डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ग्रामीण भारत की क्षमता का विस्तार : प्रमुख पहल

भारत सरकार ने 2014 में 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसका लक्ष्य देश को डिजिटल रूप से सक्षम समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को एक बुनियादी सेवा के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने, उन्हें एक विशिष्ट, जीवनपर्यंत, ऑनलाइन और प्रामाणिक पहचान देने; मोबाइल फोन और बैंक खाता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि वे व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल और वित्तीय सेवा क्षेत्र में शामिल हो सकें, सामान्य सेवा केंद्र तक उनकी आसान पहुंच कायम हो, जो ग्रामीण और दूरदराज के स्थानों पर लोगों को सरकार की ई-सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सभी के लिए डिजिटल साक्षरता पर भी इस कार्यक्रम में बल दिया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गहन डिजिटल प्रसार के लिए, सरकार ने एक अभियान के रूप में भारत नेट कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों (60 करोड़ से अधिक ग्रामीण नागरिकों) को 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट किया जा सके। इससे ब्रॉडबैंड और ध्वनि के प्रसार के मामले में ग्रामीण कवरेज अंतराल समाप्त किया जा सकेगा। देश में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने संबंधी कवरेज में महत्वपूर्ण इजाफा हुआ है। जून, 2014 में ऑप्टिकल फाइबर कवरेज मात्र 358 किलोमीटर की थी, जो जनवरी, 2017 में बढ़कर 1.72 लाख किलोमीटर पर पहुंच गई और इसके दायरे में 76,000 से अधिक ग्राम पंचायतें आ गईं।

इसके अलावा 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (पीएमजीडीआईएसएचए) शुरू किया गया है, जो विश्व के सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में से एक है। इसका लक्ष्य मार्च, 2019 तक ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करना है। इसके तहत 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समान भौगोलिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों से उम्मीद की जा रही है कि उनमें से प्रत्येक पंचायत औसतन 200-300 उम्मीदवारों को पंजीकृत करे। डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) के प्रारंभिक चरण में देशभर में सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में 52.5 लाख व्यक्तियों को आईटी प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता तथा अधिकृत राशन व्यापारी शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिए कॉमन सर्विस सेंटरों (सामान्य सेवा केंद्रों) के नेटवर्क के जरिए पीएमजीदिशा को सुदृढ़ किया जा रहा है। ये केंद्र छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनसे ये उम्मीद की जा रही है कि कम्प्यूटरों/डिजिटल एक्सेस डिवाइसों के प्रचालन के लिए अपेक्षित सूचना, ज्ञान और कौशल तक पहुंच के जरिए महिलाओं और पुरुषों, विशेष रूप से युवाओं का सशक्तीकरण होगा। डिजीगांव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि डिजिटल प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के जरिए टेली-मेडिसिन, शिक्षा और कौशल प्रदान किया जा सके। इस कार्यक्रम के जरिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।

समावेशी विकास के लिए, सरकार डिजिटल समावेशन को प्रोत्साहित दे रही है। इसके अंतर्गत मार्च, 2019 तक 55,000 से अधिक गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है और जन-धन खाता, डेबिट कार्ड, आधार भुगतान, भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) जैसे उपाय किए जा रहे हैं, ताकि बिचौलियों की भूमिका समाप्त की जा सके और डिजिटल लेनदेन के जरिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में अंतरित किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनवरी 2017 तक 1569.3 करोड़ खातों को डिजिटल लेनदेन के साथ जोड़ा जा चुका था। वर्ष 2017-18 के दौरान 2500 करोड़ खातों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रमुख व्यवसाय है, जिसे (i) निवेश सामग्री के वितरण में कमी; (ii) मौसम, मूल्य और व्यापार नीतियों के कारण खेती में बढ़ते जोखिम; (iii) जोत क्षेत्रों का आकार छोटा होने, घटते जाने और विखंडित होने; (iv) बाजार अक्षमताएं बढ़ते जाने और कृषि-कचरे में बढ़ोतरी तथा (v) गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित होने (कृषि पैदावार संबंधी कार्यदल, 2010) जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये ऐसी चुनौतियां हैं, जो प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न उपलब्धियों के जरिए किए गए योगदान को व्यर्थ कर देती हैं। इन चुनौतियों के कारण खेती की आमदनी और भारतीय कृषि के भविष्य पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है।

एक बाजार क्षेत्र से दूसरे बाजार क्षेत्र में कृषि जिंसों का मुक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए सरकार ने 2015 में ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म फॉर नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट) की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य किसानों को लाभ पहुंचाना है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म के जरिए एकीकृत बाजार उपलब्ध कराती है। इससे नीलामी प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है तथा किसान की पहुंच एक राष्ट्रव्यापी बाजार तक कायम होती है। किसान को उसकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य मिलता है और भुगतान की व्यवस्था भी ऑनलाइन की जाती है। इससे उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर बेहतर क्वालिटी की चीजें उपलब्ध होती हैं। अभी तक 13 राज्यों में 417 मंडियां ई-नाम प्लेटफार्म के साथ जुड़ चुकी हैं। फसलों, बाजार भाव से संबंधित सूचना सही और समय पर प्राप्त करने में किसानों को सक्षम बनाने के लिए कई एप शुरू किए गए हैं। बाजार विश्लेषण उपलब्ध होने से किसानों को उत्पादकता और लाभ बढ़ाने में मदद मिलती है। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इस कार्य में अधिक योगदान करें, जिससे किसानों को डिजिटल प्लेटफार्म से लाभ उठाने के लिए उत्साहित किया जा सके। अब यह सवाल पैदा होता है कि ये डिजिटल/प्रौद्योगिकी विषयक उपाय ग्रामीण क्षेत्र में कौशल और रोजगार के परिदृश्य को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।

रोजगार और कौशल विकास पर प्रभाव

युवाओं के लिए कृषि और अनुषंगी गतिविधियों को आकर्षक बनाने, उपज की गुणवत्ता में सुधार लाने और किसानों और उनकी पैदावार को व्यापक बाजारों के साथ जोड़ने में प्रौद्योगिकी ध्रुवीय भूमिका निभा सकती है। विश्वभर में प्रौद्योगिकी ने कार्यक्षमता में सुधार लाने और कृषि व्यापार के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लागत में कमी लाने में योगदान किया है। उदाहरण के लिए, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इस्तेमाल के जरिए किसानों को महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र करने और उनका मिलान करने में मदद मिलती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार होता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) की कवरेज का विस्तार मौजूदा 250 बाजारों से बढ़ कर 585 कृषि उपज विपणन समितियों तक होने से किसानों को उत्पादन और उपज के विपणन के विभिन्न चरणों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का कौशल बढ़ाने का अवसर मिला है।

ब्रॉडबैंड तक पहुंच बढ़ने से बेहतर प्रौद्योगिकी, नवाचार और बाजार तक पहुंच के जरिए कृषि क्षेत्र और लघु उद्यमियों की उत्पादकता पर असर पड़ेगा। हाल में शुरू किए गए भीम एप के इस्तेमाल के जरिए पेट्रोल पंपों, उर्वरक गोदामों, नगर पालिकाओं, खंड कार्यालयों, सड़क परिवहन कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों में डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों से बैंकिंग प्रतिनिधियों और अन्य डिजिटल केंद्र ऑपरेटरों के रूप में प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और सभी ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं, विशेषकर

युवाओं की डिजिटल साक्षरता में बढ़ोतरी हुई है। ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, ई-बैंकिंग आदि सेवाओं के संचालन के रूप में रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा मोबाइल ऑपरेटरों की मदद से संचालित प्रतिबद्ध भुगतान बैंकों की अवधारणा का ग्रामीण क्षेत्रों को व्यापक बाजारों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान है। ये ऑपरेटर ग्राहकों को मोबाइल वॉलेट्स पर नकदी लोड करने और देशभर में भुगतान भेजने में सक्षम बनाते हैं।

कॉमन सर्विस सेंटरों का नेटवर्क छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में 300 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहा है। इनमें आधार पंजीकरण, टिकट बुकिंग सेवाओं से संबंधित बिलों का भुगतान, टेली-मेडिसिन, कौशल संबंधी सेवाएं, डिजिटल साक्षरता आदि शामिल हैं। ये केंद्र संचालित हैं और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इन्हें निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि देशभर में कार्यरत 2.05 लाख कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पहले ही सृजित कर चुके हैं। इनमें 34,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। इन केंद्रों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि वे स्वयं के संचालन के लिए भर्ती किए जाने वाले स्टाफ को रोजगार प्रदान करने के साथ ही डिजिटल साक्षरता अभियान के हिस्से के रूप में युवाओं और ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षण तथा डिजिटल साक्षरता प्रदान करते हैं, जिससे उनकी रोजगार सक्षमता में व्यापक बढ़ोतरी हो सकती है। इन उपायों से शासन में ग्रामीण आबादी की सहज और सक्षम भागीदारी को भी बढ़ावा मिलता है।

ग्रामीण उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण प्रदान करने के प्रमुख कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत गैर-कृषि गतिविधियों और अनुषंगी कृषि गतिविधियों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन आदि के लिए भी 10 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। मुद्रा कार्यक्रम की विशिष्टता यह है कि इसमें एक मुद्रा कार्ड शामिल है, जिसके जरिए एटीएम और कार्ड मशीनों के जरिए कार्यशील पूंजी तक पहुंच प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 1.80 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड ऋण मंजूर किए गए, जिनसे उद्यमियों को भारी लाभ पहुंचा। कौशल विकास कार्यक्रम से मुद्रा योजना को और भी बल मिला है, जिसके अंतर्गत 45 लाख परिवारों को कवर किया गया है। सरकार के प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), से उन युवाओं को विशेष रूप से लाभ पहुंचने की उम्मीद है, जिन्होंने स्कूल/कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है, या जो बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र कम्प्यूटर कौशल, उद्यमशीलता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य भी निर्दिष्ट किए गए हैं।

डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए सरकार ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्सों को कवर करने के प्रयास कर रही है, जिसके माध्यम

से परिष्कृत शासन, भूमि रिकॉर्ड, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि तथा व्यक्तिगत एवं सरकारी रिकॉर्डों की हिफाजत के लिए उनका डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाने, जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन सबसे उद्यमशीलता के असंख्य आयाम उपलब्ध होते हैं और साथ ही ग्रामीण बाजारों में मौजूदा व्यापार को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए प्रशिक्षण और विकास से जुड़े एक संगठन, स्वयं शिक्षण प्रयोग (एसएसपी) के एक कार्यक्रम आरोग्य सखी के जरिए ग्रामीण महिला उद्यमी एक मोबाइल अप्लीकेशन की मदद से गांवों में लोगों की दहलीज पर निवारक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करती है। आरोग्य सखी कार्यक्रम के अंतर्गत एसएसपी ऐसी महिलाओं का चयन करता है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो भूमिहीन हों, लेकिन जिन्होंने बुनियादी शिक्षा प्राप्त की हो, जो स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक सेवा में रुचि रखती हो और जिसके सामाजिक संबंध सुदृढ़ हों और जो उद्यमी भी हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाएं टैबलेट और मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों जैसे ग्लूकोमीटर, रक्तचाप जांच मशीन आदि के साथ घर-घर जाकर ग्रामीण महिलाओं से आंकड़े एकत्र करती हैं। इन आंकड़ों को डॉक्टर किसी भी स्थान से एक्सेस कर सकते हैं, जो दूर बैठे रोगियों को आवश्यक परामर्श दे सकते हैं। इस तरह डिजिटल प्रौद्योगिकी में सर्वाधिक अलग-थलग पड़े ग्रामीण समुदाय के सशक्तीकरण और उन्हें स्वरोजगार प्रदान करने की महत्वपूर्ण क्षमता है।

ग्रामीण रोजगार परिदृश्य में मूलभूत परिवर्तन हो रहा है। इसके अंतर्गत संगठित कंपनियों गांवों में काम कर रही हैं और युवाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में मदद करती हैं। ऐसे उदाहरणों में एक कंपनी रूरलशोर्स है, जो ग्रामीण युवाओं को नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ) के क्षेत्र में सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद रोजगार प्रदान करती है। यह कंपनी 10 राज्यों में 17 केंद्रों पर 2500 से अधिक कर्मचारियों (जिनमें लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं) को रोजगार प्रदान कर चुकी है। ये केंद्र 30 से अधिक ब्लूचिप ग्राहकों को 45 से अधिक प्रक्रियाएं प्रदान कर रहे हैं। रूरलशोर्स वर्तमान में अपने को उन कंपनियों के लिए लास्ट-माइल (अंतिम मील) बिजनेस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए तैयार कर रही है, जो अपने अगले विस्तार के लिए ग्रामीण भारत पर निगाह रखे हुए हैं। इस प्रक्रिया से हजारों ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कंपनी ने इसके तहत ऐसे एक लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने का व्यापक लक्ष्य रखा है। रूरलशोर्स अपने कर्मचारियों को सीजनल परिवार आय जुटाने में मदद करती है ताकि वे शहरी क्षेत्रों में प्रवास किए बिना ही निरंतर मासिक आमदनी हासिल कर सकें। कंपनी का यह प्रयास इस बात का उदाहरण है कि प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में मददगार बन सकती है, जिसमें युवाओं को शहरी क्षेत्रों में पलायन करने या सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कुछ और उपाय किए जाएं, तो ग्रामीण रोजगार परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाया जा सकता है।

भावी कार्यक्रम

कौशल विकास कार्यक्रमों का उन्नयन: सुविधाओं के अभाव वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल समितियों और कौशल-वर्धन केंद्रों जैसे प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना (गुजरात) के जरिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं, जो स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम मोबाइल प्रशिक्षण के जरिए संचालित किए जा सकते हैं, जिनमें स्कूल और पंचायत भवनों तथा अन्य वर्तमान सार्वजनिक ढांचों का इस्तेमाल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

डिजिटल शिक्षा के बारे में पहुंच और जागरूकता का प्रसार : राज्य सरकारों को ग्रामीण संस्थाओं जैसे पंचायत संस्थाओं, कॉमन सर्विस सेंटरों, स्वयंसहायता समूहों, सहकारी संस्थाओं, कृषक उत्पादक संगठनों, कृषि समितियों, गैर-सरकारी संगठनों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों, भारतीय डाक, उर्वरक निगम आदि को उन्नत बनाना चाहिए ताकि वे इस क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा और सरकार के विभिन्न उपायों की आवश्यकता के प्रति व्यापक जागरूकता पैदा करें। किसानों के लिए ई-नाम जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण प्रदान करने, दोनों की ही आवश्यकता है। किसानों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करने और डिजिटल प्लेटफार्मों के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य स्थानों पर शिक्षाप्रद होर्डिंग लगाए जाने चाहिए।

कौशल और रोजगार से संबंधित निःशुल्क चैनल शुरू किए जाने चाहिए। स्थानीय टेलीविजन चैनल भी फिल्म आदि प्रदर्शित करते समय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए स्क्रॉल प्रदर्शित कर सकते हैं।

प्रौद्योगिकी के जरिए लिंग संबंधी अंतराल दूर करना: महिलाओं को गैर-परंपरागत कौशल क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, राजगिरी, मैकेनिक्स, प्लंबर, पंपों, टेलीविजन सेटों, मोबाइल फोनों की मरम्मत जैसे कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिए सजग प्रयास किए जाने चाहिए। उन्हें लिंग विषयक व्यवसायों जैसे टेलरिंग, ब्यूटीशियन, पापड़ बनाने आदि तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसमें प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। कम्प्यूटरों के इस्तेमाल, इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी अप्लीकेशनों में महिलाओं को प्रशिक्षण देने से दिहाड़ी और स्वरोजगार दोनों ही दृष्टियों से उनकी रोजगार सक्षमता बढ़ाई जा सकती है। वित्तीय मदद, सुरक्षित यातायात व्यवस्था, समुचित संख्या में महिला प्रशिक्षकों की व्यवस्था, बच्चों की देखभाल के प्रावधान, छात्रावास और पृथक स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देकर महिलाओं को प्रशिक्षण एवं श्रम बाजार में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

स्वयंसहायता समूहों को सुदृढ़ करना : स्वयंसहायता समूह भारत में नई 'सामाजिक अर्थव्यवस्था' के उभरने का उदाहरण हैं। इन स्वयंसहायता समूहों को और मजबूत करने और अधिक

प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे सामूहिक ग्रामीण उद्यमशीलता का प्रारूप हैं, जो ग्रामीण नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए सतत आय सृजित कर सकते हैं। इस कार्य में डिजिटल साक्षरता महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ग्रामीण लोगों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं को शिक्षित बनाने से उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक उद्यम स्थापित करने और उनका विकास करने में सक्षम बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सरकार ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व में अधिक आजीविका स्टोर खोलने की योजना बना रही है, ताकि स्वयंसहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए उन्हें बिक्री केंद्र प्रदान किए जा सकें। इन महिलाओं को डिजिटल प्रौद्योगिकी कौशल और भुगतान पद्धति का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इस तरह स्वयंसहायता समूहों की उत्पादन गतिविधियों को और भी मजबूती प्रदान की जा सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास संबंधी उत्कृष्ट पद्धतियां : एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें विभिन्न राज्यों

द्वारा किए गए उपायों से संबंधित सफलता की कहानियां/ नवाचार के उपायों को स्थानीय निकायों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा नियमित आधार पर प्रदर्शित/साझा किया जा सके। इससे इन प्रयासों को उन्नत बनाने और उनका अनुसरण करने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण परिदृश्य डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए रूपांतरित हो रहा है, जिससे रोजगार के प्रचुर अवसर भी पैदा हो रहे हैं। कौशल विकास और उन्नयन पुरुषों और महिलाओं, विशेषकर युवाओं की रोजगार सक्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। एकजुट और तीव्र प्रयासों के जरिए यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और रोजगार की व्यापक संभावनाओं का दोहन कर सकें और साथ ही वर्तमान रोजगार का स्तर बढ़ा सकें।

(लेखिका नीति आयोग भारत सरकार में परामर्शदाता हैं; डॉ. साक्षी खुराना नीति आयोग, भारत सरकार में वाईपी सदस्य (आरसी) हैं।

ईमेल : ssanghi@gov.in

उमंग एप

उमंग (यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस अर्थात् नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन) का उद्देश्य ई-गवर्नेंस को 'मोबाइल प्रथम' बनाना है। इसका विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन द्वारा किया गया है। यह एक विकासमान मंच है, जो भारत के नागरिकों को अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इन सेवाओं में केंद्रीय, राज्य, स्थानीय निकायों और सरकार की एजेंसियों की सेवाएं शामिल हैं, जिनके लिए एप, वेब, एसएमएस और आईवीआर चैनलों के जरिए एक्सेस प्रदान की जाती है।

इस एप की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

यूनिफाइड प्लेटफॉर्म : यह सभी सरकारी विभागों और उनकी सेवाओं को एकल मंच पर लाता है ताकि नागरिकों को बेहतर और आसानी से सेवाएं प्रदान की जा सकें।

मोबाइल प्रथम कार्यनीति : यह सभी सरकारी सेवाओं को मोबाइल प्रथम कार्यनीति के साथ जोड़ता है ताकि मोबाइल रखने की प्रवृत्ति का लाभ उठाया जा सके।

डिजिटल इंडिया सेवाओं के साथ एकीकरण : यह आधार, डिजी-लॉकर, और पे-जीओवी जैसी अन्य डिजिटल इंडिया सेवाओं के साथ निर्बाध एकीकरण प्रदान करता है। कोई भी ऐसी नई सेवा इस प्लेटफॉर्म के साथ स्वतः जुड़ जाएगी।

एक समान अनुभव : इसका डिजाइन यह बात ध्यान में रख कर तैयार किया गया है कि इससे नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं को आसानी से खोजने, डाउनलोड करने, उन तक पहुंच कायम करने और उनका उपयोग करने में आसानी रहे।

सुरक्षित और सुगम : यह सेवा पहुंच के लिए आधार और अन्य प्रमाणीकरण व्यवस्थाओं से जुड़ी है। संवेदनशील प्रोफाइल डाटा एंक्रिप्टिड फॉर्मेट में सेव होता है और ऐसी सूचना को कोई अवांछित व्यक्ति नहीं देख सकता।

इस एप के जरिए निम्नांकित सेवाएं उपलब्ध हैं :

सीबीएसई : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े सभी विद्यार्थी अपने परीक्षा केंद्रों का पता लगा सकते हैं और अपने परीक्षा परिणाम देख सकते हैं।

एनसीईआरटी : इसके जरिए विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और स्कूल एनसीईआरटी द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में उपलब्ध कराई गई विषयवस्तु को श्रेणीवार और विषयवार देख सकते हैं।

एआईसीटीई : नागरिक एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों और पाठ्यक्रमों की तलाश कर सकते हैं।


मृदा स्वास्थ्य कार्ड : एसएचसी यानी सॉयल हेल्थ कार्ड फसलवार पोषक तत्वों और उर्वरकों की अनुशंसा करने में मदद करता है। इससे अलग-अलग खेत के लिए किसानों को उर्वरकों की मात्रा का आकलन करने में मदद मिलती है ताकि पैदावार में सुधार किया जा सके। नागरिक उमंग में इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड देख सकते हैं।

पीएमकेवीवाई : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग के लिए प्रारंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इससे उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। नागरिक पीएमकेवीवाई के अंतर्गत एक उम्मीदवार के रूप में आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

एमओएचयूपीए : आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय एक ऐसी एजेंसी है, जो शहरी गरीबी उपशमन, आवास और रोजगार कार्यक्रमों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। उमंग में इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके नागरिक पीएमएवाई कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

फसल बीमा : फसल बीमा ओला वृष्टि, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि की भरपाई करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, कृषि जिनसे के मूल्यों में गिरावट से होने वाली राजस्व की हानि की भरपाई भी इसके जरिए की जाती है।

ओआरएस : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम (ओआरएस) के जरिए देशभर में विभिन्न अस्पतालों को जोड़ा गया है ताकि नागरिक नियुक्तियां बुक/रद्द कर सकें तथा प्रयोगशाला और रक्त उपलब्धता की रिपोर्टों को ऑनलाइन देख सकें।



भारतीय कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

—समीरा सौरभ

खेती में आजकल सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे ई-कृषि भी कहते हैं, का काफी तेजी से विकास हो रहा है और कृषि पर प्राथमिक ध्यान के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कृषि के प्रयोग के नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। कृषि में आईसीटी खेती की कुछ चुनौतियों के विभिन्न प्रकार के समाधान पेश करती है। इसे 'उभरता हुआ क्षेत्र' माना जा रहा है, जो बेहतर सूचना एवं संचार प्रक्रियाओं के जरिए कृषि तथा ग्रामीण विकास में तेजी लाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय कृषक नीति में भी किसानों को सही सलाह एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी के उपयोग पर जोर दिया गया है।

ग्रामीण भारत का भविष्य संभावनाओं से भरा है। अनुमान है कि 2025 तक भारत की 55 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा होगी। ग्रामीण भारत में रहने वाला औसत ग्रामीण पहले ही वर्ल्डवाइड वेब के कमाल के बारे में सामान्य जानकारी रखता है और दुनिया तथा अपनी आजीविका को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में समझने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना चाहता है। बताया जाता है कि 2016 में भारत में इंटरनेट का प्रयोग करने वाले 23.4 करोड़ लोग स्थानीय भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। इस संख्या में 18 प्रतिशत की सालाना दर से वृद्धि होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय कृषक नीति किसानों को सही सलाह एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए गांव में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग पर जोर देती है।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। 54 प्रतिशत आबादी खेती एवं संबंधित गतिविधियों में जुटी है (2011 की जनगणना) और देश की सकल मूल्य वृद्धि (वर्तमान मूल्य 2015-16, 2011-12 शृंखला) में इसका 17 प्रतिशत योगदान है। कृषि क्षेत्र की अहमियत देखते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के जरिए मिट्टी की उर्वरता में लगातार सुधार के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के जरिए सिंचाई की बेहतर सुविधा एवं पानी की बेहतर उपलब्धता प्रदान करने के लिए, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के जरिए जैविक खेती में सहायता करने और किसानों की आय बढ़ाने हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना में मदद करने के लिए कदम उठाए गए

हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने के लिए एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) आरंभ की गई है।

कृषि में राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (एनईजीपी-ए)

देशभर में एनईजीपी-ए क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है और इसका उद्देश्य केंद्रीय कृषि पोर्टल (कैप) एवं राज्य कृषि पोर्टल (सैप) के जरिए एकीकृत तरीके से सरकार से नागरिक/किसान (जी2सी अथवा जी2एफ), सरकार से कारोबार (जी2बी) और सरकार से सरकार (जी2जी) कृषि सेवाएं प्रदान करना है।

उद्देश्य

- कार्यक्रमों में किसानों को केंद्र में लाना तथा सेवोन्मुखी बनाना।
- विस्तार सेवाओं का दायरा एवं प्रभाव बढ़ाना।
- समूचे फसल चक्र के दौरान किसानों को बेहतर ढंग से जानकारी एवं सेवाएं उपलब्ध कराना।
- केंद्र एवं राज्यों के मौजूदा आईसीटी कार्यक्रमों का उपयोग करना, उनमें वृद्धि करना तथा उन्हें एकीकृत करना।



टेलीफोन – इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स
कंप्यूटर एवं वेबसाइट – कृषि जानकारी एवं बाजार
प्रसारण – विशेषज्ञता की साझेदारी, परामर्श, समुदाय
उपग्रह – मौसम, सार्वभौमिक उपलब्धता, रिमोट सेंसिंग
मोबाइल – परामर्श, बिक्री, बैंकिंग, नेटवर्किंग
इंटरनेट एवं ब्रॉडबैंड – जानकारी साझा करना, सोशल मीडिया, ई-समुदाय, बैंकिंग, बाजार प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग आदि
सेंसर नेटवर्क्स – त्वरित (रियल टाइम) जानकारी, जानकारी की बेहतर गुणवत्ता तथा जानकारी एवं बेहतर निर्णय
जानकारी भंडारण एवं विश्लेषण – सूक्ष्म कृषि, कार्रवाई करने योग्य जानकारी

स्रोत: एफएओ, आईटीयू

संबंधित गतिविधियों की अभी तक भारत के रोजगार में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। अनुमान है कि 72 प्रतिशत किसानों के पास सूचना के विश्वसनीय स्रोत नहीं हैं और इस कारण वे ऋण प्राप्त करने एवं फसल की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। भारत में लगभग 94 प्रतिशत किसान जानकारी के पसंदीदा स्रोत के रूप में 'साथी किसानों' पर, 10 प्रतिशत कृषि व्यापारियों पर, 4 प्रतिशत टीवी/रेडियो पर और केवल 3 प्रतिशत कृषि विस्तार अधिकारियों पर निर्भर रहते

- प्रक्रिया नए सिरे से तैयार कर कार्यक्रमों की प्रभाविता एवं क्षमता बढ़ाना।
- डीएसी की योजनाओं का अधिक प्रभावी प्रबंधन।
- सभी राज्यों में साझा रूपरेखा को बढ़ावा देना।

एनईजीपी-ए के अंतर्गत भारत सरकार की सहायता की अवधि एवं प्रकृति

- 5 वर्ष की समग्र ऑनसाइट वारंटी के साथ हार्डवेयर एवं सिस्टम सॉफ्टवेयर।
- विभिन्न सरकारी संगठनों में उपयोगकर्ताओं को तथा साझा सेवा केंद्रों में ग्राम-स्तर के उद्यमियों को बुनियादी आईटी प्रशिक्षण प्रदान करना।
- प्रशिक्षण केंद्रों की साइट तैयार करने के लिए पूरी सहायता देना तथा अन्य साइटों में 55 प्रतिशत हिस्सा देना।
- पहले तीन वर्ष के लिए कर्मचारियों पर होने वाले खर्च का 100, 70 और 50 प्रतिशत वहन करना।
- अंतिम उपयोगकर्ता स्थान के लिए तीन वर्ष तक 11,000 रुपये प्रति स्थान प्रतिवर्ष की औसत दर से स्वान (इंट्रानेट एवं इंटरनेट) अथवा प्रत्यक्ष इंटरनेट संपर्क के लिए संपर्क शुल्क।
- प्रिंटर कार्ट्रिज आदि जैसी सामग्री के लिए तीन वर्ष तक 7,500 रुपये प्रति ब्लॉक, 10,500 रुपये प्रति जनपद मुख्यालय और 30,000 रुपये प्रति राज्य मुख्यालय की दर से राशि रखी गई है।
- चुनिंदा मंडियों एवं एकीकृत ई-मंडियों में आईटी बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग।
- ई-कीट निगरानी के लिए हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरण।

कृषि एवं मार्केटिंग माध्यमों पर जानकारी

भारत के किसान ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और कृषि एवं

हैं। विस्तार सेवाओं के द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी को अविश्वसनीय अथवा सही नहीं होने के कारण कम कारगर माना जाता है। आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने की राह में यह बाधा है; इसीलिए विकसित एवं अन्य विकासशील देशों के खेतों में होने वाली सबसे अच्छी और सतत फसल प्राप्ति की तुलना में भारत में फसल की प्राप्ति केवल 30 से 60 प्रतिशत है।

भौतिक ढांचे (जैसे भंडारण, दुलाई), नियामकीय (जैसे एपीएमसी अधिनियम, कृषि में प्रयोग होने वाली सामग्री/मार्केटिंग लाइसेंस) एवं सामाजिक-आर्थिक (जैसे वित्तीय समावेश, एकत्रीकरण) की समस्याओं का निपटारा तो करना होगा, लेकिन **पेशेवरों द्वारा संभाला जाने वाला आईसीटी प्लेटफॉर्म कृषि मूल्य शृंखला** के विभिन्न अंगों को एक साथ ला सकता है और कृषि वृद्धि में उत्प्रेरक की तरह काम कर सकता है।

कृषि में आईसीटी खेती की कुछ चुनौतियों के विभिन्न प्रकार के समाधान पेश करती है। इसे 'उभरता हुआ क्षेत्र' माना जा रहा है, जो बेहतर सूचना एवं संचार प्रक्रियाओं के जरिए कृषि तथा ग्रामीण विकास को तेज करने पर केंद्रित है। इस संदर्भ में आईसीटी ऐसा शब्द है, जिसमें उपकरणों, नेटवर्क, मोबाइल, सेवाओं एवं अनुप्रयोगों समेत सूचना एवं संचार की सभी प्रौद्योगिकियां समाहित हैं।

ई-कृषि का दायरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि कृषि क्षेत्र में आईसीटी के नए अनुप्रयोग सामने आते जा रहे हैं। वास्तव में ई-कृषि में खेती पर मुख्य ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में आईसीटी के प्रयोग के नए तरीकों का विचार करना, डिजाइन बनाना, विकास करना, मूल्यांकन करना एवं प्रयोग करना शामिल है। मानकों, नियमों, पद्धतियों एवं साधनों तथा व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं का विकास तथा नीतिगत सहायता का प्रावधान ई-कृषि के प्रमुख घटक हैं।



स्रोत: एफएओ, आईटीयू

डिजिटल इंडिया में सरकारी तथा संबंधित आजीविका सेवाओं की ई-सुविधा प्रदान कर नागरिकों को सशक्त करने की परिकल्पना है। परियोजना में 3 प्रमुख घटक हैं— डिजिटल बुनियादी ढांचा, डिजिटल सेवाएं एवं डिजिटल साक्षरता। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सेवा प्रदान करने का पसंदीदा माध्यम मोबाइल फोन है और इसमें एम गवर्नेंस तथा एम सर्विसेज पर ध्यान दिया गया है। एम सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले 7 घटकों में से एम एग्रीकल्चर तथा एम ग्रामबाजार का कृषि विस्तार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

आईसीटी से संचालित समग्र कृषि प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है:

- एसएमएस, वॉयस एवं मोबाइल एप के जरिए **समग्र भारत में सभी दूरसंचार कंपनियों एवं हैंडसेटों पर** दी जाने वाली कृषि सूचना सेवा।
- जमीन से जुड़ा काम करने वाले **300 से अधिक** कृषि बाजार रिपोर्टर तथा पीएचडी एवं सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के कृषि उद्योग अनुभव वाले **राज्य/राष्ट्रीय-स्तर के कृषि विशेषज्ञों के दल** द्वारा संचालित **10,000 से अधिक सूचना स्रोत**।
- **9 भाषाएं** बोलने वाले **90 से अधिक** टीम सदस्यों वाला समर्पित **कृषि कॉल सेंटर**।
- **भारतीय किसानों के लिए** विशेष तौर पर तैयार किए गए **सीआरएम तथा ईआरपी सॉल्यूशन**।
- कृषि उत्पाद के **एकत्रीकरण** तथा मांग/आपूर्ति के अनुरूप

क्षमता वाला **कृषि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म**, जिसे जमीनी-स्तर पर काम करने वाली **कृषि मार्केटिंग टीम** से तकनीकी सहायता मिलती है।

किसान कॉल सेंटर (केसीसी) योजना

कृषि में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, अधिक उपज वाले बीजों के विकल्प बढ़ने के साथ आज के किसान को विशेषज्ञ की सलाह की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, जिसके साथ वे फसल से जुड़ी समस्याएं साझा कर सकें और बचाव के तरीके सीख सकें। **किसान कॉल सेंटर (केसीसी)** ऐसा पहला प्रयास है, जिसे इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रफेशनल्स (आईसैप) ने मध्य प्रदेश में आरंभ किया था। किसान कॉल सेंटर आईसीटी और कृषि प्रौद्योगिकी का मिला-जुला रूप है। इसमें बैकएंड डाटा सपोर्ट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जो एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) के भीतर मौजूद होता है। केसीसी किसानों को विषय के विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करने

का मौका देता है, जो समस्या का प्रभावी विश्लेषण करते हैं और सीधे समाधान प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)

यह समूचे भारत में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो मौजूदा एपीएमसी मंडियों को आपस में जोड़कर कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करता है। नाम पोर्टल एपीएमसी से जुड़ी सभी जानकारी एवं सेवाओं के लिए एकल खिड़की सेवाएं मुहैया कराता है। इसमें उपज का आगमन तथा कीमत, खरीद एवं बिक्री के कारोबारी प्रस्ताव तथा कारोबारी प्रस्तावों का उत्तर देने के प्रावधान आदि शामिल हैं। सामग्री (कृषि उपज) की आवाजाही तो मंडियों के जरिए होती है, लेकिन ऑनलाइन बाजार से लेनदेन का खर्च और सूचना की बेतरतीबी कम हो जाती है।

कृषि मार्केटिंग का संचालन राज्य अपने कृषि मार्केटिंग नियमों के तहत करते हैं, जिनके तहत राज्य विभिन्न बाजार क्षेत्रों में बंटा रहता है। उनमें से प्रत्येक का संचालन अलग कृषि उत्पाद एवं विपणन समिति (एपीएमसी) करती है, जिसके मार्केटिंग के अपने अलग नियम (शुल्क समेत) होते हैं। राज्य के भीतर भी बाजारों का इस तरह टुकड़ों में बंटा होना एक बाजार से दूसरे बाजार में कृषि उत्पादों की बेरोकटोक आवाजाही की राह में बाधा बनता है और कृषि उपज के अलग-अलग हाथों में जाने तथा कई प्रकार के मंडी शुल्कों के कारण उपभोक्ता के लिए कीमत बढ़ जाती है, लेकिन किसान को वास्तविक लाभ नहीं मिलता।

ई-नाम के उद्देश्य

- बिक्री के पारदर्शी सौदों के लिए तथा सही मूल्य पता करने

के लिए नियमित बाजारों में राष्ट्रीय ई-बाजार प्लेटफॉर्म। इच्छुक राज्यों को अपने राज्य कृषि विपणन बोर्ड/एपीएमसी के जरिए ई-ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए अपने एपीएमसी अधिनियम में उचित प्रावधान जोड़ने होते हैं।

- राज्य प्रशासन बाजार के अहाते में भौतिक उपस्थिति अथवा दुकान/परिसर होने की पूर्व शर्त के बगैर ही व्यापारियों/ खरीदारों एवं कमीशन एजेंटों को उदारता के साथ लाइसेंस देने की व्यवस्था।
 - व्यापारी का एक ही लाइसेंस राज्य के सभी बाजारों में मान्य होता है।
 - कृषि उपज के गुणवत्ता संबंधी मानकों में एकरूपता और सभी बाजारों में गुणवत्ता की जांच की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान ताकि खरीदार समझबूझकर बोली लगा सकें। अभी तक 25 मंडियां व्यापार के साझा मानदंड बना चुकी हैं।
 - बाजार शुल्क एक ही बार अर्थात् किसान से पहली बार थोक खरीद किए जाने पर ही वसूलने का प्रावधान।
 - किसानों के लिए नजदीकी अथवा चयनित मंडी में अथवा उसके पास ही मिट्टी की जांच की प्रयोगशाला का प्रावधान ताकि किसान मंडी में ही इसका लाभ उठा सकें। रणनीतिक साझेदार की भूमिका व्यापक है, जिसमें सॉफ्टवेयर तैयार करना, उसे नाम के साथ जुड़ने तथा प्लेटफॉर्म चलाने के इच्छुक राज्यों की मंडियों की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप ढालना शामिल है।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (नाम) – किसानों को वास्तव में कितना लाभ?**

राज्यों के वर्तमान एपीएमसी कानूनों के अनुसार किसान

कटाई के बाद फसल की पहली बिक्री केवल नियमित मंडियों अथवा बाजारों में ही कर सकते हैं। इस प्रकार खरीदार भी संबंधित एपीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली मंडियों में ही कारोबार कर पाते हैं। व्यापारियों को भी एक ही राज्य की अलग-अलग मंडियों के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं। 'नाम' साझा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बैठे खरीदार को बेच सकेंगे और खरीदार किसी भी इलाके के किसान से फसल खरीद सकेंगे। खरीदारों को यह लाभ होगा कि प्लेटफॉर्म पर लॉग इन कर उससे जुड़ी देश की किसी भी मंडी से खरीदारी कर सकते हैं।

लेकिन किसान अपनी उपज मंडियों में नहीं ले जाते; वे उसे स्थानीय आढ़तियों को या उपज खरीदने वालों को बेच देते हैं। जो मंडी तक जाते हैं, उनके पास भी दूर बैठकर ऑनलाइन बोली लगाने वाले खरीदारों का ध्यान खींचने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए स्थानीय और ऑनलाइन खरीदारों की संख्या बढ़ने से बेहतर कीमत मिलने की संभावना बहुत कम होती है। किसानों का फायदा तब हो सकता है, जब वे आढ़तियों और स्थानीय मंडियों को अनदेखा कर खुद ही उपज इकट्ठी करने की रणनीतियां बनाएं। कृषक उत्पादक संगठन तथा सहकारी समितियां यहां काम आ सकती हैं और भारी मात्रा में उपज इकट्ठी कर सकती हैं, जो ऑनलाइन बाजार की किसी भी पहल की सफलता के लिए आवश्यक है।

कृषि में आईसीटी के प्रमुख प्रयोग

जीपीएस रिसीवर: कृषि में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के प्रयोग से जियो-फेंसिंग, नक्शे के निर्माण और सर्वेक्षण में फायदा होता है। पिछले कुछ वर्षों में जीपीएस रिसीवरों

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

किसानों के कल्याण के लिए न्यूनतम प्रीमियम, अधिकतम बीमा

प्रीमियम में किसानों के अंशदान में अच्छी-खासी कमी

दावों के झटपट आकलन और शीघ्र निपटान के लिए फोन एवं रिमोट सेंसिंग के जरिए सरल एवं स्मार्ट तकनीक का प्रयोग

नई योजना में प्रीमियम पर लगी पुरानी सीमा समाप्त ताकि किसानों को मिल सके बीमा की संपूर्ण राशि

स्थानीय स्तर के विभिन्न जोखिम और कटाई के बाद के नुकसान को ध्यान में रखकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि मुश्किल के समय में किसान अकेले न पड़ जाएं

की कीमत बहुत कम हुई है, जिससे लोगों के बीच ये अधिक लोकप्रिय हुए हैं। जीपीएस के प्रयोग से आम नागरिक नक्शे बनाने वाले पेशेवर की मदद के बगैर भी सरल मगर बेहद सटीक और डिजिटल नक्शे तैयार कर सकते हैं।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस): खेती विशेषकर सूक्ष्म कृषि (प्रिसिशन फार्मिंग) में जीआईएस का व्यापक उपयोग होता है। मिट्टी के आसान विश्लेषण के लिए जमीन को डिजिटल तरीके से मापा जाता है और उचित भूगणितीय आंकड़ों जैसे भौगोलिक स्थिति तथा परिरक्षा आदि को अन्य सांख्यिकीय आंकड़ों के साथ मिला दिया जाता है। जीआईएस का प्रयोग ऐतिहासिक आंकड़ों एवं नमूनों के जरिए यह तय करने के लिए किया जाता है कि क्या रोपना है और कहां रोपना है।

कृषि में स्मार्टफोन मोबाइल एप: कृषि में मोबाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी लगातार लोकप्रिय हो रहा है। स्मार्टफोन की पैठ बढ़ने के साथ ही गरीबी में लगातार कमी पर बहुआयामी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और पता चला है कि सुलभता ही कृषि क्षेत्र में पूर्ण क्षमता प्राप्त करने की राह में प्रमुख चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्टफोन पहुंचने से आईसीटी सेवाएं सामान्य वॉयस या टेक्स्ट मैसेज से बहुत आगे चली गई हैं। कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा कृषि मशीनरी के लिए कई स्मार्टफोन एप उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 के खरीफ सत्र से लागू करने के लिए प्रस्तुत किया गया। योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए कुल प्रीमियम का केवल 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए केवल 1.5 प्रतिशत प्रीमियम अदा करना है। वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए वार्षिक प्रीमियम 5 प्रतिशत होगा। इस योजना के तहत सरकारी सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। किसानों को पूरी बीमित राशि कटौती के बगैर मिल जाएगी।

वर्तमान बीमा योजनाओं की चुनौतियां

- वर्तमान योजनाओं के बारे में जानकारी कम है। केवल 19 प्रतिशत किसानों को ऐसी योजनाओं के बारे में पता है।
- वित्तीय संस्थानों का कम प्रसार भी बीमा कवरेज में बाधा बनता है।
- फिलहाल फसल के नुकसान का सटीक आकलन करने वाला बुनियादी ढांचा पुराना है, जिससे नुकसान का एक जैसा आकलन करना मुश्किल होता है।
- वर्तमान बीमा योजनाएं किसानों को कीमतों में उतार-चढ़ाव से नहीं बचा पाती।
- उपज तथा कीमत की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि यह हरेक सत्र में बदलती रहती है।
- दावे निपटाने में बहुत अधिक समय लगता है, जबकि 45 दिनों

के भीतर निपटारे का नियम बना हुआ है।

- ऋण की राशि में से प्रीमियम की अनिवार्य कटौती से बैंकों का जोखिम कम होता है, किसानों का नहीं।
- संशोधित एनएआईएस और डब्ल्यूबीसीआईएस में प्रीमियम की दर बहुत अधिक है, जो खरीफ और रबी सत्रों के तीन वर्ष के औसत आंकड़ों पर आधारित बीमित राशि की 10 प्रतिशत है। एनएसएसओ के उन आंकड़ों के पीछे यही प्रमुख कारण है, जिनके अनुसार संस्थागत ऋण लेने वाले केवल 5 प्रतिशत किसान बीमा चुनते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट बताती है कि ऋणों को बीमा से जोड़े जाने पर बैंकों की अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आई है क्योंकि उन पर पहले ही प्राथमिक क्षेत्र की उधारी का बोझ है।

उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास

- किसानों तक आसान पहुंच के लिए किसान कॉल सेंटर का दायरा बढ़े (2018-19)।
- कंपनियों को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटमा) में निवेश की सुविधा देने वाले प्रावधान तैयार हों।
- कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए 'नेशनल प्रोग्राम फॉर स्पेस एप्लिकेशन इन एग्रिकल्चर (एनपीएसएए)' को व्यापक प्लेटफॉर्म बनाना।
- फसलों की कटाई के प्रयोगों (सीसीई) की दक्षता, गति एवं सटीकता में सुधार के लिए और किसानों के दावों का निपटान निर्धारित समयावधि के भीतर सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकियों का प्रयोग 2017-18 में सुनिश्चित किया जाएगा।

निष्कर्ष

कृषि भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शुमार है और पिछड़े इलाकों में गरीबों की स्थिति सुधारने में आईसीटी के प्रयोगों से इसे बहुत लाभ मिल सकता है। यद्यपि भारत में आईटी उद्योग बहुत मजबूत है और तेजी से वृद्धि कर रहा है, लेकिन आईसीटी की उपलब्धता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम रही है। यदि सही समय पर सही सूचना दे दी जाए तो कृषि क्षेत्र के विकास में मदद मिल सकती है। इससे समय पर काम करने, अगले सत्र के लिए रणनीति तैयार करने, बाजार में बदलावों का अनुमान लगाने और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने में मदद मिलती है। कृषि का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि अंतिम उपयोगकर्ता को वाजिब जानकारी कितनी जल्दी मिल जाती है। भारतीय समाज में आईटी की पैठ के वर्तमान सूचकों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है ताकि शहरी-ग्रामीण विभाजन पाटा जा सके।

(लेखिका ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक हैं।)

ई-मेल : sameera.saurabh@gmail.com

डिजिटल ग्रामीण क्रांति : शिक्षा के बारे में पुनर्विचार

—डॉ. तनु कथूरिया
—अभिषेक मुखर्जी

ग्रामीण भारत में नए डिजिटल शिक्षा साधनों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे साधनों का इस्तेमाल व्यापक पहुंच, गुणवत्ता और प्रासांगिक शिक्षा जैसी समस्याओं का समाधान कर सकता है। शिक्षक वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे, इस तरह ऐसे बहुत से इलाकों में शिक्षकों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की इच्छा न होने जैसी समस्याओं का समाधान हो जाता है।

यदि हम पिछले दो दशकों पर नज़र डालें, तो शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव आया है। हमारा जीवन प्रौद्योगिकी से संचालित होने लगा है और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का प्रारंभ एक नवोन्मेष के रूप में सामने आया है। अब किसी को स्कूल तक पहुंच, समय या ढेर सारे पैसों की जरूरत नहीं है! जरूरत है, तो बस अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की। डिजिटल शिक्षा हमारी व्यवस्था में दाखिल हो चुकी है और भारत की विशाल आबादी को शिक्षित बनाने के संबंध में उसके प्रभाव दीर्घकालिक हैं, लेकिन ग्रामीण शिक्षा की गतिहीन अवस्था भारत में शिक्षा संबंधी नीति-निर्माताओं के लिए चिंता का प्रमुख विषय रही है। भारत की 67 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। छात्रों का ग्रामीण-शहरी नामांकन अनुपात 7.5 बहुत अधिक रहा है। नामांकन की इतनी अधिक दर होने के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 साल की आयु तक के लगभग 60 प्रतिशत छात्रों में पढ़ने का बुनियादी कौशल नहीं है और न ही वे गणित के साधारण से सवाल ही हल कर पाते हैं। 14 साल की आयु तक बहुत अधिक संख्या में—लगभग 50 प्रतिशत छात्र स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं, और इससे यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। जहां तक छात्रों का प्रश्न है, प्रचलित सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या और भी अधिक है। ग्रामीण शिक्षा की खराब गुणवत्ता के प्रमुख कारणों में ग्रामीण शिक्षा के निराशाजनक मापदंड, बुनियादी सुविधाओं में असमानताएं, सम्पर्क का अभाव और शिक्षकों की अनुपलब्धता है। हाल के कुछ वर्षों में प्रशिक्षित संसाधनों की उपलब्धता और दूरदराज के इलाकों में जाकर पढ़ाने की उनकी इच्छा बुरी तरह प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, इनमें से बहुत से दूरदराज के क्षेत्र या तो आए दिन प्राकृतिक आपदाओं के शिकार होते रहते हैं या हिंसक राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बने हुए हैं, जिनकी वजह से कुशल शिक्षाविदों को उन इलाकों में भेजना कठिन हो जाता है।

इन रुकावटों पर विचार करते हुए सरकार ने दिसंबर, 2015 में ज्यादा से ज्यादा सेवाओं तक जनता की पहुंच सुगम बनाने के लिए नई पहल करते हुए और पहले से उठाए जा रहे कदमों को व्यापक बनाकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दायरे में विस्तार किया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई 22 पहलों के अंतर्गत ग्रामीण डिजिटल शिक्षा, डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सशक्तीकरण, ऑन-डिमांड गवर्नमेंट सर्विसेज और उद्योग का प्रचार शामिल है।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा को सशक्त बनाना

डिजिटल इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक—ई-क्रांति है, जिसके अंतर्गत विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में ई-टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रामीण भारत को डिजिटलाइज करने पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए इनमें से कुछ कार्यक्रम अनेक तरीकों से प्रारंभ किए गए हैं, ताकि उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जा सके।

1. ई-बस्ता

इस प्रोजेक्ट ने स्कूली पुस्तकों को ई-बुक्स के रूप में डिजिटल स्वरूप में सुगम्य बनाने का एक ढांचा तैयार किया है,





ताकि उन्हें टैबलेट्स और लैपटॉप पर पढ़ा जा सके और इस्तेमाल में लाया जा सके। मुख्य विचार विभिन्न प्रकाशकों (निशुल्क साथ ही साथ व्यावसायिक) और स्कूलों को एक साथ एक मंच पर लाना था। छात्र बड़ी आसानी से मूलपाठ, चार्ट्स, ग्राफिक्स, वीडियो और सहायक सामग्री से संपर्कित संवादात्मक और सक्रिय विषय-वस्तु तक पहुंच कायम कर सकते हैं। ई-बस्ते इंटरनेट के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराए जाते हैं और वे पोर्टेबल हैं। शिक्षक अपने पढ़ाने के तौर-तरीकों के अनुसार विषय-वस्तु का चयन कर सकते हैं और एकत्र कर सकते हैं। यह प्रकाशकों को भी अनेक स्कूलों तक पहुंच बनाने के लिए सिंगल प्वाइंट इंटरफेस उपलब्ध कराता है।

2. राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम)

भारत में लगभग 30 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है, साक्षरता की दर 25-30 प्रतिशत से ज्यादा है और डिजिटल साक्षरता का प्रतिशत, इकाई के आंकड़े में (यानी सिंगल फिगर) है। हालांकि ग्रामीण भारत के लोगों के बीच आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का अंग बनने की इच्छा बढ़ती जा रही है।

भारत को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम) कार्यक्रम का आरंभ किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य केवल डिजिटल साक्षरता, जागरूकता का सक्रिय और एकीकृत मंच बनाना ही नहीं है, बल्कि ऐसे शिक्षा और क्षमता कार्यक्रमों का निर्माण करना है, जो ग्रामीण समुदायों को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाने और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में मदद कर सकें तथा प्रौद्योगिकीय रूप से सशक्त समाज को भी आकार दे सकें।

इस पहल के लिए, सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूनिवर्सल सर्विसिज ऑब्लिवेशन फंड-यूएसओएफ) ने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) योजना प्रारंभ करने के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) की स्थापना की है। बीबीएनएल देश की 250,000 ग्राम पंचायतों में से -प्रत्येक तक

ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाएगा, और इस प्रकार समस्त प्रकार के हितधारकों के लिए सूचना के राजमार्ग (यानी इन्फॉर्मेशन हाइवे) के रूप में अलग-अलग प्रकार से उपयोग में लाए जाने वाले 100 एमबीपीएस लिंक उपलब्ध कराएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटल समावेशन देशभर के समस्त गांवों तक पहुंच चुका है।

3. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी दिशा)

शिक्षा के संबंध में कराए गए 71वें एनएसएसओ सर्वे, 2014 के अनुसार, केवल 6 फीसदी ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर हैं। इससे यह बात उजागर होती है कि 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों में (16.85 करोड़ परिवारों का 94 प्रतिशत) कंप्यूटर नहीं हैं और पर्याप्त संख्या में इन परिवारों के डिजिटली निरक्षर रह जाने की आशंका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी दिशा) का प्रारंभ 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटली साक्षर बनाने के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार हम कंप्यूटर संचालित या ऑपरेट करने/डिजिटल उपकरणों तक पहुंच कायम करने के लिए नागरिकों को सूचना, ज्ञान तथा कौशल प्रदान करते हुए उन्हें सशक्त बना रहे हैं।

पीएमजी दिशा संभवतः विश्व भर के विशालतम डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के अंतर्गत वित्तवर्ष 2017-18 में 2.75 करोड़ उम्मीदवारों और वित्तवर्ष 2018-19 में 300 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। समान भौगोलिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 250,000 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक द्वारा औसतन 200-300 उम्मीदवार दर्ज किए जाने की संभावना है।

इस योजना का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की समग्र निगरानी में राज्यों/संघशासित प्रदेशों के सक्रिय सहयोग से उनकी निर्धारित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी (डीईजीएस) आदि के माध्यम से किया जाएगा।

4. डिजिटल क्लासरूम

ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट तक पहुंच के बिना या नाममात्र की पहुंच के साथ उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षा में किसी भी तरह की संबद्धता का अभाव होता है। जहां एक ओर शहरी क्लासरूम डिजिटल क्लासेज़ जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त होते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्र ऐसी सुविधाओं से वंचित होते हैं। इस अंतर को मिटाने के लिए केंद्र सरकार ने भारत के भौगोलिक दृष्टि से दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने के लिए गूगल और फेसबुक जैसे विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को साथ जोड़ा है। इसके बावजूद अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, अब तक केवल 9 प्रतिशत ग्रामीण भारत को ही इंटरनेट से जोड़ा जा सका है।



भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस तरह के कदमों को ग्रामीण भारत में हाथों-हाथ लिया गया है। ग्रामीण स्कूलों को डिजिटल क्लासरूम के जरिए पढ़ाने के नवीनतम तौर-तरीकों के लिए तैयार किया गया है। डिजिटल क्लासरूम का आशय ऐसे क्लासरूम से है, जहां छात्रों की पढ़ाई तथा इंस्ट्रक्टर और साथियों के साथ उसके संवाद को सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) के पूर्ण इस्तेमाल के जरिए महत्वपूर्ण सहायता दी जाती है। इस पहल का बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन शिक्षा की गुणवत्ता को और ज्यादा सुनिश्चित करेगा।

5. स्वयं

भारत स्वयं (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) नामक अपनी पहल के माध्यम से डिजिटल शिक्षा के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। स्वयं का कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, इसका लक्ष्य भारतीय नागरिकों को आईआईटी, आईआईएम और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं के प्रोफेसर्स द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश करना है।

इसमें देश और विदेश की अपनी पसंद की संस्थाओं से कोई भी कोर्स करने में ग्रामीण छात्रों की सहायता करने के लिए 'विशाल ऑनलाइन मुक्त पाठ्यक्रम (मेसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज-एमओओसी) विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन पाठ्यक्रमों में प्रमुख शिक्षाविदों के साथ ही साथ उद्योग की विशिष्ट हस्तियों द्वारा वर्चुअल क्लासरूम के जरिए पढ़ाई जाने वाली नवीनतम पाठ्यचर्या शामिल है। स्वयं एक 'मेड इन इंडिया' आईटी मंच है, जो कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक के पाठ्यक्रम निशुल्क उपलब्ध कराता है। इससे कोई भी, कहीं से भी, कभी भी सम्पर्क कर सकता है।

6. ऑनलाइन शिक्षा

भारत में वर्तमान में शिक्षा बाजार 100 बिलियन डॉलर का है और ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में वह तकनीकी उन्नति का अवसर प्रदान करता है। पिछले पांच वर्षों में 31 प्रतिशत की समग्र इंटरनेट पेट सहित इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ग्रामीण भारत में ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार सामाजिक शिक्षण, रोजगार संबंधी योग्यता और उद्यमिता का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें नौकरी के लिए तैयार करेगा। ऑनलाइन शिक्षा विशेषकर ग्रामीण इलाकों में अच्छी शिक्षा की मांग से संचालित है। ऑनलाइन चैनल केंद्रित और व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता वाले दूरदराज के गांवों के छात्रों को अनुकूल शैक्षणिक अवसर प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच भेद नहीं करती। प्रत्येक पाठ्यक्रम तक महानगर का छात्र और दूरदराज के गांव का छात्र समान रूप से पहुंच बना सकता है। इस प्रकार, ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण-शहरी अंतर को मिटा रही है।

7. शिक्षकों की बायोमैट्रिक उपस्थिति

आर्थिक समीक्षा ने स्कूली शिक्षा के संदर्भ में अक्सर उठाई

जाने वाली जिस महत्वपूर्ण चिंता की ओर इशारा किया है, वह है -खराब नतीजे। बच्चों की शिक्षा तक पहुंच और पढ़ाई से जुड़े रहने के बारे में सुधार होने के बावजूद अधिकांश बच्चों के खराब नतीजे अभी तक चिंता का गंभीर विषय बना हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र में दोगम दर्जे की शिक्षा के कुछ बुनियादी कारणों में से एक शिक्षकों का गैर-हाजिर रहना और व्यावसायिक दृष्टि से कुशल शिक्षकों का अभाव है। शिक्षकों के गैर-हाजिर रहने की समस्या का हल प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक निर्धारित कक्षा/व्याख्यान/सत्र/के लिए सभी शिक्षकों के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था करके किया जा सकता है। यह व्यवस्था, वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था से भिन्न होगी, जहां देखने में तो शिक्षकों के आने और जाने का रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन कार्य के घंटों के दौरान उनकी गतिविधियों पर ज्यादा नियंत्रण नहीं होता।

यूनेस्को-ईएफए (सबके लिए शिक्षा) निगरानी रिपोर्ट 2014 के अनुसार, भारत में शिक्षकों की गैरहाजिरी में 15 प्रतिशत (महाराष्ट्र) से लेकर 42 प्रतिशत (झारखंड) तक की भिन्नता देखी गई है। स्कूलों में बायोमैट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने से न केवल शिक्षकों के गैर-हाजिर रहने की समस्या से छुटकारा पाने में, बल्कि छात्रों की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

8. सभी स्कूलों में निशुल्क वाई-फाई

केंद्र सरकार की अगले पांच वर्षों के भीतर 2.5 लाख स्कूलों में निशुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराए गए टैबलेट्स जैसे उपकरण ग्रामीण छात्रों को भी उपलब्ध कराने की योजना है।

9. डिजिटल पुस्तकालय

कौशल भारत संबंधी पहल को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण केंद्रों में कंप्यूटर साक्षरता, उसकी कार्यपद्धति और हार्डवेयर -सॉफ्टवेयर समाधानों के बारे में सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। इसका लक्ष्य अपने मानव संसाधनों के बल पर ग्रामीण डिजिटल शिक्षा को समृद्ध बनाने के प्रयासों के तहत इन केंद्रों में सीखने के लिए आने वाले छात्रों को भावी इंस्ट्रक्टर के रूप में तैयार करना है।

डिजिटल शिक्षा धीमी गति से, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी दिशा बन रही है, जिसकी ओर हर कोई अग्रसर हो रहा है।

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के घटक



हालांकि जहां तक विकसित देशों के साथ डिजिटल शिक्षा की तुलना की बात है, तो 55 प्रतिशत जितनी तेज़ रफतार से आगे बढ़ने के बावजूद, भारत अभी तक विकासोन्मुखी अवस्था में है। तकनीकी शिक्षा, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर रही है। अनुमान है कि 2017 के आखिर तक तकनीकी शिक्षा के बाजार का आकार दुगुना होकर 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। डिजिटल शिक्षा की वृद्धि के प्रमुख कारणों को संक्षेप में इस तरह बताया जा सकता है कि लगभग एक बिलियन लोगों के पास मोबाइल फोन हैं और 200 मिलियन से ज्यादा मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और इसके कारण, डिजिटल शिक्षा में काफी वृद्धि देखी गई है। कक्षा में बेहतर विषय-वस्तु, वास्तविक शिक्षण और फीडबैक पद्धतियों तथा व्यक्तिगत निर्देशों के उपयोग ने ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन दिया है। डिजिटल शिक्षा का लक्ष्य उन अनेक बाधाओं को दूर करना है, जो वास्तविक क्लासरूम तक सीमित अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से लोगों को रोकती रही हैं।

मिश्रित, सहयोगपूर्ण और ऑनलाइन प्रक्रियाएं शिक्षा में बदलाव ला रही हैं। मिश्रित, सहयोगपूर्ण और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के साथ छात्रों को कैम्पस में पढ़ने जैसा अनुभव (ऑन-कैम्पस अनुभव) हो रहा है और उन्हें 'दोनों तरह की दुनिया का बेहतरीन रूप' प्राप्त हो रहा है।

'लाइव और इंटरैक्टिव' डिजिटल शिक्षा, छात्रों को कभी भी और कहीं भी समान रूप से उत्कृष्ट, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम -शिक्षा प्रदान करने वालों और शिक्षा ग्रहण करने वालों, दोनों के लिए नए मार्ग खोलते हैं। ऐसी प्रस्तुतियां शिक्षा में उत्कृष्टता, उनके करियर में लाभ पहुंचाते हुए भारत के सीखने के अंदाज को बदल रही हैं।

सोशल मीडिया का उपयोग भी शिक्षा के साधन के रूप में किया जा रहा है। छात्र एक-दूसरे के कार्यों की समालोचना कर सकते हैं और उन्हें साझा कर सकते हैं, मिल-जुल कर विषय-वस्तु तैयार कर सकते हैं, जिस तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है। यह प्रश्न पूछने और वास्तविक आधार पर साझा किए गए कई तरह के उत्तर प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। सोशल मीडिया छात्रों को वर्तमान घटनाओं, चिंताओं, मसलों, सामाजिक गतिविधियों और संभावित रोजगार के प्रति सजग बनाने में सहायता करता है।

डिजिटल शिक्षा उन अनेक बाधाओं को दूर कर रही है, जो ग्रामीण भारत के छात्रों को वास्तविक क्लासरूम तक सीमित अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर रही हैं। 'डायरेक्ट टू डेवाइस' प्रौद्योगिकी इन छात्रों को कभी भी कहीं भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगी। यह उन्हें अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी देकर समय की बचत करने में समर्थ बनाएंगी।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विज़न भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना है, ऐसे में निश्चित है कि भारत आने वाले वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति का गवाह बनेगा। प्रौद्योगिकी के नेतृत्व में पहुंच

और सुगम पहुंच भारतीय छात्रों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाएंगी।

निष्कर्ष

डिजिटल साक्षरता, डिजिटल प्रौद्योगिकियों को समझने और जीवन की स्थितियों में सार्थक रूप से उपयोग में लाने की व्यक्तियों और समुदायों की योग्यता है। डिजिटली साक्षर व्यक्ति कंप्यूटरों/ डिजिटल पहुंच वाले उपकरणों (जैसे टैबलेट्स, स्मार्ट फोन आदि) को संचालित या ऑपरेट करने, ईमेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज करने, सरकारी सेवाओं तक पहुंच कायम करने, सूचना ढूंढने, कैशलेस लेन-देन करने आदि में समर्थ बनाती है और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय योगदान देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।

भारत में शिक्षा का ऑनलाइन माध्यम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से लेकर पाक कला की कक्षाओं और भाषाओं को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्वरूपों में सीखने जैसी अभिरुचियों तक लगभग हर एक चीज का अन्वेषण करता है। यह राष्ट्रीय और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर विविध प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करता है। शिक्षा की पांच प्रमुख श्रेणियां हैं, जिनमें ऑनलाइन माध्यम को महत्वपूर्ण रूप से अपनाया जा सकता है। नए सिरे से कौशल प्राप्त करने (रिस्किलिंग) और ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम वर्तमान में 38 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत में ऑनलाइन शिक्षा के बाजार हेतु उत्तरदायी हैं।

ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा स्पष्ट रूप से ग्रामीण समुदायों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सशक्त बनाने और उन्हें डिजिटली साक्षर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। यह डिजिटल साधनों से ग्रामीण-स्तर पर नागरिक सेवाओं की व्यवस्था करने का आधार है। वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक ग्रामीण समुदाय के स्तर पर डिजिटल डाटा हाउस बनाया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके और डिजिटल ग्रामीण शिक्षा इसे प्राप्त करने का सही रास्ता है। ग्रामीण समुदायों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लाभ का सृजन करने के लिए यह निश्चित तौर पर एक बुनियादी कदम है।

डिजिटल ग्रामीण शिक्षा न केवल उद्यमिता का सूत्रपात करती है और समान डिजिटल साक्षरता लाती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक-स्तर को भी प्रभावित करती है। ग्रामीण मानकों में सुधार लाती है और गांवों में गरीबी उन्मूलन, महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है।

संदर्भ

"ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया : 2021" केपीएमजी रिपोर्ट, मई, 2017

"हाउ डिजिटल एजुकेशन इज़ टेकिंग ओवर इंडिया : इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इन्क्रीस्ड लर्नर एप्लीकेशन पॉवर एंड मूव" इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एंड मोबाइल मार्केटिंग, 11 जनवरी, 2017

(लेखक नीति आयोग, भारत सरकार में आर्थिक अधिकारी हैं।)

ई-मेल : tanu.kathuria@nic.in, abhishek.mukherjee@nic.in

ग्रामीण भारत में बदलाव का जरिया बनती डिजिटल टेक्नोलॉजी

—भुवन भास्कर

“सूचना ही शक्ति है”, और यही सूचना जब तकनीक के माध्यम से आने लगे, तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। भारत के गांवों में आजकल सूचना की यही शक्ति दृष्टिगोचर होने लगी है। ग्रामीण भारत में बढ़ती डिजिटल जागरूकता ने क्या असर छोड़ा है या इसी सवाल को दूसरी तरह से पूछा जाए तो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही करीब एक-चौथाई ग्रामीण जनसंख्या की जिंदगी में क्या बदलाव आया है और इसमें और कितनी संभावनाएं हैं। आइए, इसी सवाल की पड़ताल के साथ आगे बढ़ते हैं।

संचार के क्षेत्र में एक लोकप्रिय कहावत है, “सूचना ही शक्ति है”, और यही सूचना जब तकनीक के माध्यम से आने लगे, तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। भारत के गांवों में आजकल सूचना की यही शक्ति दृष्टिगोचर होने लगी है। इसके बावजूद कि ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच अब भी 50 प्रतिशत से कम है, कई इलाके डिजिटल सूचना शक्ति के प्रभाव के साक्षी बनने लगे हैं।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मार्केट रिसर्च फर्म आईएमआरबी इंटरनेशनल ने इस साल मार्च में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्रामीण भारत की करीब 7.8 करोड़ जनसंख्या ऐसी है, जो रोज इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, जबकि 14 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो महीने में कम से कम एक बार जरूर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यदि 2011 की जनगणना से तुलना करें तो महज 5 साल में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता और उपयोगिता की तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। उस समय 90.6 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या में केवल 16.3 करोड़ लोग ऐसे थे, जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी साफ है कि केवल 5 वर्षों में ग्रामीण भारत में इंटरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या में 5.5 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हो गई।

स्मार्टफोन के इस्तेमाल के आंकड़ों को अभी छोड़ दिया जाए तो भी लगभग हर चार में एक भारतीय ग्रामीण इंटरनेट तो इस्तेमाल कर ही रहा है। और ऊपर की रिपोर्ट में ही यह खुलासा भी किया गया है कि 92 प्रतिशत ग्रामीण भारतीय खर्च और पहुंच के लिहाज से मोबाइल को ही इंटरनेट का प्राथमिक स्रोत मानते हैं। साफ है कि आने वाले महीनों और सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के इस्तेमाल में तेजी से वृद्धि होने वाली है।

अब सवाल यह है कि यदि सूचना ही शक्ति है तो ग्रामीण भारत में बढ़ती

डिजिटल जागरूकता ने क्या असर छोड़ा है या इसी सवाल को दूसरी तरह से पूछा जाए तो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही करीब एक-चौथाई ग्रामीण जनसंख्या की जिंदगी में क्या बदलाव आया है और इसमें और कितनी संभावनाएं हैं। आइए, इसी सवाल की पड़ताल के साथ आगे बढ़ते हैं।

किसानों के लिए बेहतर बाजार का जरिया: कर्नाटक में 157 मंडियां और 355 उप-मंडियां हैं। इन्हीं मंडियों में कर्नाटक का किसान अपना माल बेचने आता है। 2014 तक देश की दूसरी लगभग 7000 छोटी-बड़ी मंडियों की ही तरह कर्नाटक में भी किसान जिस मंडी में अपना माल लेकर पहुंचता था, वहां के आदतिए चंद कारोबारियों के लिए उस माल की बोली लगाते थे। माल भले ही किसान का हो, लेकिन उसका रेट आदतिए और वहां दशकों से जमे-जमाए कारोबारी तय करते थे। लेकिन 2014 की शुरुआत में राज्य सरकार ने कृषि कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के साथ मिलकर 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी से एक एसपीवी बनाई, जिसका नाम राष्ट्रीय ई-मार्केट्स सर्विसेज (आरईएमएस) रखा गया। एनसीडीईएक्स की जिम्मेदारी इंटरनेट



कंप्यूटर साक्षरता से सशक्त होती ग्रामीण महिलाएं

ग्रामीण भारत में एक तो शिक्षा का स्तर वैसे ही समग्र देश की तुलना में कम है, तो जाहिर है कि महिलाओं में साक्षरता और भी कम है। जून 2015 के आखिर में जारी एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गांवों में महज 2.2 प्रतिशत महिलाएं ही ऐसी हैं, जिन्होंने स्नातक या उससे ऊपर की शिक्षा हासिल की है। जाहिर है किसी सम्मानजनक पेशे में अच्छी नौकरी पा जाना गांव की किसी महिला के लिए आसमान से तारे तोड़ने से कम नहीं है। इसके बावजूद सूचना तकनीक ने देश के कई हिस्सों में ऐसे चमत्कारिक उदाहरण पेश किए हैं, जहां महिलाएं बेहद कम पढ़ी-लिखी या अशिक्षित होने के बावजूद न सिर्फ कम्प्यूटर चला रही हैं, बल्कि बेहतरीन कमाई भी कर रही हैं।



सेल्फ इम्प्लायड वीमेंस एसोसिएशन (सेवा), एम्बलम, नाबन्ना और ई-महिला इसी दिशा में कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। सेवा पंचायतों और जंगलों में महिलाओं को इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण के जरिए आर्थिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। पुडुचेरी के एम्बलम जिले में एम.एस स्वामीनाथन की रिसर्च परियोजना ने 10 सूचना गांव तैयार किए हैं। इन 10 गांवों को हाइब्रिड तार और बेतार (वायर एंड वायरलेस) नेटवर्क से जोड़ा गया है। स्थानीय कार्यकर्ता ग्रामीणों के लिए जरूरी सूचनाओं को इंटरनेट से इस नेटवर्क पर डाल देते हैं। इन स्थानीय कार्यकर्ताओं और ऑपरेटरों में आधी से ज्यादा संख्या महिलाओं की है, जिससे उन्हें इन गांवों में एक अलग ही तरह का प्रभाव हासिल है।

नाबन्ना में यूनेस्को के "नेटवर्किंग रूरल वीमेन एंड नॉलेज" प्रोजेक्ट के तहत गरीब ग्रामीण महिलाओं के फायदे के लिए इंटरनेट पोर्टल और डाटाबेस के नए-नए तरीकों से इस्तेमाल पर काम किया गया है। यूनेस्को की ओर से 2004 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक नाबन्ना नेटवर्क से हासिल जानकारीयों तक पहुंच पाने के बाद महिलाओं की स्थिति में ये बदलाव हुए:

1. महिलाओं ने सेंटर पर जो आईटी दक्षता हासिल की, उसके कारण उनके परिवार और समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई।
2. युवतियों में बाहर जाकर एक बेहतर नौकरी पाने के लिए आत्मविश्वास पहले के मुकाबले बढ़ गया।
3. विंडोज में पेंट ब्रश जैसे प्रोग्राम सीखने के बाद महिलाओं में रचनाधर्मिता का उल्लेखनीय विकास हुआ।
4. महिलाओं ने न केवल अन्य स्रोतों से अपनी आमदनी में बढ़ोतरी की, बल्कि उनके अंदर एक-दूसरे के प्रति एकता का भाव भी विकसित हुआ।

ई-महिला कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम की ओर से शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें ग्रामीण जनता को मिलने वाली तमाम सेवाएं यथासंभव ग्रामीण महिलाओं के ही माध्यम से उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। गांवों की महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि विभिन्न कामों के लिए सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए इंटरनेट को किस तरह प्रयोग किया जाए। फिर हर प्रशिक्षित महिला को लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस, सॉयल टेस्टिंग किट, एलसीडी प्रोजेक्टर, डिजिटल कैमरा, इंटरनेट कनेक्शन और शैक्षणिक सीडी दी जाती है। इस परियोजना ने बड़ी संख्या में महिलाओं को इस लायक बना दिया है कि वे अपने गांव के लोगों की मदद करें और इस तरह अपनी आमदनी भी बढ़ाएं।

स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी में क्रांतिकारी सुधार: वैश्विक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी की 2014 में जारी रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि रिमोट हेल्थकेयर और तकनीक-आधारित कम्प्युनिटी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के जरिए बेहतर होने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से ग्रामीण भारत की 40 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को सीधे तौर पर लाभ होगा। तमिलनाडु में एक लाख से ज्यादा ग्रामीण प्राथमिक चिकित्सा कार्यकर्ताओं को स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के लिए टैबलेट संचालित व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया गया है। विश्व बैंक ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो मानक तैयार किया है उसके मुताबिक प्रति 1000 व्यक्तियों पर 3.5 हॉस्पिटल बेड होने चाहिए, लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों में यह केवल 0.3 है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बहुत कम समय और खर्च में ये हालात बदले जा सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे करीब 30-40 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मोबाइल इंटरनेट के जरिए वीडियो, वॉयस या चैट के साथ किसी जानकार फिजीशियन से जोड़ा जा सकता है और यह ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे को बहुत हद तक सुधार सकता है।

उत्तर प्रदेश के झांसी में एक बेहद गरीब गांव में महिला स्वास्थ्यकर्मी एम-सखी नाम के एप का इस्तेमाल कर गर्भवती महिलाओं को तमाम तरह के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में जागरूक कर रही हैं। एक्रेडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स (आशा) के नाम से लोकप्रिय ऐसी 329 स्वास्थ्यकर्मियों ने अब तक एम-सखी का इस्तेमाल कर करीब 16,000 माताओं को फायदा पहुंचाया है। एम-सखी को इस तरह बनाया गया है कि बहुत लो कनेक्टिविटी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसमें जो भी डाटा मोबाइल में डाला जाता है, वह ऑफलाइन सुरक्षित हो जाता है और जब भी नेटवर्क उपलब्ध होता है, तो वह सर्वर पर अपलोड हो जाता है।

नेटवर्क से सभी मंडियों और उप-मंडियों को जोड़ना था और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना था, जिसमें एक मंडी में लाया गया माल कर्नाटक की किसी भी मंडी में बैठकर देखा जा सके। लगभग 3 साल के बाद आज कर्नाटक की सारी मंडियां और ज्यादातर उपमंडियां एक-दूसरे से जुड़ चुकी हैं।

नतीजतन अब किसी भी एक मंडी में आने वाली कृषि उपज के लिए पूरे कर्नाटक और कई बार तो राज्य में ट्रेड का लाइसेंस हासिल कर चुके दूसरे राज्यों के कारोबारी भी कम्प्यूटर पर अपने शहर से बैठकर ही बोलियां लगा रहे हैं। यानी जिस माल के लिए पहले 6 या 8 कारोबारियों की बोली मिलती थी, उसके लिए अब सैकड़ों कारोबारी मैदान में हैं। यही नहीं ये सभी कारोबारी एक-दूसरे को न तो जानते हैं, न कोई गिरोहबंदी कर सकते हैं। और कर्नाटक की इस डिजिटल क्रांति ने वहां के किसानों को कितना लाभ पहुंचाया है, यह समझने के लिए उनकी आमदनी में आई बढ़ोतरी को देखा जा सकता है। आरईएमएस के सीईओ मनोज राजन के मुताबिक, "यूपी को लागू करने के बाद हमने पूरे राज्य में प्रमुख कमोडिटी के लिए किसानों को मिलने वाले भाव में औसतन 15 से 45 प्रतिशत बढ़ोतरी देखी है। कलबुर्गी, बीदर, रायचूर और यदगीर की मंडियों में तूर के लिए किसानों को मिलने वाला भाव 70-80 प्रतिशत बढ़ा है। गडग, कलबुर्गी, बेंगलुरु, बीदर, विजयपुरा और सिंधनौर मंडियों में काले चने के मॉडल भाव में 40-50 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और बगलकोट, रायचूर, मुंदगी, देवंगिरि, कोडूर में किसानों को मूंगफली की कीमतें 35-47 प्रतिशत ज्यादा मिली हैं। यही हाल मिर्च, अदरक और मक्के में भी रहा है।"

अब भारत सरकार कर्नाटक के इस प्रयोग को पूरे देश में दोहराना चाहती है और इसी लक्ष्य के साथ 14 अप्रैल, 2016 से ई-नाम की शुरुआत की गई। इसके तहत मार्च 2018 तक पूरे देश की 585 मंडियों को कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए एक साथ जोड़ने की योजना है। इनमें लगभग 490 मंडियों में पहले ही नेटवर्किंग का काम पूरा हो चुका है। सरकार आजादी के बाद के इस सबसे बड़े कृषि सुधार को तीन चरणों में लागू करना चाहती है। पहले चरण में सभी मंडियों में कम्प्यूटर नेटवर्क तैयार किया जाएगा, दूसरे चरण में एक राज्य की सभी मंडियों को एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा और तीसरे चरण में पूरे देश की मंडियों को एक-दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। यह अपने आप में कृषि क्षेत्र की डिजिटल क्रांति होगी और कर्नाटक के अनुभव को देखते हुए इससे किसानों को होने वाले फायदे का अनुमान का लगाया जा सकता है।

इसके अलावा जयपुर के नजदीक सरसों उत्पादक किसानों का जमवा रामगढ़ एफपीओ (फार्मरप्रोड्यूसर कंपनी) हो, बिहार में पूर्णिया के धमदाहा ब्लॉक में काम कर रहा मक्का किसानों का आरण्यक एफपीओ या फिर इंदौर के नजदीक बागली में सोयाबीन किसानों का राम रहीम एफपीओ, इन सबने अपने-अपने सदस्य किसानों के लिए इंटरनेट और स्मार्टफोन के इस्तेमाल से वायदा बाजार में जोखिम प्रबंधन का काम किया है। आरण्यक के किसानों ने 2015-16 के पहले साल में ही मक्के पर क्विंटल के लिहाज

से करीब 150 रुपये ज्यादा का भाव हासिल किया, जबकि जमवा रामगढ़ एफपीओ के 27 गांवों की समितियों के सदस्य किसानों ने वायदा बाजार पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर 20 टन सरसों का जोखिम प्रबंधन किया।

शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक बदलाव का माध्यम: मानव संसाधन मंत्रालय के तहत चलने वाली नवोदय विद्यालय समिति ने 2013 में दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग के साथ मिलकर स्मार्ट क्लास की शुरुआत की, जिसमें छात्रों को सिखाने के लिए आधुनिकतम ऑडियो-विजुअल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। आज की तारीख में ग्रामीण इलाकों के करीब 400 जवाहर नवोदय विद्यालयों में करीब 2 लाख छात्र स्मार्ट क्लास के जरिए आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन कक्षाओं में इंटरैक्टिव स्मार्टबोर्ड, प्रिंटर और दूसरे उपकरणों के साथ टैबलेट भी दिए गए हैं। कम्प्यूटर साइंस, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषयों के लिए लर्निंग एप तैयार किए गए हैं और छात्रों को वीडियो, एनिमेशन और प्रजेंटेशन जैसे माध्यमों से इंटरैक्टिव मॉड्यूल का इस्तेमाल कर शिक्षा दी जा रही है।

इस प्रयोग ने कई ऐसी ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारा है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के अभाव में गुमनामी में खप चुके होते। महाराष्ट्र के सुदूर स्थित गांव चिंचाड़ के सदानंद उगाले का उदाहरण उल्लेखनीय है। प्रतिभाशाली छात्र सदानंद के शिक्षक की सलाह पर उसके पिता ने उसका दाखिला कन्नड के जवाहर नवोदय विद्यालय में करा दिया। अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक का सहारा पाकर सदानंद ने बेजोड़ प्रतिभा दिखाई और मौसमी बीमारियों पर एक शोध प्रस्तुत किया, जो पहले तो बेंगलुरु के नेशनल स्कूल कांग्रेस में चुना गया और फिर इंटरनेशनल साइंस स्कूल, सिडनी में प्रस्तुत हुआ। सदानंद को इस शोध के लिए ऑस्ट्रेलिया से स्कॉलरशिप मिल रही है।

ग्रामीण भारत को डिजिटल बनाना एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। पिउ रिसर्च सेंटर के एक सर्वे में खुलासा किया गया है कि 2015 में महज 22 प्रतिशत वयस्क लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए कटिबद्ध है और देश के सुदूरवर्ती गांवों में रहने वाली जनता ब्रॉडबैंड की सुविधा देने और उन्हें डिजिटली सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2018 तक 40,000 गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत हाल ही में लांच "डिजिटल गांव" कार्यक्रम के अंतर्गत 100 गांवों से शुरुआत की गई है, जिसमें धीरे-धीरे अन्य गांवों को भी शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत सरकार का लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं की डिजिटली टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना है। सामाजिक बदलाव में डिजिटल तकनीक के व्यापक और गहरे फायदों को देखते हुए ऐसी किसी भी कोशिश का सफल होना अत्यंत आवश्यक है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक व कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं।)

ई-मेल : bhaskarbhuwan@gmail.com



Preparing Civil Servants

UPSC CSE '16 में सफल प्रत्येक तीसरा अभ्यर्थी ETEN IAS KSG* का है।

AIR
6



के. दिनेश कुमार

AIR
14



उत्सव कौशल

AIR
21



प्रताप एम.

...और कई अन्य

*From the house of KSG

टॉप 100 सफल अभ्यर्थियों में से 30 ETEN IAS KSG के विद्यार्थी हैं।

सिविल सेवा परीक्षा '18 के नये बैच

प्रोग्राम	समय
जीएस फाउंडेशन सप्ताहिक (हिंदी)	10:00AM – 01:00PM

राज्य लोक सेवा आयोग

UPPSC, CGPSC, MPPSC, RPSC and BPSC के लिए नए बैच प्रारंभ,
शीघ्र नामांकन करें!

नामांकन के लिए: फोन: 9654200523/17 | टेल फ्री: 180030029544 | वेबसाइट: www.etenias.com

ETEN IAS Centers: Agra, Allahabad, Alwar, Amritsar, Bangalore, Bhilai, Bhilwara, Bhiwani, Bhubneswar, Bilaspur, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Delhi, Dibrugarh, Ernakulam, Ghaziabad, Gorakhpur, Guhana, Gurgaon, Hissar, Imphal, Indore, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Kohlapur, Kolkata, Lucknow, Meerut, Moradabad, Mumbai, Nagpur, Panipat, Patiala, Patna, Pune, Raipur, Rewari, Rohtak, Shimoga, Sikar, Sonapat, Trivandrum, Udaipur, Varanasi, Vijayawada

डिजिटल ग्रामीण भारत का लक्ष्य

—भारत भूषण


प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में डिजिटल भारत के दूरदर्शी लक्ष्य को साकार करने की हर पहल बहुत तेजी से की जा रही है। डिजिटल भारत के अंतर्गत केवल सरकारी-स्तर पर ही नहीं बल्कि 'डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण', 'इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना' और इसके अलावा 'डिजिटल साक्षरता' इसके तीन मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए। साथ ही एक टू-वे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाना तय हुआ जहां दोनों (सेवा-प्रदाता और उपभोक्ता) को लाभ हो। भारत सरकार को पता था कि इस राह में सबसे बड़ी चुनौती बनेगी हाई-स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता, तो सरकार ने इस योजना का उद्देश्य शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों को हाईस्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी निर्धारित किया। सरकार ने 2019 तक इस योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा है।

एक दौर था जब देश में टेलीफोन सेवा का विस्तार काफी कम था। समय बहुत तेजी से बदला टेलीफोन का जाल बहुत तेजी से फैला और देखते ही देखते मोबाइल हैंडसेट ने हर हाथ में जगह बना ली। देश में इसके करोड़ों उपभोक्ता बने। लेकिन कहीं न कहीं इसका एक सीमित दायरा रहा। लोगों का आपस में संचार का माध्यम तो सुगम हुआ, मगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई ठोस परिकल्पना नहीं थी जिससे हम कह सकते थे कि पूरा हिन्दुस्तान डिजिटल भारत की ओर उन्मुख है, क्योंकि केवल संचार के पहलू तक ही सोच रख पाते थे। दूरसंचार कंपनियां जो सेवाएं जिस कीमत पर प्रदान करती थीं हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना होता था। दौर बदला, सरकार बदली, योजनाएं बदलीं और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में डिजिटल भारत के दूरदर्शी लक्ष्य को साकार करने की हर पहल, बहुत तेजी से की जा रही है। डिजिटल भारत के अंतर्गत केवल सरकारी-स्तर पर ही नहीं बल्कि 'डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण', 'इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना' और इसके अलावा 'डिजिटल साक्षरता' इसके तीन मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए। साथ ही एक टू-वे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाना तय हुआ जहां दोनों (सेवा-प्रदाता और उपभोक्ता) को लाभ हो। भारत सरकार को पता था कि इस राह में सबसे बड़ी चुनौती बनेगी हाई-स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता, तो सरकार ने शहरी ही नहीं बल्कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाईस्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी निर्धारित किया। सरकार ने 2019 तक इस योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा है।

भारत सरकार ने भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड (बीबीएनएल) के साथ लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कदम उठाए हैं। विभिन्न ई-शासन सेवाएं जैसे टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन, ई-स्वास्थ्य और ई-मनोरंजन आदि के लिए भारतनेट परियोजना की शुरुआत की गई

जिसका उद्देश्य स्थानीय-स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना और विभिन्न क्षेत्र विशेष में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। ग्राम पंचायत-स्तर के कार्यालयों, जैसे स्कूल, पंचायत कार्यालय, डाकघर आदि को इंटरनेट से जोड़ने जैसी नई सेवाओं का प्रादुर्भाव हुआ, तो वहीं प्रमाणपत्र, टेली-हेल्थ, ई-शिक्षा, कृषि सूचना आदि सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना, आर्थिक-सामाजिक वर्गों में व्याप्त डिजिटल फासलों को मिटाने में सहायता करना, ग्रामीण युवाओं के लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर मुहैया कराना जैसे कई बिंदुओं पर कार्य आरंभ हुआ।

जाहिर है 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12 करोड़ परिवारों के पास कम्प्यूटर नहीं है और इन परिवारों में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो डिजिटल दृष्टि से साक्षर हो। ऐसे में सरकार ने डिजिटल साक्षरता के विषय को समझते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना की शुरुआत की। 8 फरवरी, 2017 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। 2,351.38 करोड़ रुपये की योजना के माध्यम से मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता



“मैं एक ऐसे डिजिटल भारत का स्वप्न देखता हूँ जहां सूचना तक पहुंचने में किसी प्रकार की रुकावट न हो”

—प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कार्यक्रम होगा। इस योजना को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, आदि के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सक्रिय सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की देखरेख में लागू किया जा रहा है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के भीतर करीब 25 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। 6 करोड़ में से 2.75 करोड़ को वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रशिक्षित किया जाएगा और बाद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना को 2019 तक देश भर में न्यायसंगत भौगोलिक पहुंच को सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। सरकार 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को कम से कम 200-300 उम्मीदवारों के पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों को कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरणों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के तहत उम्मीदवारों को इंटरनेट, ई-मेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज करने, डिजिटल भुगतान, सरकार की जानकारी प्राप्त करना और कुछ अन्य बुनियादी आईटी अनुप्रयोगों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्पष्ट है कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति जहां शिक्षा के प्रारूप और पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव पर जोर दे रही है, वहीं डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य देश को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलकर, तकनीकी तौर पर सशक्त, सक्षम समाज को तैयार करना है। संग्रहित सूचना के अन्वेषण और तकनीकी उपयोग की अपार संभावनाओं के मध्य आज ऐसे कई स्मार्ट फोन एप्लिकेशन बन रहे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवाओं, विनिमय, यातायात आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव लाने में सक्षम हैं।

डिजिटल इंडिया के जरिए अगले पांच साल में एक करोड़ से ज्यादा शहरी और ग्रामीण युवाओं को आईटी, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अभियान से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रत्यक्ष रूप से 1.7 करोड़, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर 8.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, गांवों में बीपीओ खोलने के साथ ही पांच लाख रूरल आईटी वर्कफोर्स तैयार करने की योजना है। करीब 2.5 लाख स्कूल, यूनिवर्सिटीज आदि को वाई-फाई से कनेक्ट किया जा रहा है। इससे जिन गांवों में अच्छे शिक्षक न भी हों, वहां तकनीक के साथ शहर के टीचर्स, प्रोफेसर्स सेटेलाइट और ब्रॉडबैंड के जरिए क्लासेज या ट्यूटोरियल्स ले सकेंगे।

केंद्र सरकार के सतत प्रयास का ही परिणाम है कि सभी माध्यमों से डिजिटल लेनदेन नवंबर, 2016 के 2.24 करोड़ से 23 प्रतिशत बढ़कर मई, 2017 में 2.75 करोड़ हो गया। सबसे अधिक बढ़ोतरी यूपीआई से लेनदेन में हुई। यह नवंबर, 2016 के 10 लाख प्रतिदिन से बढ़कर मई, 2017 में तीन करोड़ प्रतिदिन पर पहुंच गया। यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ऐसी प्रणाली है जिसमें कई बैंक खातों को एकल मोबाइल एप्लिकेशन में जोड़ा जा सकता है। सरकारी अधिकारियों द्वारा साझा किए

गए आंकड़ों के अनुसार आईएमपीएस या तत्काल भुगतान सेवा के जरिए इस अवधि में लेनदेन 12 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गया। यह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से धन स्थानांतरण सेवा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती की है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से धन हस्तांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत तक कटौती की है। बैंकों ने कहा है कि इससे उनके 5.27 करोड़ ग्राहकों को फायदा होगा। डिजिटल तरीके से लेनदेन करने और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भीम (बीएआईएम) मोबाइल एप लॉन्च किया। 'बीएचआईएम' का मतलब 'भारत इंटरफेस ऑफ मनी' एप है। वहीं यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सर्विस को भी लॉन्च किया गया है जोकि स्मार्टफोन और फीचर फोन पर कार्य करती है। इस सर्विस का उपयोग कर आप मोबाइल पर अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक कर एमएमएडी और मोबाइल नंबर की मदद से पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अब सरकार द्वारा पेमेंट प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए आधार पेमेंट एप भी लांच किया गया है।

भारत सरकार इस राह में चुनौतियों को भी समझ रही है। जैसे: इंटरनेट स्पीड, विदेशी कंपनियों के आधिपत्य के कारण सुरक्षा का खतरा, छोटे बच्चों की इंटरनेट पर सक्रियता, बिजली की परेशानी, प्रशिक्षण का आभाव... ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर केंद्र सरकार गंभीरता के साथ विचार कर रही है। जाहिर है, बदलाव के बयार को पूरी दुनिया स्वीकारने लगी है। संचार क्रांति ने तो बदलाव की गति को और तीव्र कर दिया है। गांवों में बसने वाला भारत अब ई-क्रांति का अग्रदूत बनने की राह पर है। व्यवस्थागत संपूर्ण जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध कराने की दिशा में भारत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है दूसरी तरफ सरकार शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड करने पर काम कर रही है और सबसे अहम इन योजनाओं की बुनियाद ग्रामीण स्तर से शहरी स्तर तक ले जाने की पूरी रूपरेखा खींची गई है। इस राह में चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार की संस्था भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी परियोजना को कार्यान्वयित कर रही है जो डिजिटल इंडिया के कार्यक्रमों की देखरेख करेगा। 2019 तक अपेक्षित है कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड डिजिटल इंडिया परियोजना की सभी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरी कर देगी। मौजूदा भारत सरकार इस बात को भली-भांति समझती है कि भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए यह पहल सभी नागरिकों तक इंटरनेट सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर भारत को एक सम्पूर्ण डिजिटल और सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने में रीढ़ का काम भी करेगी।

(लेखक प्रसार भारती, दूरदर्शन में सलाहकार हैं।)

ई-मेल : bhussan@gmail.com

ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया

—जगन्नाथ कुमार कश्यप

सरकार ने चरणबद्ध तरीके से वित्तीय समावेशन के कदम को आगे बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था को डिजिटल लेनदेन की तरफ अग्रसर करने का प्रयास किया है और इस समग्र प्रयास में ग्रामीण भारत की अहम भूमिका रहे, इसे भी विभिन्न प्रयासों द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार विभिन्न प्रकार के सुगम डिजिटल पेमेंट्स के माध्यमों का विकास कर रही है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है तथा डिजिटल माध्यमों को अपनाने के लिए ग्रामीण जनमानस में योग्यता का विकास कर रही है वहीं दूसरी ओर सरकार उतनी ही संजीदगी से आधारभूत ढांचे के विकास में भी लगी हुई है जिससे डिजिटल ग्रामीण भारत में वित्तीय लेनदेन की राहें और आसान हो।

भारत की लगभग दो तिहाई आबादी गांवों में निवास करती है, अतः विकास की कोई भी परिकल्पना के बगैर ग्रामीण भारत का समावेशन संभव नहीं है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भारत की एक बड़ी संख्या बैंकिंग प्रणाली से दूर रही जिसके फलस्वरूप औपचारिक बैंकिंग सेवाओं के लाभ से भी वंचित होती रही, निश्चित ही मुख्यतः इसमें ग्रामीण और छोटे शहरों के लोग ही शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिसंबर 2015 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो ग्रामीण भारत और छोटे नगरों में प्रति लाख वयस्कों के ऊपर उपलब्ध बैंक शाखाओं की संख्या 7.8 है जबकि नगरों में प्रति लाख वयस्कों के ऊपर उपलब्ध बैंक शाखाओं की संख्या 18.7 है। ऐसे में भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है। अतः डिजिटल इंडिया की मुहिम इस रूप में बड़े पैमाने पर लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में कारगर साबित होगी विशेषकर ग्रामीण भारत के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि डिजिटल माध्यम से होने वाले लेनदेन बैंकिंग प्रणाली की भी कस्टमर हैंडलिंग क्षमता को बढ़ा देते हैं।

इस सरकार ने चरणबद्ध तरीके से वित्तीय समावेशन के कदम को आगे बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था को डिजिटल लेनदेन की तरफ अग्रसर करने का प्रयास किया है और इस समग्र प्रयास में ग्रामीण भारत की अहम भूमिका रहे, इसे भी विभिन्न प्रयासों द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। सर्वप्रथम सरकार द्वारा मिशन मोड में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत शून्य बैलेंस पर भी खातों को खोलने का कार्य किया गया क्योंकि डिजिटल लेनदेन के सपने को साकार करने के लिए लोगों का बैंक खाता होना बहुत आवश्यक था। इसीलिए सरकार ने सर्वप्रथम योजनागत तरीके से लोगों के बैंक खाते खुलवाने की मुहिम चलाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता इसी बात से आंकी जा सकती है कि अब तक इसके अंतर्गत 29 करोड़ खाते खुल चुके हैं, जिसमें साढ़े सत्रह करोड़ के लगभग खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हैं। इसके बाद (जनधन-आधार-मोबाइल) त्रय की अवधारणा के तहत लोगों के खातों उनके आधार

कार्ड नंबर तथा मोबाइल नंबर से जोड़े गए और इसका प्रयोग सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' के लिए किया गया। इसका उपयोग मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान, वृद्धा पेंशनधारकों, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा किसानों के फसल बीमा लाभ के भुगतान आदि में विशेष रूप से किया जा रहा है। हालांकि अभी इस दिशा में हमें काफी आगे बढ़ना बाकि है, जैसे यदि मनरेगा को ही ले तो मनरेगा के अंतर्गत लगभग 10.88 करोड़ सक्रिय सदस्यों में मात्र 34 प्रतिशत के ही बैंक खाते अभी आधार लिंकड हैं। लेकिन हां यह तो निश्चित है कि जनधन के माध्यम से बड़े स्तर पर लोगों के खाते खोलकर त्रय के माध्यम से बड़े ही सुनियोजित तरीके से डिजिटल लेनदेन की दिशा में बढ़ने की ज़मीन सरकार के द्वारा तैयार कर दी गई है।

अगर हम दूसरी ऐसी अनबैंक या अंडरबैंक अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो उन्होंने डिजिटल तकनीकी विशेषकर मोबाइल का प्रयोग कर समावेशन की प्रक्रिया में काफी सफलता पाई। अगर हम केन्या जैसे देश के भी आंकड़ों को देखें तो लगभग दो तिहाई लोग मोबाइल आधारित मनी ट्रांसफर तथा भुगतान सेवा के सक्रिय ग्राहक हैं, जबकि भारत में अगर जून 2015 तक के आंकड़ों को





देखें तो मात्र एक प्रतिशत से 1.5 मोबाइल सब्सक्राइबर ही मोबाइल के माध्यम से आर्थिक लेनदेन में सक्रिय दिखे। अतः सरकार ने इस आवश्यकता को समझा और 'भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम' की मदद से यूनिकाईड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI), अनस्ट्रक्चरड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा (USD), भीम एप जैसी मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली विकसित की गई इसके साथ ही और आगे बढ़ते हुए 'आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम' (AEPS) का विकास तथा उसके ह एक अन्य प्रारूप 'आधार पे' जैसे अन्य डिजिटल भुगतान के माध्यम का भी विकास किया गया है। इनके अलावा काफी पहले से प्रयोग में आ रहे पी.ओ.एस. (पॉइंट ऑफ़ सेल) मशीन (जिसमें हम अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को स्वैप कर भुगतान करते हैं) के माध्यम से भी लेनदेन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सभी के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप ही हमने देखा कि विमुद्रीकरण के पश्चात् डिजिटल लेनदेन में कई गुना अधिक इजाफा हुआ और हमारे गांव भी इससे अछूते नहीं रहे।

अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो वहां तकनीकी आधारित डिजिटल लेनदेन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं या चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

1. गांव में इंटरनेट की कम उपलब्धता
2. विद्युत् सेवा की समस्या
3. गांवों में भी मोबाइल यूजर की संख्या तो अधिक है लेकिन एंड्राइड/स्मार्ट फोन शायद उतनी संख्या में नहीं हों
4. आदतन खरीद-बिक्री हेतु नकद का ही प्रयोग करना
5. तथा सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल साक्षरता की कमी या डिजिटल जागरूकता का अभाव छैव के 2014 के शिक्षा पर किए गए 71वें सर्वे के अनुसार केवल 6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर था, यह प्रतिबिंबित करता है कि बाकि 94 प्रतिशत यानी कि लगभग 15 करोड़ परिवारों के पास कोई कंप्यूटर नहीं है अर्थात् उनके पास डिजिटल साक्षरता का भी अभाव होगा।

ऐसे में यह देखने वाली बात है क्या ऊपर में चर्चा किए गए पेमेंट्स माध्यम ग्रामीण भारत के लिए प्रभावकारी साबित होंगे। यदि हम थोड़े विस्तार से ऊपर चर्चा किए गए भुगतान माध्यमों को देखें तो पाएंगे कि उसमें अनस्ट्रक्चरड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा (USD) के द्वारा लेनदेन करने के लिए किसी भी प्रकार के इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है और न ही इसके लिए एंड्राइड मोबाइल की जरूरत है। यह साधारण मोबाइल फोन से भी हो सकता है, इसके लिए जरूरत है तो बस आपके मोबाइल नंबर के बैंक खाते से पंजीकृत होने की। इसके अलावा यदि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) की बात की जाए तो यह ग्रामीण भारत में डिजिटल भुगतान की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास साबित हो सकता है क्योंकि इसमें सामान्य जन के पास एंड्राइड फोन की उपलब्धता या फिर डिजिटल साक्षरता जैसी बाधाएं नहीं आएंगी। 'आधार' तथा फिंगरप्रिंटस आधारित इस भुगतान विधि में बैंकों के 'बिज़नेस

आधार

आधार एक 12 अंकों वाली विशेष संख्या है, जिसे बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज करने के बाद प्रत्येक भारतीय नागरिक को जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल बिना किसी समस्या के व्यक्ति विशेष की पहचान को प्रमाणित करने के लिए किया जा सकता है और साथ ही इसके इस्तेमाल से सरकारी सेवाओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

लाभ: बायोमेट्रिक तरीका नकली दस्तावेजों की समस्या को समाप्त करता है। इसके जरिए सरकारी सहायता राशि को बैंक रहित क्षेत्रों में सीधे तौर पर पहुंचाया जा सकता है। इसने फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सेवाओं को पहले से अधिक आसान बना दिया है, क्योंकि इसके लिए आईएफएससी कोड, खाता संख्या आदि जैसी कई जानकारियों के बजाए सिर्फ आधार नंबर की जरूरत पड़ती है।

वर्ष 2015-16 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 30 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 61,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई है। 1.6 करोड़ फर्जी राशनकार्ड हटाकर रु. 10,000 करोड़ की बचत की गई है।

कॉर्रेसपोडेंस' की भूमिका होगी। बस आपका आधार आपके खाते से जुड़ा होना चाहिए फिर आप बैंक के बिज़नेस कॉर्रेसपोडेंस' के पास उपलब्ध माइक्रो ATM के द्वारा अपने आधार नम्बर तथा फिंगर प्रिंटस मात्र का प्रयोग कर कहीं भी भुगतान कर सकते हैं। इस तकनीकी पर ही आधारित एक अन्य भुगतान माध्यम को 'आधार पे' के नाम से इस बार अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर लांच किया गया है, जो मुख्यतः मर्चेन्ट्स अर्थात् विक्रेताओं हेतु है। 'आधार पे' मर्चेन्ट के लिए बनाया गया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। इसे उन लोगों के लिए खास बनाया गया है जिनके पास डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और मोबाइल फोन नहीं हैं। मर्चेन्ट्स इस एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे इसके बाद कस्टमर्स से ऑनलाइन पेमेंट लेने के योग्य होंगे। कस्टमर्स के बैंक अकाउंट से पैसे सीधे मर्चेन्ट के बैंक अकाउंट में जाएंगे। इसके लिए कस्टमर से उनका आधार नंबर मांगा जा सकता है और किस अकाउंट से ट्रांसफर करना है, सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सफलता को सुनिश्चित करने के सरकार के द्वारा बैंक को प्रति शाखा 30-40 मर्चेन्ट कम से कम नामांकित करने को कहा गया है ताकि ग्राहक को सुविधा मिल सके।

इन सबके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में पी.ओ.एस. (पॉइंट ऑफ़ सेल) मशीन (जिसमें हम अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को स्वैप कर भुगतान करते हैं) की आपूर्ति को भी सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी प्रयास हो रहे हैं। 200,000 प्वाइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) मशीनों को 100,000 गांवों में लगाए जाने की योजना है जिसके लिए नाबार्ड को 120 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन पीओएस मशीनों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्थापित किया जाएगा। पीओएस मशीनों की खरीद के लिए नाबार्ड वाणिज्यिक बैंकों को 6,000 रुपये प्रति उपकरण प्रोत्साहन देगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सरकार के विभिन्न प्रकल्पों जिनमें ग्रामीण विकास

मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय शामिल हैं, उन सभी के समन्वित प्रयास गांवों को भी डिजिटल मूवमेंट के माध्यम से वृहद् वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को साधने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने अंतर्गत आने वाले 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान' के द्वारा डिजिटल वित्तीय भुगतानों को ग्रामीण क्षेत्रों में समझाने हेतु एक ट्रेनिंग मोड्यूल भी बनवाया है। जिसका उद्देश्य है 'मनरेगा' के सक्रिय कार्यकर्ताओं जोकि लगभग 10.88 करोड़ हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों जिनकी संख्या लगभग एक करोड़ है तथा महिला स्वयंसहायता समूह के सदस्यों जिनकी अनुमानित संख्या 3.3 करोड़ के करीब है, इन सभी को डिजिटल लेनदेन के योग्य बनाना।

इन प्रयासों से इतर भारत सरकार ने इसी वर्ष 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' प्रारम्भ किया है जिसका उद्देश्य मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटली साक्षर बनाना है। इसके लिए 2,351.38 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च है। इस योजना के कोर्स में डिजिटल लेनदेन के माध्यमों जैसे यूनिकाईड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) अनस्ट्रक्चरड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा (USD) भीम एप, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) तथा अन्य ई-वॉलेट से भुगतान सिखाने पर विशेष बल दिया गया है।

एक तरफ जहां सरकार विभिन्न प्रकार के सुगम डिजिटल पेमेंट्स के माध्यमों का विकास कर रही है, उन्हें बढ़ावा देने के

लिए प्रयास कर रही है तथा डिजिटल माध्यमों को अपनाने के लिए ग्रामीण जनमानस में योग्यता का विकास कर रही है वहीं दूसरी ओर सरकार उतनी ही संजीदगी से आधारभूत ढांचे के विकास में भी लगी हुई है जिससे डिजिटल ग्रामीण भारत में वित्तीय लेनदेन की राहें और आसान हो। इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 70,000 करोड़ के कुल अनुमानित व्यय वाली 'भारत नेट' परियोजना पर कार्य चल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए 10000 करोड़ की बड़ी राशि आवंटित की गई है। इस योजना के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से देश की सभी 2.5 लाख ग्रामपंचायतों को 100 एमबीपीएस की हाई स्पीड से जोड़ा जाएगा तथा इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को भी 2 एमबीपीएस की स्पीड से इंटरनेट ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाना है। इस महत्वाकांशी परियोजना के संपन्न होने पर ग्रामीण भारत के डिजिटलीकरण में आने वाली इंटरनेट की बाधा समाप्त हो जाएगी जिसका इस पूरी मुहिम पर गुणात्मक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अतः हम यह निसंदेह कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया की यह मुहिम ग्रामीण भारत में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन के अपने वृहद् लक्ष्य को साधती नजर आ रही है।

(लेखक दृष्टि करंट अफेयर्स के संपादकमंडल में शामिल हैं।)

ई-मेल : jagannath.kashyap@gmail.com

प्रकाशन विभाग की 200 से अधिक ई-बुक्स

अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं



यहाँ से खरीदें:
play.google.com
kobo.com
amazon.in

अंतः व अंतरा प्लेटफॉर्म अनुरूपता, निम्न में
 Android, iOS, Kindle, Kobo etc













प्रकाशन विभाग
 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
 भारत सरकार

सभी ई-बुक्स की सूची यहाँ उपलब्ध है: publicationsdivision.nic.in

ई-तकनीकों का ग्रामीण विकास में योगदान

—डॉ. वीरेन्द्र कुमार

आई.सी.टी. के महत्व को समझते हुए किसानों तक नवीनतम कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक जानकारियों के प्रसार हेतु कई पहल की गई हैं। वेब-आधारित 'के.वी.के. पोर्टल' भी बनाए गए हैं। आई.सी.ए.आर. के संस्थानों के बारे में जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए आई.सी.ए.आर. पोर्टल और कृषि शिक्षा से सम्बन्धित उपयोगी सूचनाएं प्रदान करने के लिए एग्री यूनीवर्सिटी पोर्टल को विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त के.वी.के. मोबाइल एप भी किसानों को त्वरित व सुलभ सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास में डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा।

देश की आधी से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है जिसकी रोजी-रोटी एवं आजीविका का प्रमुख साधन खेतीबाड़ी एवं पशुपालन है। देश की उन्नति एवं खुशहाली का रास्ता गांवों से होकर जाता है। यदि भारत को खुशहाल बनाना है, तो गांवों को भी विकसित करना होगा। आज सरकार ग्रामीण विकास, कृषि और भूमिहीन किसानों के कल्याण पर ज्यादा जोर दे रही है। इसलिए यह क्षेत्र बेहतरी की दिशा में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता वर्तमान सरकार की पहचान बन गए हैं। सरकार ने अगले पांच वर्षों में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए परम्परागत तरीकों से हटकर 'आउट-ऑफ-बॉक्स' पहल की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए परम्परागत तकनीक के स्थान पर आधुनिक तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है। अधिकांश सीमांत और छोटे किसान पारम्परिक तरीके से खेती करते रहते हैं जिस कारण खेती की लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक तरीके के साथ सोच समझकर खेती की जाए तो फसलों से ज्यादा से ज्यादा उपज ली जा सकती है। साथ ही फसल की बुवाई से पूर्व यदि बाजार की तलाश कर ली जाए तो खेती मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है जिसके साथ कई चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए जरूरी है कि किसान आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से भी लाभान्वित हो। देश के अनेक भागों में हो रही

किसानों की खुदकुशी के अनेक कारण हैं जिनमें से एक कारण सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी न होना भी है। अतः सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों और किसानों को अवगत कराया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण, पशुपालक, खेतीहर मजदूर व किसान किसी योजना का लाभ लेने के लिए बिचौलियों के चक्कर में न पड़े। खाद-बीज जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति दुरुस्त नहीं होने से किसान गुणवत्ता से लेकर कीमत तक हर जगह ठगा जाता है। आज भारतीय किसानों के समक्ष सबसे गम्भीर समस्या उत्पादन का सही मूल्य न मिलना है। बिचौलियों और दलालों के कारण किसानों को अपने कृषि उत्पाद बहुत कम दामों में ही बेचने पड़ते हैं क्योंकि कई कृषि उत्पाद जैसे सब्जियां, फल, फूल, दूध और दुग्ध पदार्थ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इन्हें लम्बे समय तक संग्रह करके नहीं रखा जा सकता है। न ही किसानों के पास इन्हें



संग्रह करने की सुविधा होती है। यद्यपि किसानों को आढतियों की अवसरवादी कार्य-प्रणाली से बचाने के बारे में भी समय-समय पर ग्रामीणों को उचित परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने व किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों व प्रौद्योगिकियों जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आई.सी.टी. तकनीक, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई-खेती, ई-पशुहाट व किसान मोबाइल एप आदि की शुरुआत की है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

आई.सी.टी. तकनीक

उत्पादन बढ़ाने हेतु टिकाऊ कृषि में सूचना एवं संचार आधारित तकनीकों (आई.सी.टी.) का प्रयोग, के.वी.के. मोबाइल एप, कृषि विस्तार कार्यक्रमों में के.वी.के. की नई पहल इत्यादि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। आई.सी.टी. के महत्व को समझते हुए किसानों तक नवीनतम कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक जानकारी के प्रसार हेतु कई पहल की गई हैं। वेब-आधारित 'के.वी.के. पोर्टल' भी बनाए गए हैं। आई.सी.ए.आर. के संस्थानों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आई.सी.ए.आर. पोर्टल और कृषि शिक्षा से सम्बन्धित उपयोगी सूचनाएं प्रदान करने के लिए एग्री यूनिवर्सिटी पोर्टल को विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त के.वी.के. मोबाइल एप भी किसानों को त्वरित व सुलभ सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास में डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा किसानों की सुविधा के लिए अनेक मोबाइल एप जैसे किसान पोर्टल, किसान सुविधा, पूसा कृषि, फसल बीमा पोर्टल, एग्री मार्केट, एम किसान पोर्टल, कृषि मंडी मोबाइल एप भी शुरू किए गए हैं।

किसान पोर्टल

किसान पोर्टल एक वेबसाइट है जिसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। देश का कोई भी किसान इस पोर्टल तक अपनी पहुंच स्थापित कर बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, फार्म मशीनरी, मौसम, खेत उत्पादों के बाजार मूल्य, योजनाओं एवं कार्यक्रम के पैकेज, बीमा, भंडारण, ऋण एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी स्थानीय भाषा में हासिल कर सकता है। यह सुविधा देश के सभी राज्यों में ब्लॉक-स्तर तक उपलब्ध है। कृषि आदानों जैसे खाद, बीज, उर्वरक व कृषि यंत्रों के डीलर्स की जानकारी ब्लॉक-स्तर पर प्रदान की जाती है।

किसान सुविधा मोबाइल एप- यह एप संवदेनशील मानकों जैसे जलवायु, पौध संरक्षण, खाद, बीज व उर्वरकों के डीलर्स, कृषि परामर्श और मंडी मूल्य आदि पर किसानों को सूचना प्रदान करता है।

पूसा कृषि मोबाइल एप- माननीय प्रधानमंत्री के प्रयोगशाला से खेत (लेब टू लैंड) तक के सपने को साकार करने के लिए पूसा कृषि मोबाइल एप किसानों की सहायता के लिए शुरू किया गया।

इससे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी और तकनीक के बारे में किसान सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत नवीनतम व विकसित तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए जोर देने की जरूरत है जिससे किसान नई तकनीकी को अपनाकर अधिक लाभ कमा सकें और अपना जीवन खुशहाल बना सकें।

एम किसान पोर्टल- एम किसान पोर्टल कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा लाखों किसानों को परामर्श दिया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 100 कृषि विज्ञान केंद्रों पर स्वचालित मौसम केंद्र जोड़े गए हैं।

फसल बीमा पोर्टल- खेत में संचालित कटाई उपरांत प्रयोग की सूचना को डिजिटल कराने के लिए सी.सी.ई. कृषि मोबाइल एप विकसित किया गया है। जी.पी.एस. के माध्यम से यह एप खेत का स्थान स्वतः ही ग्रहण कर लेता है। एप के माध्यम से लिए गए फोटोग्राफ एवं डाटा को वेब सर्वर तुरंत स्थानांतरित करता है। यह दावा निपटान समय को कम कर पारदर्शिता को बढ़ाता है। किसानों, बीमा कम्पनियों एवं बैंकों सहित सभी स्टैक होल्डर के लिए एक ही पोर्टल है। इसमें दोनों बीमा योजनाओं जैसे पी.एम. एफ.बी.वाई. और डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. शामिल है। मोबाइल एप के माध्यम से और वेब पर प्रीमियम की अंतिम तारीख एवं किसानों को उनकी फसल एवं स्थान के लिए कंपनी संपर्कों की सूचना प्रदान करता है। बीमा प्रीमियम की गणना एवं अधिसूचित डाटाबेस का सृजन करता है। ऋण बीमा हेतु किसानों के आवेदन और बैंकों के साथ इनका संयोजन करता है।

ई-खेती

आज ग्रामीणों व किसानों के पास सूचनाएं और नई-नई जानकारी प्राप्त करने के कई माध्यम हैं। परन्तु ग्रामीण विकास व कृषि से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए इंटरनेट सबसे प्रभावी, सरल व आसान माध्यम है। आज किसान देश के किसी भी कोने से ई-मेल कर अपनी कृषि सम्बन्धित किसी भी समस्या का हल पा सकता है। ई-खेती ने वैज्ञानिकों, प्रसार कार्यकर्ताओं और विषय-वस्तु विशेषज्ञों पर ग्रामीणों की निर्भरता को बहुत ही कम कर दिया है। इंटरनेट के प्रयोग से बाजार सुनिश्चित कर खेती की जाए तो निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। किसान, पशुपालक व अन्य पेशे में लगे ग्रामीण भाई-बहन जब चाहे घर बैठे ही कृषि, पशुपालन या अन्य व्यवसायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज सुदूर गांव में बैठा किसान इंटरनेट के माध्यम से पलक झपकते ही कृषि संबंधी सारी जानकारी हासिल कर रहा है। कृषि विज्ञान संबंधी नवीनतम व अत्याधुनिक जानकारी के प्रचार-प्रसार में इंटरनेट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंटरनेट किसानों, वैज्ञानिकों और सरकार के मध्य सम्पर्क सेतु का कार्य करता है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं और कृषि अनुसंधान सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाएं सीधे तौर पर किसानों तक पहुंचती हैं। ग्रामीणों के कल्याण और उनकी प्रगति के लिए इंटरनेट सेवा को ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक दुरुस्त करने की

जरूरत है जिससे ग्रामीण भारत विकास व खुशहाली के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता रहे।

‘ई-नैम’ पोर्टल की स्थापना

पहले किसान के पास फसल तैयार होने के बाद बाजार ही नहीं होता था और वह औने-पौने दाम पर अपना उत्पाद बेचने को मजबूर हो जाता था। किसानों को उनकी उपज का अधिकतम लाभ देने और बड़ा बाजार उपलब्ध कराने हेतु पूरे देश में कृषि उत्पादों की ऑन-लाइन बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) की शुरुआत की गई है। इससे किसान अपने निकट की किसी भी मंडी में अपने उत्पाद को सूचीबद्ध कराकर सर्वाधिक मूल्य पर बेच सकेंगे। इसके तहत पूरे देश में एक कॉमन ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से 585 थोक मंडियों को जोड़ने की पहल की है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक आवंटन से योजना का 1 जुलाई, 2015 को अनुमोदन किया गया था। अब तक 13 राज्यों की 419 मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया गया है। यह पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी सहित अधिकांश क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। सरकार अंतमंडी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम और सुचारु बनाने का भी प्रयास कर रही है जिससे ऑन-लाइन व्यापार करने, ई-परमिट जारी करने और ई-भुगतान आदि करने के साथ-साथ बाजार के सम्पूर्ण कार्य के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा सूचना विषमता को दूर करने, लेन-देन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और पूरे देश के बाजारों में पहुंच आसान बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कृषि मंडी ‘ई-नैम’ पोर्टल की स्थापना किसानों के लिए एक क्रान्तिकारी कदम है। ‘ई-नैम’ एक अनूठा प्रयास है। इसके तहत ‘ई-नैम’ में ‘एक राष्ट्र एवं एक बाजार’ तथा किसानों की समृद्धि पर जोर दिया गया है जिससे ग्रामीण भारत की दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन होगा। ई-मार्केटिंग द्वारा किसानों को बाजार में बढ़ती स्पर्धा और पारदर्शिता के कारण अपने उत्पादों के बेहतर दाम मिल रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि मंडी के ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित की जा सकेगी। शुरु में राष्ट्रीय कृषि मंडी को 8 राज्यों की 23 मंडियों से जोड़ा गया था। अब 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर

प्रदेश, झारखंड व हरियाणा) की 250 मंडियां इस पोर्टल से जुड़ गई हैं। इन बाजारों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काम किया जाएगा। टोल फ्री नम्बर 1800-2700-224 पर हेल्प डेस्क स्थापित व चालू किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 585 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य है। योजना की विस्तृत जानकारी www.enam.gov.in पर उपलब्ध है। फसल उत्पादों की उचित कीमत पाने के लिए फसल की कटाई और गहाई उचित समय पर की जानी चाहिए। साथ ही बिक्री से पूर्व उचित ग्रेडिंग, पैकिंग और लेबलिंग की जानी चाहिए जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

जलवायु की बदलती स्थिति से किसान निरंतर विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना करते रहते हैं। इन जोखिमों से किसानों को बचाने और नुकसान से उबारने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ग्रामीण भारत के लिए एक सुरक्षा कवच है। इस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। शेष प्रीमियम का बोझ सरकार द्वारा उठाया जाएगा। प्रतिकूल मौसम स्थितियों के कारण फसल बुवाई ना कर सकने के मामले में भी किसान दावे की प्राप्ति के हकदार होंगे। यह योजना फसल बीमा को आसान बनाती है क्योंकि खाद्यान्न, दालों और तिलहनों के लिए एक ही दर होगी। कई बार किसानों को पैदावार के बाद खराब जलवायु स्थिति से भी नुकसान होता है। पी.एम.एफ.बी.वाई. किसानों को अत्यन्त लाभ देगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) किसानों के लिए संकटमोचक साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों के लागत खर्च की पूरी भरपाई की जा रही है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, भूस्खलन और जलभराव आदि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों की मदद कर रही है। इसके अंतर्गत खेत-स्तर पर भी क्षति का आंकलन किया जाता है। इसके अलावा फसल उपज के सभी जोखिमों जैसे फसल बुवाई के पूर्व नुकसान, खड़ी फसल और फसल कटाई उपरांत के जोखिम भी इसमें शामिल हैं। आपदा के कारण पहले 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा के फसल नुकसान के मामले में ही राहत दी जाती थी। अब ये राहत 33 प्रतिशत फसल के नुकसान पर दी जाएगी। विभिन्न मदों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की राशि में भी 1.5 गुना की वृद्धि की गई है। रबी व खरीफ खाद्यान्न फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5 व 2.0 प्रतिशत प्रीमियम है जबकि वार्षिक बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम है। बचा हुआ प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अनाज उत्पादक के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि किसान बड़ी आपदा से अपनी फसल आय को सुरक्षित रखें। इस योजना में बीमा के प्रीमियम का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके तहत चक्रवात एवं बेमौसम वर्षा की वजह से होने वाले नुकसान के अलावा कटाई के बाद 14 दिनों तक नुकसान के जोखिम के साथ स्थानीय

राष्ट्रीय कृषि मंडी : पहले देश के सभी राज्यों में अलग-अलग मंडी कानून थे। किसानों के लिए एकल मंडी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों से बात कर तीन प्रमुख सुधार यथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को मान्यता, एकल बिन्दु पर मार्केट फी एवं एकीकृत लाइसेंस पद्धति किए गए। 14 अप्रैल, 2016 को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय कृषि मंडी, वेब आधारित ऑनलाइन व्यापार पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी उपज देश भर की मंडियों के माध्यम से बेच सकेंगे। 8 जून, 2017 तक 13 राज्यों की 419 मंडियां, 46 लाख किसान, 90,000 व्यापारी एवं 47,000 कमीशन एजेंट ई-नाम पोर्टल से जुड़ चुके हैं जिनके द्वारा 22,179 करोड़ रुपये की राशि से 96 लाख मीट्रिक टन उत्पादों का कारोबार किया जा चुका है।

नवम्बर, 2016 में देश में पहली बार उच्च नस्ल/उत्पादक पशुधन को बेचने व खरीदने के लिए एवं उच्च नस्ल की वीर्य खुराक की उपलब्धता हेतु देश में पहली बार ई-पशुधन हाट पोर्टल प्रारंभ किया गया है। 12 जून, 2017 तक इस पोर्टल पर 15,831 जीवित पशु, 4.71 करोड़ वीर्य खुराकों तथा 373 भ्रूणों के बारे में सूचना अपलोड की गई है। इसके आधार पर बिना किसी बिचौलिए के पशुधन तथा वीर्य खुराकों की खरीद-फरोख्त में एक पारदर्शी उच्च नस्ल पशु बाजार की स्थापना की गई है। अब तक पोर्टल पर 3 करोड़ वीर्य खुराकों एवं 100 जीवित पशुओं की बिक्री की जा चुकी है।

आपदाओं को भी शामिल किया गया है। बीमा दावों का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। वर्ष 2016-17 के बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसान भाई प्रीमियम की गणना को www.agri-insurance.gov.in एवं क्रोप इंश्योरेंस मोबाइल एप पर देख सकते हैं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी, कार्यरत बैंक अथवा फसल बीमा कंपनी की निकटवर्ती शाखा से संपर्क करे ताकि किसान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा सके। वे कर्ज के जंजाल में न फंसे।

ई-पशुहाट पोर्टल की स्थापना

देश में पहली बार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवम्बर, 2016 के अवसर पर राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन के अंतर्गत ई-पशुधन हाट पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह पोर्टल देशी नस्लों के लिए प्रजनकों और किसानों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पोर्टल के द्वारा किसानों को देशी नस्लों की नस्लवार सूचना प्राप्त होगी। इससे किसान एवं प्रजनक देशी नस्ल की गाय एवं भैंसों को खरीद एवं बेच सकेंगे। देश में उपलब्ध जर्मप्लाज्मा की सारी सूचना पोर्टल पर देखी जा सकती है जिससे किसान भाई इसका तुरंत लाभ उठा सकें। इस पोर्टल के द्वारा उच्च देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन को नई दिशा मिलेगी। निकट भविष्य में पशुओं की बेहतर नस्लों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह बोवाइन प्रजनकों, विक्रेताओं और खरीददारों के लिए 'वन-स्टॉप पोर्टल' है। इससे ज्ञात आनुवांशिक लाभ के साथ रोगमुक्त जर्मप्लाज्म की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बिचौलियों की भागीदारी को कम से कम किया जा सकेगा। इससे केवल नकुल स्वास्थ्य-पत्र से टैग किए गए पशुओं की बिक्री में मदद मिलेगी। अपने स्थान पर पशु की डिलीवरी लेने के लिए ऑनलाइन पैसा अदा कर सकता है। इस वेबसाइट (www.epashuhaat.gov.in) पर किसान और प्रजनकों को जोड़ा जाता है। किसानों को पता चलता है कि कौन-कौन सी नस्लें उपलब्ध हैं तथा उन्हें कहां से खरीदा जा सकता है। पशुओं के क्रय-विक्रय के साथ-साथ जर्मप्लाज्म की पूरी जानकारी दी जाती है। इससे देश में विविध देशी बोवाइन नस्लों के परिरक्षण के साथ-साथ पशुपालकों की आय में वृद्धि की जा सकेगी।

किसान एस.एम.एस. पोर्टल

भारत सरकार ने किसानों के लिए एक एस.एम.एस. पोर्टल की शुरुआत की है। इस सुविधा के माध्यम से किसान कृषि के संबंध में अपनी आवश्यकताओं, स्थान और अपनी भाषा के अनुरूप सलाह और सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कृषि कार्य/पसंद की फसलों के बारे में संदेश प्राप्त करने के अनुरोध के बाद किसान एस.एम.एस. पोर्टल प्रणाली में किसानों को उनके मोबाइल पर एस.एम.एस. संदेश मिलते रहते हैं जिनमें सूचना या सेवा की जानकारी या विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों की आवश्यक सलाह दी जाती है। ये संदेश उन किसानों को भेजे जाते हैं जिनके आवास संबद्ध अधिकारियों/वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र में पड़ते हैं। किसान एस.एम.एस. पोर्टल एक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली है जो इसका उपयोग करने वाले विभाग/संगठन के लिए पूरी तरह निःशुल्क है तथा कृषि संबंधी सभी कार्यों के लिए है। प्रारम्भ में मौसम अनुमान, मौसम चेतावनी, पौधों और पशुओं में बीमारी शुरु होने या कीड़े लगने के संबंध में सलाह, स्थानीय आवश्यकताओं आदि के अनुरूप फसलों के लिए उचित प्रौद्योगिकी संबंधी परामर्श, नई या अत्यधिक उपयुक्त फसल की किस्म/पशु की नस्ल के संबंध में परामर्श, बाजार सूचना और मृदा परीक्षण के परिणाम आदि से संबंधित संदेश भेजे जाते हैं। अपना पंजीकरण कराते समय किसान जिस भाषा में एस.एम.एस. संदेश चाहते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं। यदि किसान के मोबाइल में उस भाषा का उत्तर प्राप्त करने की सुविधा नहीं है तो रोमन लिपि में उस भाषा में संदेश भेजे जा सकते हैं।

किसान सूचना केंद्र :- सरकार की ओर से किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्रों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से किसान सूचना केंद्र विकसित किए गए हैं। सूचना केंद्रों से जुड़े किसानों का अनुभव है कि एक तरफ उन्हें खेती में कम क्षेत्रफल में अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है तो दूसरी तरफ उन्हें नवीनतम तकनीकों को सीखने का अवसर मिल रहा है। पंजाब के कई किसानों को जहां परम्परागत खेती से अधिक जोखिम व बहुत कम आय प्राप्त होती थी, वहीं अब सूचना केंद्र के माध्यम से बेबीकोर्न की खेती में प्रति हेक्टेयर संतोषजनक व भरपूर आय प्राप्त हो रही है। बेबीकोर्न एक अल्प अवधी वाली फसल है जो मात्र 55 दिनों में तैयार हो जाती है। इस तरह एक निश्चित भूमि पर वर्ष भर में 4-5 फसलें ली जा सकती हैं। वैज्ञानिकों के संपर्क में रहने पर किसानों को दूसरे लाभ भी मिलते हैं। जैसे किसी भी तरह की समस्या होने पर इधर-उधर भागना नहीं पड़ता है। खेत में खाद से लेकर पानी देने तक की सलाह मिलने के कारण मृदा स्वास्थ्य, मृदा उर्वरता व उत्पादकता में भी संतुलन बना रहता है। इस प्रकार खेती में प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन लागत घटने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। सरकार व वैज्ञानिकों की ओर से मिले इस सहयोग को देखते हुए अब किसान कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्रों से जुड़ रहे हैं।

साइबर कृषि

कम्प्यूटर तकनीकी के माध्यम से कृषि में सही आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है जिससे जल, ऊर्जा, धन और समय की बचत होती है। यह ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों व पशुपालकों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराता है। देश भर में 'किसान केंद्रों' की स्थापना की गई है जहां ग्रामीण जीवन से जुड़े आधुनिक अनुसंधानों की जानकारी किसानों को दी जाती है। ग्रामीण भारत में डिजिटल साइबर कृषि ने एक मूक क्रान्ति का रूप लिया है जो आने वाले समय में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकती है। अतः साइबर कृषि बहुत ही उपयोगी एवं लाभदायक तकनीक है। इससे ग्रामीण जीवन बहुत ही आसान एवं व्यवस्थित बना सकते हैं। अतः ग्रामीणों को इन तकनीकों का लाभ लेकर अपनी जीवनचर्या को और बेहतर बनाना चाहिए।

कृषि तकनीक के स्थानांतरण पर जोर

सूचना प्रौद्योगिकी के कारण देश के कृषि परिदृश्य में तेजी से बदलाव आ रहा है। लगभग दो दशक पहले देश में कृषि कार्य परम्परागत ज्ञान के आधार पर होता था। नवीनतम व अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान मानवीय-स्तर पर होता था— जिस कारण किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। पिछले कई वर्षों में कृषि क्षेत्र में नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से फसलों की उपज बढ़ाने, पादप सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य, नवीनतम उन्नतशील संकर प्रजातियों के प्रयोग इत्यादि विषयों पर किसानों को जानकारी मिलने लगी है। जबकि पूर्व में इन जानकारीयों के लिए किसानों के पास रेडियो व टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध थी। आज सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने कृषि अनुसंधान और विकास के प्रचार-प्रसार को और अधिक प्रभावी व आसान कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी में हुए इस अभूतपूर्व विकास के कारण आज किसान देश के बड़े अनुसंधान संस्थानों, कृषि प्रतिष्ठानों, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों से भी सम्पर्क कायम कर सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से कृषि तकनीक के विकास पर जोर दिया जा रहा है। संचार सुविधाओं के विस्तार के साथ ही कृषि विकास को संचार से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कृषि में ज्ञान सूचना भंडार योजना का शुभारम्भ किया है। इसका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी और नवीनतम पद्धति का उपयोग करते हुए कृषि स्थानांतरण तकनीक सहित कृषि उत्पादन व्यवस्था को बेहतर बनाना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि अनुसंधान, शिक्षा, कृषि और कृषि प्रणालियों के विकास की जानकारी देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को खेती संबंधी विकास की नवीनतम जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है।

स्मार्ट फोन

आजकल स्मार्टफोन का प्रचलन दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। यह हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। स्मार्ट फोन ने खेतीबाड़ी के अलावा रोजमर्रा के अधिकांश कामों को आसान बना

दिया है। यह लगभग 24 घंटे हमारे साथ रहता है। इसकी सहायता से ग्रामीण अपने अनेक काम आसानी से निपटाने लगे हैं। मसलन साधारण बातचीत के अलावा मीटिंग करना, घर बैठे बिजली बिलों का भुगतान करना व खेतीबाड़ी की जानकारी वेबसाइटों पर निकाल सकते हैं। ई-मेल अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। घर पर बैठकर ही इन सब कामों को आसानी से निपटारा जा सकता है। स्मार्ट फोन पर कृषि संबंधी आधुनिक जानकारी विभिन्न एप के माध्यम से उपलब्ध है।

ए.टी.एम.

ए.टी.एम. जैसे सुविधाएं भी धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसार रही है जिसने ग्रामीण जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। जहां पहले ग्रामीण, किसान व खेतीहर मजदूर बैंक में पैसा जमा कराने और निकालने के लिए घंटों समय बर्बाद करते थे। वही अब कुछ ही मिनटों में ए.टी.एम. पर यह दोनों काम आसानी से निपटाए जा सकते हैं। डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड से तो मानो ग्रामीण क्षेत्र में क्रांति ही आ गई है।

किसान काल सेंटर

फसल उत्पादन से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए 'किसान काल सेंटर' की सुविधा सभी राज्यों में उपलब्ध है। इस सेवा के तहत किसान अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं जिनका समाधान 24 घंटे के अंदर कृषि विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। किसान कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अनुसंधान केंद्रों के विशेषज्ञों के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए नजदीकी किसान काल सेंटर पर टोल फ्री नं. 1800-180-1551 से साल के 365 दिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।

(लेखक जल प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में कार्यरत हैं।)

ई-मेल : v.kumardhama@gmail.com

2 अक्टूबर तक 1,418 शहर एवं कस्बे खुले में शौचमुक्त होंगे

छह राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और तेलंगाना के समस्त 1,137 वैधानिक शहरों एवं कस्बों को इस वर्ष 2 अक्टूबर तक खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया जाएगा। यह राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से नियमित तौर पर प्राप्त हो रही रिपोर्टों पर आधारित है। इस वर्ष 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तीन साल पूरे हो रहे हैं।

आंध्र प्रदेश, गुजरात और चंडीगढ़ ने अपने क्षेत्राधिकार वाले समस्त 281 शहरों और कस्बों को पहले ही ओडीएफ घोषित कर दिया है। इन शहरों एवं कस्बों को मिलाने के बाद इस वर्ष अक्टूबर तक कुल मिलाकर 1,418 शहर एवं कस्बे खुले में शौचमुक्त हो जाएंगे। मिशन के तहत तय 2 अक्टूबर, 2019 की समय सीमा से दो साल पहले ही यह लक्ष्य हासिल हो जाएगा। मिशन के तहत शामिल कुल 4,041 शहरों एवं कस्बों में इन नौ राज्यों की हिस्सेदारी 39 फीसदी है।


डिजिटल होता ग्रामीण भारत : वर्तमान चुनौतियां और भविष्य की रूपरेखा

—संदीप कुमार पाण्डेय

ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का स्वप्न गांधी के 'ग्राम स्वराज' से लेकर आधुनिक समय के स्मार्ट विलेज तक की यात्रा तय कर रहा है। लेकिन धरातल पर देखें तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि यह दौर संक्रमण का है, और विगत कुछ योजनाओं ने निश्चित तौर पर ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा और ग्लोबल विलेज के दायरे में खींचने का कार्य किया है।

एक दौर था जब भारत में कम्प्यूटर के आगमन और उसकी स्वीकार्यता को आधुनिकीकरण की ओर एक आवश्यक कदम मात्र कहा गया था। परन्तु, सच तो यह है कि उत्क्रांति का अपना आवेग होता है, अपनी दिशा होती है और किसी देश अथवा समाज की स्वेच्छा, उसकी अपनी सहभागिता को तो प्रभावित कर सकती है, उससे उत्क्रांति के नियत भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ विकासक्रम अपरिहार्य होते हैं और वैश्विक डिजिटलीकरण उसका सबसे सशक्त उदाहरण है। तकनीक ने आधुनिक मानव समाज की व्यापक होती मूलभूत आवश्यकताओं और सुखद भविष्य की कल्पनाओं के बीच असीमित अपेक्षाओं के पुल बांध दिए हैं। तकनीक इक्कीसवीं सदी की विकास योजनाओं की धुरी बन, बदलाव के बड़े बवंडर परोसने लगी है। लेकिन ग्रामीण भारत के दशकों पुराने बुनियादी प्रश्न मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती इत्यादि अब भी चुनौती बने हुए हैं।

ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का स्वप्न, गांधी के 'ग्राम स्वराज' से लेकर आधुनिक समय के 'स्मार्ट विलेज' तक की यात्रा तय कर रहा है। लेकिन धरातल पर देखें तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि यह दौर संक्रमण का है, और विगत कुछ योजनाओं ने निश्चित तौर पर ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा और ग्लोबल विलेज के दायरे में खींचने का कार्य किया है, जिससे भूमिगत भारत और मेट्रो मशरूफ भारत अब एक नियत कल की ओर एक साथ तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारत सरकार के साथ कई बड़ी कम्पनियों ने भी डिजिटल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इंटेल, क्वालकॉम और टाटा ने इस दिशा में प्रगति भी की है। इंटेल ने हाल ही में "डिजिटल स्किल्स फॉर इंडिया" पहल का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत "डिजिटल कौशल प्रशिक्षण एप्लीकेशन" लाया गया, जो पांच भारतीय भाषाओं में डिजिटल साक्षरता, वित्तीय



समावेशन, हेल्थकेयर और साफ-सफाई आदि मॉड्यूल के साथ डिजिटल साक्षरता की दिशा में काम करेगा।

ग्रामीण भारत के समक्ष चुनौतियां

- स्तरीय शिक्षा के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करना,
- शिक्षा के ऊपर होने वाले खर्च को नियंत्रित रखना ताकि राजस्व पर संतुलित दबाव हो,
- इंटरनेट पर लिंगानुपात कम करना,
- नारी सशक्तीकरण की दिशा में सूचना और सहभागिता को सहज करना,
- नागरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी ढांचे को ई-विस्तार देना,
- जनोपयोगी योजनाओं का पारदर्शिता से क्रियान्वयन के लिए मंच उपलब्ध कराना,
- रोजगार और जीविका के साधन उपलब्ध कराना,
- जीवन-स्तर में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना,
- सृजनशीलता, कला और संस्कृति को संरक्षण,
- लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करते हुए, सबल व सक्षम नागरिक तैयार करना,
- प्रशासन और नागरिक सेवाओं की आसान और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना,
- खेती और किसान को मुख्यधारा से जोड़ना, इत्यादि।

स्तरीय शिक्षा के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करना

वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव अपेक्षित है। न केवल नीतिगत-स्तर पर वरन ढांचागत-स्तर पर भी शिक्षा को ज्यादा रोजगार-परक और हुनर-केन्द्रित बनाया जाना है। नई शिक्षा नीति और ई-शिक्षा, दोनों के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक-स्तर पर तकनीक की मदद से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हुए बदलाव निश्चित तौर पर भारत के लिए बेहतर संकेत हैं। एक लाख करोड़ रुपये के अति महत्वकांक्षी डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत के सभी स्कूलों को वाई-फाई से जोड़कर, वृहज्ज्ञान तंत्र खड़ा किया जाना है। इसके साथ ही स्तरीय पाठ्यसामग्री, ग्रामीण भारत के बच्चों के पास भी सहज उपलब्ध हो सकेगी।

भारत सरकार ने स्थानीय भाषाओं में उच्च-गुणवत्ता की सामग्री का निर्माण करने के लिए 2013 में ओपन शैक्षिक संसाधन के राष्ट्रीय भंडार का शुभारंभ किया था, जिसके अंतर्गत द्रुत गति से पाठ्य सामग्रियों का संकलन कार्य हुआ। आज डिजिटल शिक्षा सामग्री का बड़ा भंडार, जन-सहभागिता और सरकारी गैर-सरकारी उद्यमों के सहयोग से संभव हो पाया है। भारत सरकार के साथ कई बड़ी कंपनियों ने भी डिजिटल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इंटेल, क्वालकॉम और टाटा ने इस दिशा में प्रगति भी की है। इंटेल की पहल "डिजिटल स्किल्स फॉर इंडिया" के अंतर्गत 'डिजिटल कौशल प्रशिक्षण एप्लीकेशन' लाया गया है, जो पांच भारतीय

भाषाओं में डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन, हेल्थकेयर और साफ-सफाई आदि मॉड्यूल के साथ डिजिटल साक्षरता की दिशा में काम कर रहा है।

उच्च शिक्षा अब कोई चुनौती नहीं

भारतीय उच्च शिक्षा में बहु-प्रतीक्षित बदलाव अब धरातल पर हैं, और इसका डिजिटल युग में प्रवेश हो चुका है। एमएचआरडी और एआईसीटीई द्वारा आईआईटी और आईआईएम सहित देश की टॉप फ़ैकल्टी ने "स्वयं" पोर्टल की शुरुआत की है। स्टडी वेब्स ऑफ़ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पाइरिंग माइंड्स (स्वयं) नाम से बने इस पोर्टल के जरिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक के फ्री लर्निंग कोर्स शुरू किए गए हैं। स्वयं के जरिए कक्षा 10 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक, कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले कोर्सज को उपलब्ध कराया गया है और इससे निःशुल्क पढ़ाई हो सकेगी।

इस पोर्टल के जरिए आईआईटी, आईआईएम और इग्नू जैसे संस्थानों में एडमिशन लिए बिना अब विद्यार्थी इनके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। इस पोर्टल पर इंजीनियरिंग और नॉन-इंजीनियरिंग के 200 कोर्सस अपलोड कर दिए गए हैं। कन्वोकेशन ऑफ़ डिजिटल इनीशिएटिव के तहत 'स्वयं' 'पोर्टल' के लिए विश्वविद्यालयों को ऐसा कोर्स सिलेक्ट करने को कहा गया है और यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ई-कंटेंट में तब्दील किए जाने की योजना है। पोर्टल में वीडियो लेक्चर, स्टडी और असेसमेंट मटेरियल रहेगा। पोर्टल के अलावा एप के जरिए भी कोर्स से जुड़ा जा सकता है।

सामाजिक बदलाव

तकनीक हमेशा से शिक्षा के नए युग में प्रवेश का माध्यम रही है। चाहे वह पेपर हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, ब्लैकबोर्ड हो, पुस्तकें हो अथवा इक्कीसवीं सदी का मोबाइल ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सुविधा हो। शिक्षा में तकनीक की महत्ता मात्र पढ़ने की क्षमता और गणित के ज्ञान तक सीमित नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने और मातृ एवं शिशु मृत्युदर को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, विकासशील देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता से अधिक प्रभावित होते हैं। डाटा शोध और आकलन यह बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर प्रतिभा प्रदर्शन, प्रति व्यक्ति आय, आय वितरण और समग्र आर्थिक विकास की दृष्टि से समय और संज्ञानात्मक विकास के बीच सकारात्मक संबंध है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक शोध में यह बात उभर कर आई कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों के मुकाबले, भारत और मध्य एशिया देशों में उच्च आर्थिक विकास दर केवल इसी कारण रहा, क्योंकि यहां की सरकारों ने भौतिक और मानव पूंजी में अपने उच्च निवेश को बनाए रखा है। प्रौद्योगिकी को शिक्षा, सामाजिकता और ग्रामीण इलाकों में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किए जाने के उद्देश्य को देखते हुए सभी विकासशील देशों के विभिन्न मंत्रालयों को विभिन्न



समदर्शी योजनाओं पर काम करते देखा जा सकता है।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर

शिक्षा की गुणवत्ता का एक और प्रत्यक्ष लाभ मातृ एवं शिशु मृत्युदर को कम करना रहा है। 1970 के बाद से दुनियाभर में बाल मृत्युदर में आई कमी का प्रमुख कारण महिलाओं में 'प्रजनन की आयु के समय शिक्षा प्राप्ति में हुई वृद्धि' है। शिक्षित महिलाएं स्वयं का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख पाती हैं। इंटरनेट पर आपसी संवाद और समूहों में जुड़ने से स्त्रियों के आत्मविश्वास में वृद्धि देखी गई जिससे घरेलू हिंसा जैसे जटिल मामलों में कमी पायी गई है। लेकिन इंटरनेट पर लिंगानुपात में बड़ा अंतर चिंता का कारण है। इसे दूर करने के लिए गूगल का एक प्लेटफॉर्म खासा मददगार साबित हो रहा है। hwgo.com हेल्पिंग वीमेनगेट ऑनलाइन, नाम के इस मंच पर इंटरनेट के प्रयोग और सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी के साथ-साथ घरेलू और कामकाजी महिलाओं के लिए सामान्य जानकारी भी सरल रूप में उपलब्ध है। भारत की महिलाएं व्यापार जगत को चुनौती देने के लिए इंटरनेट की ताकत का सफलतापूर्वक फायदा उठा रही हैं और महिला उद्यमियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विश्व के प्रसिद्ध ई-कामर्स पोर्टल Alibaba.com (अलीबाबा डॉट कॉम) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला उद्यमियों में सालाना-स्तर पर 71 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

क्या है खेती के समक्ष चुनौतियां

भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकता के प्रति सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। समय की मांग है कि खेती को लेकर वैचारिक शिथिलता और संस्थागत निष्क्रियता को खत्म किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने बीते दिनों में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में प्राकृतिक संसाधनों की कमी की ओर बढ़ते विश्व में खाद्य सुरक्षा और कृषि प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया था। तकनीक के बढ़ते प्रयोग ने किसानों के लिए संसाधनों के बेहतर उपयोग की संभावनाएं पैदा

की हैं। रिपोर्ट के अनुसार, तकनीक के प्रयोग से सन 2050 तक वर्तमान उत्पादन क्षमता में 67 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अन्न की कीमत में पचास प्रतिशत तक कटौती संभव है।

अब किसान हो रहा स्मार्ट, ई-खेती का जमाना

यह दशक भारत में तकनीकी क्रांति का नया अध्याय लिखने की ओर अग्रसर है। जब ग्रामीण भारत संचार और सूचना-तंत्र के वैश्विक पटल पर अपना पदार्पण कर रहा है। सत्तर करोड़ ग्रामीण आबादी को सम्मिलित कर, भारत का डिजिटल इंप्रिंट, किसान और कृषि के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलने जा रहा है। बदलते भारत में कृषि जहां आधुनिक मशीनरी और जैवप्रौद्योगिकी के नए प्रयोगों को आत्मसात करने को अग्रसर है, वहीं जनसुलभ आईसीटी (सूचना व संचार तकनीक) सेवाएं किसानों को अत्याधुनिक प्रयोगों और पद्धतियों के प्रति जागरूक कर रही हैं। सही जानकारी, सही समय पर और सही तरीके से प्रसारित होने से उत्पादन में अभूतपूर्व सुधार दिखने को मिलेगा। चूंकि आईसीटी आधारित अधिकांश सेवाओं के लिए इंटरनेट, कंप्यूटर अथवा स्मार्ट मोबाइल प्राथमिक आवश्यकता है, ऐसे में ग्रामीण भारत को तकनीकी ज्ञान से सक्षम बनाना और सेवाओं को सुलभ बनाना पहली प्राथमिकता होगी।

ग्रामीण अंचलों में इंटरनेट का विस्तार अभी स्तरीय और उच्च-क्षमता का नहीं होने के कारण आवाज और अक्षर ही शुरुआती दौर में सूचना के वाहक बन रहे हैं। वीडियो सामग्री का पहुंचा पाना अभी खर्चीला भी है और इसके लिए संस्थागत स्वरूप का कोई प्रभावी ढांचा भी आकार नहीं ले पाया है। हालांकि इस दिशा में सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास बड़े स्तर पर किया जा रहा है।

डिजिटल ग्रीन नामक एक गैर-सरकारी संगठन, भारत में छोटे किसानों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार के साथ-साथ भारतीय कृषि प्रणाली में सुधार के लिए अभिनव तरीके विकसित करने की दिशा में कार्यरत है। यह लोग अलग-अलग क्षेत्र के किसानों द्वारा, अपने क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त प्रभावी कृषि पद्धति और प्रक्रिया पर स्थानीय भाषाओं में वीडियो तैयार कर रहे हैं। इन छाया चित्रों को अन्य गैर-सरकारी संगठनों की मदद से पिको-प्रोजेक्टर द्वारा किसानों के छोटे-छोटे समूहों के मध्य दिखाया जाता है। मोबाइल वाणी नामक एक सेवा ग्राम वाणी (graamvani.org) द्वारा सक्रिय है। इसकी मदद से किसानों के सामूहिक होने, प्रश्न पूछे जाने और अपने अनुभव को अन्य किसान मित्रों से मोबाइल पर ही साझा किए जाने की सुविधा मिलती है। हालिया दिनों में शुरु हुए किसान टीवी को इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गूगल प्ले स्टोर पर भी तमाम ऐसे एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जो न केवल खेत-खलिहान से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, बल्कि सरकारी अथवा गैर-सरकारी स्तर पर हो रहे विभिन्न प्रयोगों, कार्यक्रमों, नीतिगत बदलावों आदि की भी सूचना देते रहते हैं। "खेती

रो ज्ञान, मॉडर्न खेती, एगो इंडिया, एग्रीएप, किसान योजना, अग्रोवन, कृषि एप, कृषि मित्र आदि कई एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। खेतीबाड़ी और कृषि ज्ञान नाम के दो अन्य एप्लीकेशन अपने यूजर इंटरफेस के सरल और सहज होने के कारण प्रयोग करने में एकदम आसान हैं। हालांकि भारत में जिस तेजी से सोशल नेटवर्क की पहुंच गांव तक हो रही है, एक प्रभावी किसान सोशल नेटवर्क की कमी जरूर खलती है।

कृषि प्रौद्योगिकी के कुछ अभिनव प्रयोग

तकनीकी उपकरणों की मदद से अब खेती से जुड़े कई मामलों में सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए गायों में उष्मा का पता लगा कर दूध उत्पादन और प्रजनन क्षमता का आंकलन किया जा रहा है। वहीं खेतों में उर्वरकों के उचित उपयोग के लिए, सिंचाई के लिए, कटाई अथवा बुआई के लिए छोटे ड्रोन जैसे नवीन उपकरणों और जीपीएस सुविधा का उपयोग किया जा रहा है, जिससे खेतों को आसानी से नेविगेट कर सही जगह का पता लगाया जा सके और निगरानी रखी जा सके।

सुपर कंप्यूटर और कृषि उत्पादन संबंधी विभिन्न पहलुओं के डाटा संकलन के बाद कुछ ऐसे समाधान अब उपलब्ध हैं जिससे खेत की उपज सम्बन्धी, संसाधनों के रखरखाव और खेतों पर काम कर रहे मजदूर आदि का प्रबंधन आसान हो गया है। कृषि क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मोनसेंटो और उपकरण निर्माता जॉन डीरे कंपनी की योजना बड़ी कृषि उत्पादक कंपनियों को 'नवीनतम कृषि अपडेट' वृहद-स्तर पर किए डाटा खनन के पश्चात उपलब्ध कराने की है। यह डाटा किसी दिए भूभाग में सबसे उत्कृष्ट उत्पादन का सटीक आंकलन, मौसम, उर्वरकता, संकलित डाटा के शोध के पश्चात जारी किया जाएगा। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसान तकनीक के उपयोग की ओर आकृष्ट होंगे। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ बड़े प्रश्न अभी उत्तरित होने हैं। जैसेकि किसानों के लिए कितनी जानकारी मुहैया करानी पर्याप्त होगी। इस डाटा पर स्वामित्व किसका और कितना होगा, क्या एक किसान के डाटा का उपयोग उसके हित के विरुद्ध भी किया जा सकता है?

इस दिशा में असल चुनौती तकनीक शून्य ग्रामीण समाज को इसके प्रयोग से अवगत कराना, सहज कराना और सुलभ कराना होगा। इसी दिशा में आईटी और डिजिटल शिक्षण से जुड़े लोग बड़ी संख्या में, व्यावसायिक उद्देश्य से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें तकनीकी दक्षता का अभाव देखा जा सकता है। यह लोग तकनीक के क्षेत्र में हो रहे अभिनव प्रयोगों के प्रति रुचि भी नहीं रखते। अधिकांश प्रशिक्षकों में 'क्लाउड कंप्यूटिंग', 'एम-लर्निंग', 'स्वामित्व की कुल लागत' जैसे सामान्य विषय पर जानकारी का अभाव पाया गया है। कुल मिलाकर भारत आने वाले एक दशक के अंदर तकनीकी क्रांति के आवेश में होगा। ऐसे में नवाचार को प्रोत्साहित करने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के समान एक स्वायत्त एजेंसी होनी चाहिए। यह स्वायत्त

एजेंसी निजी क्षेत्र से प्रतिभा के साथ मिलकर काम कर सकती है। दूसरी अहम चुनौती ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता और विस्तार को लेकर है। अगर मजबूत इच्छाशक्ति और ईमानदार प्रयास हों तो निश्चित रूप से भारत को विकासशील से विकसित देश बनाया जा सकता है।

(लेखक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं।)

ई-मेल : talk2spandey@gmail.com.

साइबर स्वच्छता केंद्र-बॉटनेट क्लीनिंग एवं मालवेयर विश्लेषण केंद्र

'स्वच्छ भारत' अभियान का दायरा बढ़ाकर इसमें साइबर विश्लेषण वर्ल्ड को भी लाते हुए मालवेयर एवं बॉटनेट के विश्लेषण के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र-बॉटनेट क्लीनिंग एवं मालवेयर विश्लेषण केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि



शंकर प्रसाद ने शुरू किया गया है। इस केंद्र का शुभारंभ किया जो नेटवर्क एवं प्रणालियों को बुरी तरह प्रभावित कर देते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 'डिजिटल इंडिया' अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में बॉटनेट के संक्रमण का पता लगाकर एक सुरक्षित साइबर स्पेस का सृजन करना और अधिसूचित करने के साथ-साथ क्लीनिंग को सुनिश्चित करना और अंतिम उपयोगकर्ताओं की प्रणालियों को सुरक्षित करना है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस केंद्र का परिचालन इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉंस टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा किया जा रहा है। इस केंद्र का लक्ष्य सरकार और उद्योग जगत के बीच आपसी समन्वय को बढ़ाना है, ताकि सभी उपयोगकर्ताओं के बीच साइबर स्वच्छता को प्रोत्साहित किया जा सके और इसके साथ ही भारत में एक सुदृढ़ एवं सुरक्षित इंटरनेट परितंत्र का सृजन भी किया जा सके।

माननीय मंत्री ने साइबर स्वच्छता केंद्र के इस अवसर पर कई घोषणाएं कीं-

- राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र का परिचालन जून, 2017 शुरू।
- क्षेत्रवार सीईआरटी का गठन किया जाएगा, जो सीईआरटी-इन के अंतर्गत काम करेंगी।
- सीईआरटी का गठन राज्य-स्तर पर भी किया जाएगा।
- 10 और एसटीक्यूसी (मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन) इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
- ऐसे किसी भी स्टार्टअप को परीक्षण शुल्क विवरण देना होगा, जो साइबर सुरक्षा की तलाश में कोई डिजिटल प्रौद्योगिकी पेश करेगा; इसमें 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी।
- सशक्त नामित फॉरेंसिक लैब्स साइबर अपराध को साबित करने वाले एक प्रमाणित प्राधिकरण के रूप में काम करेगी।
- केंद्र सरकार इस दिशा में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) और एंटी-वायरस कंपनियों के साथ अच्छा तालमेल बैठाते हुए कार्य करेगी।



स्वच्छता पखवाड़ा लेखा-जोखा

वस्त्र मंत्रालय ने मनाया स्वच्छता पखवाड़ा

स्वच्छता का संदेश देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने की जरूरत है और प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ उनकी सक्रिय भागीदारी से ही सफल हो सकता है। वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अजय टमटा ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता विज़न को ध्यान में रखते हुए सरकार और समाज के सभी वर्ग स्वच्छ भारत के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। श्री टमटा ने कहा कि लोगों की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है ताकि सभी राष्ट्र यह महसूस कर सकें कि भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है।



वस्त्र मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़े पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए श्री टमटा ने कहा कि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सभी 17 संस्थाओं ने स्वच्छता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। वस्त्र मंत्रालय के कार्यालयों, जूट मिलों, कर्मचारियों के आवासीय परिसरों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। पूरे देश में स्थित निपट (राष्ट्रीय फैशन संस्था) के विभिन्न केन्द्रों के छात्रों ने समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई की और दीवारों को पेंटिंग से सुसज्जित किया जिसमें स्वच्छता से जुड़े संदेश लिखे गए थे। मंत्री महोदय ने मंत्रालय कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनके प्रयासों से लगभग 2000 बंद फाइलों का निपटारा किया गया। मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पर केंद्रित एक वीडियो गाना भी तैयार किया गया है जिसे विभिन्न स्थानों पर दिखाया जा रहा है।

वस्त्र मंत्रालय में 1 मई से 15 मई, 2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और कहा कि स्वच्छता को सबकी जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए न कि केवल साफ करने में शामिल लोगों की जिम्मेदारियों के रूप में।

कपड़ा सचिव श्रीमती रश्मि वर्मा ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा केवल सांकेतिक रूप में नहीं मनाया चाहिए बल्कि ऐसे कार्यक्रम के रूप में मनाया चाहिए जो दिल से निकले।

स्वच्छता पखवाड़े के दौरान वस्त्र मंत्रालय में 'कचरे से

धन' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विषय पर निपट छात्रों ने एक फिल्म भी बनाई है। निपट छात्रों को सभी बुनाई सेवा केंद्रों पर स्वच्छता गतिविधियों के नेतृत्व के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस दौरान विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका विषय था 'स्वच्छता-किसका कर्तव्य?' सरकार या नागरिक?

पखवाड़े के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन तथा जैविक कृषि (केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा आयोजित) विषयों पर प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य व स्वच्छता शिविर, स्लोगन प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, मानव श्रृंखला, पदयात्रा और चित्रकारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

क्र. सं.	घटक के नाम	बजट (लाख रुपये में)	
		2017-18	2018-19
1.	लोगों तक पहुंच	2,012.48	2,384.3
2.	समूहों का अभिग्रहण		
3.	स्वच्छ उत्पादन के लिए अभिनव प्रक्रियाएं		
4.	नागरिक इंटरफेस क्षेत्रों में सुधार		

वस्त्र मंत्रालय अपने सभी कार्यों में स्वच्छता को दैनिक जीवन के एक अंग के रूप में अपनाना चाहता है। इसके लिए मंत्रालय ने एक व्यापक स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की है। इस योजना के विभिन्न घटकों तथा इसके लिए आवश्यक कोष का विवरण तालिका में दर्शाया गया है।

बड़े फैसले कड़े फैसले

भ्रष्टाचार का सफाया, हर हाल में

- कालेधन और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नोडबंदी का ऐतिहासिक निर्णय
- सालों बाद बेनामी प्रॉपर्टी पर कड़ा कानून बना
- कोयला, स्पेयरपार्ट्स, एफ. एम. नीलामियों और पर्यावरण मंत्रियों में पूर्ण पारदर्शिता
- बेदाग सरकार- 3 वर्षों में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं

राष्ट्र हित में उठाए बड़े कदम

- सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब
- म्यांमार सीमा पर आतंकीवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
- मिसाइल टेकनालॉजी कंट्रोल रिजिम (एम.टी.सी.आर.) में भारत शामिल हुआ

सालों से रुके फैसलों का निपटारा

- दशकों से लंबित OROP की मांग को पूरा किया
- सालों पुराना बांग्लादेश सीमा विवाद सुलझा
- सालों बाद GST पर सर्वसम्मति बनाई, अब देश को एक समान टैक्स व्यवस्था मिलेगी
- अब से हर साल 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है जिससे बजट राशि का उचित उपयोग हो सके

**साथ है, विश्वास है
...हो रहा विकास है**



dayp22112/13/0002/1718



भारत सरकार

स्वच्छता सेनानी



विजयनगरम का 100 घंटों में 10,000 शौचालय बनवाने का अभियान

विजयनगरम में “100 घंटों में 10,000 शौचालय” शीर्षक वाला स्वच्छता अभियान 14 मार्च को लक्ष्य से कुछ अधिक 10,449 शौचालयों के निर्माण के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। समुदाय और जिला प्रशासन के प्रयासों की बदौलत इस अभियान के लिए चुनी गई 71 में से 44 ग्राम पंचायतों (जीपी) को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाया जा सका।

100 घंटों के अभियान का आरम्भ और समापन विजयनगरम मंडल के सनकरीपेटा नामक एक गांव में जिला कलेक्टर (डीसी) श्री विवेक यादव ने परम्परागत पद्धतियों के साथ किया। उन्होंने बताया, “समाज के सभी तबकों—गैर—सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों, समुदायिक संगठनों और यूनिसेफ से जुड़े लोगों ने इसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया और जिला प्रशासन को भरपूर समर्थन दिया।”

विजयनगरम में 923 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से मात्र 21 प्रतिशत में शौचालय हैं। इस अभियान के प्रारंभ होने से पहले, यहां लगभग 3,50,000 शौचालयों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता थी। इस अभियान के अंतर्गत 34 मंडलों में से प्रत्येक से 2 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। बाद में मंडल परिषद विकास अधिकारियों (एमपीडीओ) के अनुरोध पर तीन और ग्राम पंचायतों को साथ जोड़ते हुए कुल 71 ग्राम पंचायतों को इस अभियान के लिए चुना गया।

10 मार्च सुबह 6 बजे शुरू हुए इस अभियान के दौरान 20,000 राजमिस्त्रियों और मजदूरों तथा 3000 सरकारी अधिकारियों को कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ा गया। यह अभियान 100 घंटे बाद 14 मार्च को सुबह 10 बजे सम्पन्न हुआ।

इस प्रक्रिया में, सभी शौचालय जियो-टैंग्ड हैं और इनके निर्माण के लिए प्रोत्साहन स्वरूप केंद्र की ओर से 12,000 और राज्य सरकार की ओर से 3,000 रुपये की राशि लाभार्थी परिवारों को जारी की गई। विजयनगरम जिले में पहली बार अनूठी पहल करते हुए बड़े पैमाने पर हनीकॉम लीच पिट्स



का निर्माण किया गया, जिन्हें सीमेंट रिंग्स के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया।

इस अभियान को समुदाय से, विशेषकर जनजातीय महिलाओं से अपार समर्थन मिला। उन्होंने न केवल गड्ढे खोदने में मदद की, बल्कि राजमिस्त्रियों और मजदूरों के भोजन और अन्य आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा। पहले सामुदायिक बैठकों में भाग लेने की वजह से वे शौचालयों की आवश्यकता और घर में शौचालय बनवाने के अवसर से अवगत थीं।

यह अभियान उत्सव के माहौल में चलाया गया, इसलिए चारों ओर उत्साह का वातावरण था। अभियान के समाप्त होने पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में निगरानी समितियों का गठन किया गया, जिनमें बहुत-सी महिलाओं को स्वयंसेवी के तौर पर शामिल किया गया। सभी लोगों द्वारा अपने शौचालयों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इन समितियों को सीटी, बैज और रेडियम जैकेट उपलब्ध कराई गई। यह 100 घंटे का अभियान भले ही सफल रहा, लेकिन ओडीएफ का दर्जा प्राप्त करने के लिए जिले में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

आगामी अंक

सितंबर, 2017 – ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास

आजादी के बाद गांवों में आया बदलाव

—वी. श्रीनिवास

किसानों को अधिकार सम्पन्न बनाने और गांव के स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की सरकार की पहल गरीबी में कमी लाने और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सूचकों में वृद्धि करने में सफल रही है। खेती से होने वाली आमदनी में बढ़ोतरी और सब्सिडी हस्तांतरण में पारदर्शिता से 21वीं सदी के गतिशील और प्रगतिशील भारत का सृजन संभव हो सकेगा।

भारत के नीति निर्माता हमेशा से कृषि क्षेत्र में त्वरित वृद्धि और ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में त्वरित वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते आए हैं। महात्मा गांधी ने भारत की परिकल्पना आत्म-संतुष्ट स्वायत्त ग्राम गणराज्यों वाले राष्ट्र के रूप में की थी। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन में सामाजिक न्याय और भूमि सुधार के ध्येय का अनुसरण किया था। भूमि-ग्रामीण अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य है और कृषि की संरचना भारत के विकास का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। भूमि का बेहद पक्षपातपूर्ण वितरण कृषि संबंधी पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। ग्रामीण भारत में आय सृजन की दृष्टि से भूमि एक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति है, ऐसे में ग्रामीण लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कृषि संबंधी जोतों के स्वरूप में बदलाव लाया जाना आवश्यक था। इस कारण, भारत सरकार की नीति राज्य सरकारों की ओर से भूमि सुधार कानूनों के निरूपण और कार्यान्वयन पर केंद्रित है। इनमें भूमि हदबंदी कानून, काश्तकारी कानून, भू-राजस्व कानून शामिल हैं और मोटे तौर पर किसान के लिए भूमि से संबंधित नीति को अपनाया गया। सरकार की अतिरिक्त कृषि योग्य जमीनें गरीब और जरूरतमंद किसानों में

बांट दी गईं, ताकि वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकें। इन नीतियों की परिकल्पना कृषि संबंधी वृद्धि को बढ़ावा देने और ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करने के लिए की गई थी।

जुलाई 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग संबंधी गतिविधियों के प्रसार पर व्यापक बल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के नेटवर्क का विस्तार किया गया तथा कृषि और उससे जुड़े कार्यकलापों के लिए बैंक ऋण का विस्तार किया गया। सामाजिक बैंकिंग दृष्टिकोण के तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को बैंक ऋण प्रदान किए जाने (प्राइओरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स) और ब्याज दरों की शुरुआत की गई। गांवों में बैंकों की शाखाओं के विस्तार से ग्रामीण गरीबों में महत्वपूर्ण कमी आई और गैर-कृषिगत वृद्धि में बढ़ोतरी हुई। हालांकि, जैसे-जैसे वक्त बीतता गया, राज्यों के विकास के स्तरों में अंतर आता गया। समृद्ध और तेजी से तरक्की करने वाले राज्यों की श्रेणी में गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब थे। मध्यम आमदनी वाले राज्यों में कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल थे। गरीब राज्यों में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश,



मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल थे। समृद्ध और तेजी से तरक्की करने वाले राज्य गांवों में गरीबी में कमी लाने की दृष्टि से बेहतर रहे, जबकि गरीब राज्यों में वृद्धि अस्थिर रही। तेजी से तरक्की करने वाले राज्यों ने जोतों को निवेश, उत्पादकता और वृद्धि के लिए व्यवहार्य इकाइयों के रूप में एकीकृत करने हेतु कानून बनाए। गरीब राज्यों में, छोटे और सीमांत किसान अपनी जमीनों से वंचित होने पर भूमिहीन खेतिहर मजदूर बनते चले गए और बाजार की अनिश्चितताओं पर पूरी तरह से निर्भर होते गए। जहां वर्षा सिंचित कृषि प्रणालियां प्रचलित थीं, उन क्षेत्रों में मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन देखा गया। समृद्ध राज्यों ने बहुत अधिक निवेश आकर्षित किया और वहां बुनियादी सुविधाओं का बेहतर ढंग से विकास हुआ, जिसकी बदौलत वहां की प्रति व्यक्ति आय गरीब राज्यों की तुलना में बहुत अधिक रही।

इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए गए। ये कार्यक्रम भू-संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू किए गए। भू-संसाधन विभाग ने मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखाप्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वॉटरशेड विकास कार्यक्रम सहित प्रमुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किए। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 5 राज्यों के 21 जिलों में और सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम 16 राज्यों के 183 जिलों में लागू किया गया और वॉटरशेड विकास कार्यक्रम विकेंद्रीकृत सहभागी विकास संबंधी मॉडल में चिन्हित क्षेत्रों में संचालित किया गया। इसका उद्देश्य विशाल भूखंडों पर रोधक बांधों का निर्माण, चरागाहों का विकास और पशुपालन की बेहतर पद्धतियों को बढ़ावा देने सहित वॉटरशेड उपचार पद्धतियों के साथ संसाधित करना था। वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में दूसरी फसल से, अनिवार्य रूप से खेत से होने वाली आमदनी बढ़ेगी और खेतिहर मजदूरों के पलायन में कमी आएगी।

भारत सरकार ने परिसम्पत्ति के सृजन, कौशल विकास, रिहायशी आवास और रोजगार सृजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभदायक कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन किया। दशकों से ये कार्यक्रम विकसित किए जाते रहे हैं और उनमें संशोधन होता रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने राष्ट्रीय रुर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू जीकेवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) कार्यक्रमों जैसी प्रमुख योजनाएं लागू की। भारत के 685 जिलों में मनरेगा का कार्यान्वयन किया गया, जिनमें 6863 ब्लॉकों और 2.62 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया गया। कुल 12.54 करोड़ जॉबकार्ड जारी किए गए और 25.2 करोड़ खेतिहर मजदूरों का पंजीकरण किया गया। व्यक्तिगत और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों में आश्वस्त रोजगार सहित अखिल भारतीय-स्तर पर मनरेगा के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधनों और परिसम्पत्तियों

का महत्वपूर्ण सृजन हुआ है। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का प्रारंभ फरवरी 2016 में ग्राम समूहों के विकास के लिए एक ऐसी नई पहल के तौर पर किया गया था, जो शहरी स्वरूप वाली सुविधाओं से समझौता किए बगैर समानता और समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण सामुदायिक जीवन के मूलतत्त्व को संरक्षित और प्रोत्साहित करती हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू जीकेवाई) गरीब परिवारों के 15 से 35 साल के युवाओं पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आमदनी में विविधता लाना और ग्रामीण युवाओं की कैरियर संबंधी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है। कौशल भारत अभियान जनसांख्यिकीय लाभांश को बेहतर ढंग से साकार करते हुए भारत की युवा आबादी को प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें दुनिया भर में रोजगार दिलाने के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया अभियान सहित विस्तृत अवसर उपलब्ध कराता है।

भारतीय किसानों की हमेशा से यही चिंता रही है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऋण उचित दाम पर और समय पर उपलब्ध हो जाए। इस दिशा में उठाए गए मुख्य कदमों में से एक कदम वित्तीय समावेशन का था। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन का प्रतिनिधित्व किया ताकि बैंकिंग, बचत और जमा खातों, विप्रेषित धन, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक किफायती ढंग से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। वित्तीय समावेशन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2014 को की गई थी और इसके पहले ही दिन, 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। जन-धन योजना ने बैंक खातों और ओवरड्रॉफ्ट सुविधा तक सार्वभौमिक और स्पष्ट पहुंच उपलब्ध करायी। जन-धन योजना ने बैंककर्मियों को वंचित लोगों तक ऋण संस्कृति को बढ़ावा देने का विश्वास दिलाया और जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

2016 में, आधार कानून धन विधेयक के रूप में प्रचारित किया गया, ताकि वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं की पहुंच लक्षित लोगों तक बनाना सुनिश्चित किया जा सके। यह कानून आधार विशिष्ट पहचान संख्या परियोजना को कानूनी समर्थन उपलब्ध कराता है और भारत के समेकित षोष से किए गए सभी प्रकार के व्यय के लिए व्यक्तियों को उनकी आधार पहचान संख्या के निरूपण के जरिए संबंधित मामलों के अतिरिक्त सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की कुशल, पारदर्शी और लक्षित सुपुर्दगी का प्रावधान करता है। आधार कानून ने सरकार को सेवाओं/सब्सिडी के संवितरण के लिए व्यक्ति की पहचान से संबंधित सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

तीसरा प्रमुख कदम, जो सरकार द्वारा 2016 में उठाया गया, वह था भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) का शुभारंभ। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस के आधार पर विकसित किया गया

है। भीम एप्लीकेशन बैंकों के जरिए प्रत्यक्ष रूप से ई-भुगतान को सुगम बनाता है और कैशलेस लेन-देन के लिए प्रेरित करता है, उपयोगकर्ता को दो पक्षों के बैंक खातों के बीच तत्काल रूप से धन का हस्तांतरण करने में समर्थ बनाता है इसे सभी मोबाइल उपकरणों पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। भीम एप्लीकेशन का इस्तेमाल 125 लाख भारतीय नागरिकों द्वारा किया जा रहा है।

सामूहिक रूप से जन धन योजना-आधार कानून और भीम एप्लीकेशन का प्रावधान पारदर्शी सरकार के लिए किया गया है, जहां लाभार्थी तक सब्सिडी समय पर और प्रभावी रूप से पहुंच सके।

भारत जैसे आकार वाले देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2016-17 अधिकतम 27.33 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का गवाह बना, जो 5 साल के औसत उत्पादन से 6.37 प्रतिशत और 2015-16 से 8.6 प्रतिशत अधिक था। सरकार ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना प्रारंभ की। ये कार्ड खेत के स्तर पर मृदा का विश्लेषण कराने के उद्देश्य से द्विवार्षिक आधार पर देश के सभी भू-धारकों को जारी किए जाने थे। अब तक 7.1 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने 2014-15 में निवेश को प्रोत्साहन देने और कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों की

उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा लचीलापन प्रदान करने हेतु संशोधित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की। अप्रैल 2016 में, सरकार ने देश भर की 585 थोक बिक्री कृषि उत्पादन विपणन समितियों को साझा ई-प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ने के लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-एनएएम) की शुरुआत की। यह पोर्टल कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है और इसने किसानों को विस्तृत सूचना के प्रसार में सशक्त बनाया है। सरकार द्वारा फसल चक्र के समस्त प्रकार के जोखिमों को कवर करते हुए बेहतर सिंचाई पद्धतियों के लिए लाभ प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्रगति का सिलसिला जारी है।

किसानों को अधिकार सम्पन्न बनाने और गांव के स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार की पहल गरीबी में कमी लाने और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सूचकों में वृद्धि करते हुए कुल मिलाकर सफल रही है। खेती से होने वाली आमदनी में वृद्धि और सब्सिडी हस्तांतरण में पारदर्शिता से 21वीं सदी के गतिशील और प्रगतिशील भारत का सृजन संभव हो सकेगा।

(लेखक राजस्थान कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं।)
ई-मेल : vsrinivas@nic.in

“शुभकामनाओं के तौर पर गुलदस्ता देने के बजाय किताब दें.... इस प्रकार की पहल से काफी बदलाव आ सकता है।”

—माननीय प्रधानमंत्री

प्रकाशन विभाग के पास विविध विषयों पर पुस्तकों का विशाल भंडार है, जैसे कि -
कला एवं संस्कृति, स्वतंत्रता संघर्ष, इतिहास, महापुरुषों की जीवनी और गाँधी साहित्य से लेकर
..... बच्चों के लिए रोचक पुस्तकें भी।



हमारी किताबें भेंट करिये,
अपने प्रियजनों को....

क्योंकि

“किताबों जैसा वफादार कोई दोस्त नहीं होता”



प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

किताबें खरीदने के लिए जानकारी यहाँ उपलब्ध है: publicationsdivision.nic.in
ई-बुकस यहाँ से खरीदें: kobo.com, play.google.com, amazon.in